खण्ड-456, अंक-7
शुक्रवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1927
(9 दिसम्बर, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	घ-ज
विधान सभा सदस्य श्री कृष्णानन्द राय के साथ अन्य सात लोगों की हत्या का प्रकरण उठाने का प्रयास -------	1-3
आज की कार्य सूची में प्रश्न प्रहर समाप्त किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न -----	3
बिना सदन की सहमति के कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिसों के अनुसार कार्य शुरू किये जाने पर आपत्ति -------	3-4
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव----(स्वीकृत)	4-6
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान -------	6-23
अनुदान संख्या- 2, आवास विभाग ------- (स्वीकृत)	23
अनुदान संख्या- 3, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ------- (स्वीकृत)	23
अनुदान संख्या- 5, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) ------- (स्वीकृत)	23
अनुदान संख्या- 6, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ------- (स्वीकृत)	24
अनुदान संख्या- 7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ------- (स्वीकृत)	24
अनुदान संख्या- 9, ऊर्जा विभाग ------- (स्वीकृत)	24
अनुदान संख्या- 11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ------- (स्वीकृत)	24
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास तथा जल संसाधन) ------- (स्वीकृत)	24-25
अनुदान संख्या- 13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ------- (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ------- (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ------- (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग)------- (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग ------- (स्वीकृत)	26
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ------- (स्वीकृत)	26
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ------- (स्वीकृत)	26
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) ------- (स्वीकृत)	27
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) ------- (स्वीकृत)	27
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ------- (स्वीकृत)	27
अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ------- (स्वीकृत)	27-28
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) ------- (स्वीकृत)	28

अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	------- (स्वीकृत)	28
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	------- (स्वीकृत)	28
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	------- (स्वीकृत)	29
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	------- (स्वीकृत)	29
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग	------- (स्वीकृत)	29
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग	------- (स्वीकृत)	29
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग	------- (स्वीकृत)	30
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग	------- (स्वीकृत)	30
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग	------- (स्वीकृत)	30
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग	------- (स्वीकृत)	30
अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग	------- (स्वीकृत)	31
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग	------- (स्वीकृत)	31
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग	------- (स्वीकृत)	31
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	------- (स्वीकृत)	31-32
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	------- (स्वीकृत)	32
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	------- (स्वीकृत)	32
अनुदान संख्या-56, लोकनिर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	------- (स्वीकृत)	32
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	------- (स्वीकृत)	33
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सडकें)	------- (स्वीकृत)	33
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	------- (स्वीकृत)	33
अनुदान संख्या-60, वन विभाग	------- (स्वीकृत)	33-34
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	------- (स्वीकृत)	34
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय	------- (स्वीकृत)	34
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय	------- (स्वीकृत)	34
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	------- (स्वीकृत)	34-35
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	------- (स्वीकृत)	35
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	------- (स्वीकृत)	35
अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) ------- (स्वीकृत)		35
अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	------- (स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन)	------- (स्वीकृत)	36

अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग ------- (स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) ------- (स्वीकृत)	36
अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) ------- (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग ------- (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग ------- (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या-96, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ------- (स्वीकृत)	37-38
उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 ------- (पारित)	38-44
डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 ------ (पारित)	44-75
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई विधेयक, 2005 ------- (पारित)	75-99
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का बाइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	99-100
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का तेइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का चौबीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का पच्चीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	100
मा0 मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना मूल्य बढाये जाने की घोषणा	100-102
श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य विधान सभा की दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टण्डन, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा	102-128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। उपस्थित सदस्य-311

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय्, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय्, श्री	बस्ती
अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूँ
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूँ
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूँ
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय्, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ

गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटेलाल यादव, श्री	बाराबंकी
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
ज़ियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	संतरविदासनगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड, श्री	अलीगढ़
प्रागीलाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूँ
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर

बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	गऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूँ
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूँ
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूँ
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संतरविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
रामकरन आर्य, श्री	बस्ती

रामकिशुन, श्री	चन्दौली
रामकृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामनरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमंद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूँ
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहाँपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव, "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद

सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सुरेश चद्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहाँपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजंहांपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ		

नोट:- सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)
औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)
प्रोटोकाल, नागरिक उड्यन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव)
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सदस्य श्री कृष्णानन्द राय के साथ अन्य सात लोगों की हत्या का प्रकरण उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजकल बिल्कुल बारूद के मुहाने पर खड़ा है। मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि सबको मौका मिले और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो। इतनी गंभीर स्थिति है और अगर इस सदन ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया तो मैं सोच नहीं सकता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश कहाँ जायेगा और इसकी क्या दशा बनेगी?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, आप देखें कि आज एजेण्डा क्या है।

श्री अध्यक्ष-

वह एजेण्डे पर ही चलेगा, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक-एक बिन्दु पर, सरकार को गंभीरता के साथ उन बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए कि जिसके कारण आज एक विधायक की हत्या हुई और 27 हत्याएं हो चुकी हैं इस बीच में।

श्री अध्यक्ष-

आपने कह लिया है, जब आयेगा तो आप कह लीजिएगा।

अनुपूरक बजट पास हो जाने दें।

श्री लाल जी टण्डन-

तो मेरा कन्टीनियु रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप कह लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग और नेता प्रतिपक्ष मिलकर यह कर रहे हैं, चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। यह आरोप मेरा नेता विरोधी दल पर है। मान्यवर, कल आपने हम लोगों की नियम-311 में दी गयी सूचनाओं को नियम-52 में दो घण्टे की चर्चा के लिए परिवर्तित कर दिया था। यह इस तरह से बात करके, चर्चा तो हो नहीं रही है, बजट पारित कराना चाहते है।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रतिनिधि खुद कार्यमंत्रणा समिति में रहते है।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxxxxxxxx]

नोट - [xxxxxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

कार्यमंत्रणा समिति में आपके भी प्रतिनिधि थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxxxxxxxxx]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

न यह लिखा जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[xxxxxxxxxx]

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिगर्मन कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

यह जो मौर्या जी ने कहा है यह नही लिखा जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रेस दीर्घा को भी इसकी बाबत कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, यह आरोप बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका मजबूती से खण्डन करता हूँ कि सत्तापक्ष और भारतीय जनता पार्टी मिल करके यह बहस नहीं कराना चाहते हैं।

मान्यवर, कल नेता सदन ने चाहा था कि इस पर बहस हो जाए और आपकी ओर से कल ही इस पर बहस के निर्देश हो गये थे कि आप बहस कराने के लिए तैयार हैं। सत्तापक्ष और नेता सदन भी इसके लिए तैयार थे बहस के लिए कि यह हो जाए और वह जवाब देगें। उन्होंने बहुत कोशिश की। नेता सदन बहुत सारी व्यस्तताओं को छोड़कर, उन्हें बहुत जरुरी जाना था, लेकिन यहॉ रहे कि मामला गंभीर है और वे गंभीरता से इसका जवाब देना चाहते हैं। बार-बार नेता सदन ने निवेदन भी किया और आग्रह भी किया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से सदन अव्यवस्थित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के वेल में आ गये, नेता सदन के खड़े रहने के बावजूद और उनके आश्वासन के बावजूद और उनके यह कह देने के बावजूद भी कि आप अपनी बात रखिए, तर्क पेश कीजिए।

मान्यवर, लोकतंत्र में तर्क का ही दाम लगेगा, तर्क का ही मूल्य होगा। आप तर्क से सिद्ध कीजिए कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच होनी चाहिए। नेता सदन ने कहा कि आप इसे तर्क से साबित करें, और अगर आपके तर्क से वे संतुष्ट हो जाऍगें, मुतमईन हो जाऍगें, तो इस पर विचार हो जाएगा। कल बहस नहीं हुई। मान्यवर, आपके यहॉ पर कल बात हुई थी, वह यहॉ नहीं आनी चाहिए थी कि एक शब्द नेता विरोधी दल कहेंगे, लेकिन नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही, अब यह कंटीनियु नहीं रहेगा।

नोट - [xxxxxxxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

आप मान्यवर, प्रोसीडिंग्स देखलें उन्होंने यह कहा है कि इसे कन्टीनियु माना जाए। अभी बहस शुरु ही नहीं हुई है। अभी बजट पेश होना है। बहस शुरु नहीं हुई है।

मान्यवर, बजट के बाद आप अपनी बात रखेंगे, बहस शुरु नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल का यह प्रिविलेज है सदन में खड़े होकर हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री लाल जी टंडन-

मान्यवर, अगर संसदीय कार्यमंत्री चाहते हैं, तो अभी बहस होना चाहिए। अगर कल आप तैयार थे तो आज क्या हो गया?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले एजेन्डा, बाद में कुछ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल आपने अपनी बात कह ली जब फिर आयेगा तब अपनी बात कहियेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कह ली आपने अपनी बात कह ली, अब बजट ले लेते हैं।

आज की कार्यसूची में प्रश्न प्रहर समाप्त किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, कल हम लोगों को अस्थाई सूची मिली थी जिसमें हम लोगों के आज प्रश्न निर्धारित थे लेकिन आज जो कार्यसूची मिली है, इसमें इतना कोई अधिक बिजनेस नहीं है लेकिन आज हमारा प्रश्न प्रहर पूरा समाप्त कर दिया गया और नियम 300, 301 और 56 सारे नियम निरस्त कर दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग किस लिए यहॉ आते है? तीन माह पहले हम लोग प्रश्न देते हैं, हम लोग अपेक्षा करते है कि सरकार उत्तर देगी। हम लोग अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से अपनी शंका का समाधान करेंगे, तीन माह के बाद प्रश्न का नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर साहब, आपकी व्यवस्था का उत्तर देते हैं। जो प्रश्न आज नहीं होंगे वे आटोमेटिकली, स्थगित मान लिये जायेंगे और वे बाद में अगली बार में आ जायेंगे।

बिना सदन की सहमति के कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य शुरु किये जाने पर आपत्ति

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश को सदन को सूचना देकर और सदन को उसकी सहमति मद संख्या 8 पर निर्धारित है, और उसके कथित निर्णय के आधार पर कार्यसूची पर कार्य शुरु हो गया और कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को सदन ने स्वीकृत नहीं किया। जब तक सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करे तब तक यह नियम विरुद्ध है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष-

पहले ऐसा हुआ है कि बाद में हो जाता था जब कार्यमंत्रणा समिति की मद का नम्बर आता था उस समय सिफारिश प्रस्तुत की जाती थी। लेकिन यदि आप कह रहे है तो इसे अभी ले लेता हूँ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 09 दिसम्बर, 2005 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1- दिनांक 20, 21, 23, 26 एवं 27 दिसम्बर, 2005 को सदन के उपवेशन न हों।

2- दिनांक 2, 3, 4 एवं 5 जनवरी, 2006 को सदन के उपवेशन हों।

3- दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4- दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

दिसम्बर, 2005, 09 शुक्रवार

1- वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

2- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश, विधेयक, 2005 (आधा घण्टा),

(ख) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 (आधा घण्टा)।

3- "माननीय श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" सर्वश्री लालजी टण्डन, केशरीनाथ त्रिपाठी, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामहेत भारती, रामशंकर पाल, चौधरी महेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द, आर0एस0 कुशवाहा, ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), सुखदेव राजभर, जगदीश नारायण राय, प्रमोद कुमार, राम नरेश यादव, जगदम्बिका पाल, रामसेवक, श्यामदेव राय चौधरी, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सुरेश कुमार खन्ना एवं मुंशी लाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा-(दो घण्टे)।

दिसम्बर, 2005

10 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
11 रविवार	
12 सोमवार	
13 मंगलवार	
14 बुधवार	
15 गुरुवार	

16 शुक्रवार	
17 शनिवार	
18 रविवार	
19 सोमवार	
20 मंगलवार	
21 बुधवार	
22 गुरुवार	
23 शुक्रवार	
24 शनिवार	
25 रविवार	बैठक नहीं होगी।
26 सोमवार	
27 मंगलवार	
28 बुधवार	
29 गुरुवार	
30 शुक्रवार	
31 शनिवार	

जनवरी, 2006

01 रविवार ।	बैठक नहीं होगी।
02 सोमवार	
03 मंगलवार	बैठक होगी।
04 बुधवार	
05 गुरुवार	
06 शुक्रवार	
07 शनिवार	
08 रविवार	
09 सोमवार	
10 मंगलवार	
11 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
12 गुरुवार	
13 शुक्रवार	
14 शनिवार	
15 रविवार	
16 सोमवार	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरुवार	विधायी कार्य।
20 शुक्रवार	असरकारी दिवस।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी
23 सोमवार 24 मंगलवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-06 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा और मतदान

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में, जो अनुपूरक रखा गया है, सर्वप्रथम उस पर अपने विचार रखना चाहूंगा। मान्यवर, एक आपत्ति सबसे पहले मुझको यह है कि जब भी बजट पर चर्चा होती है तो संबंधित मंत्री सदन में रहते है। संयोग से वित्त विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और उन्हीं की ओर से बजट रखा गया है। यदि वह कुछ व्यस्त हों, कोई और कारण हों तो भी कम से कम उनको सदन के प्रति सम्मान होना चाहिए। जब बजट के ऊपर चर्चा हो और वित्त मंत्री मुख्यमंत्री हों, तो भी वह सदन में उपस्थित न हों तो यह तो आप जानें, मुझे सिर्फ कहना था, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। बजट के ऊपर चर्चा है और बजट के प्रभावी मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं है, वित्तमंत्री भी है और वह उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री को लिखकर पत्र दे दिया है। इसका उत्तर देने के लिये।

श्री हुकुम सिंह-

प्रश्न भारसाधक मंत्री के रूप में उपस्थित होने का है, उन्हें उपस्थित होना चाहिए। कुछ समय पूर्व मान्यवर, एक अनुपूरक आया था और मैंने उस पर अपनी जिज्ञासा जाहिर की थी कि आखिर दो महीने के अन्दर अनुपूरक रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और पैसा खर्च हो गया, इसलिये पैसे की आवश्यकता आ गयी। मेरा आग्रह यह है कि बजट में कभी खर्च का मामला नहीं होता, प्राविधान होता है। अगर प्राविधानित होता तो पैसा आता रहता और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्च होता रहता। लेकिन जब आपने प्राविधान ही नहीं कराया कि किस मद पर कितना पैसा चाहिए, इसीलिये दो महीने में यह जरुरत पड़ गयी। आज फिर आप नई-नई मदें लेकर आ गये है और पैसे की स्वीकृति करा रहे हैं। मान्यवर, इसमें कहीं न कहीं वित्त विभाग में विजन का अभाव है, इस कारण सारी बातें हो रही है। इसके अलावा कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। संयोग की बात है, सिंचाई मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। विभाग से उनका कितना लेना-देना है, यह तो वही जाने लेकिन मंत्री तो है ही। थोड़ा सा एक मिनट मेरी बात पर ध्यान दे लें। आपकी अनुमति से इस विभाग में क्या हो रहा है, यह देख लें। मान्यवर, 470 करोड़ सैक्शन हुये, हमारे पश्चिम के 2-3 खंडों को। इसमें 375 करोड़ कांवर सेवा मार्ग जो मंगलौर से मोदीनगर तक बन रहा है, के लिये दिया गया। इसमें हम अपेक्षा यह करते है कि मंत्री जी पारदर्शिता के साथ टेन्डर करायेंगे, लेकिन क्या किसी भी काम के लिये सिंचाई विभाग में टेन्डर हुये? यह सदन अगर इसी तरह से बैठा रहेगा और केवल पैसा स्वीकृत कर दें, इसे यह कहीं भी ले जायें तो हमारे यहाँ बैठने का क्या फायदा होगा? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके ही संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बिना टेण्डर के दो-दो लाख रूपए के वर्क आर्डर दिये गये। 475 करोड़ रूपए के टेण्डर किसी काम के नहीं, सारा का सारा पैसा वर्क टेण्डर पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रदेश ने आस्था व्यक्त की है कि प्राविधान के अनुरूप खर्च किया जाए, यह प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि कम से कम जो मैं कहूँगा उसका आप संज्ञान लेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि रूड़की में लिंक चैनल बन रहा है उसके लिए 15 करोड़ रूपए दिये गये हैं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बदल गये है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह तो आप जाने, मेरे लिए तो मुन्ना जी ही मंत्री है। 03 करोड़ 50 लाख रूपए दूसरी परियोजना हेतु, 17 करोड़ रूपए मंगलौर से मोदीनगर के लिए, 50 करोड़ रूपए बागपत में कुछ काम हो रहा है, उसके लिए दिये गये हैं। 470 करोड़ रूपए में एक भी काम का टेण्डर आज तक नहीं हुआ है, चाहे तो इस बारे में विधान सभा की एक समिति बना करके इसकी जाँच आप करा लें। दूसरा विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, अच्छी बात है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपका वक्तव्य और भाषण अच्छा रहा है, लेकिन कभी भी जब जिलों में जाएं तो मीटिंग करके यह जानकारी कर लें कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय है या जूनियर हाईस्कूल है, उनमें से कितने ऐसे विद्यालय है जो कि बिना अध्यापक के बन्द पड़े हैं। आज मेरे पास अगर यह शिकायत आये कि दो साल से फलाँ विद्यालय इसलिए बन्द है क्योंकि वहाँ पर अध्यापक नहीं है। गॉव वालों में यह जिज्ञासा जगा दी गयी है कि आपके बच्चे के पढ़ने के लिए इन्तजाम होगा।

श्री किरन पाल सिंह-

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, जहाँ अध्यापक न हों, चाहे वह जूनियर हाईस्कूल हो या प्राथमिक स्कूल हो। जो नये स्कूल बने है, उनमें अध्यापक नियुक्त किये जा रहे है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन स्कूलों की सूची बना करके माननीय मंत्री जी को दे दूंगा जहाँ पिछले दो साल से एक भी बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर अध्यापक नहीं है। आप जानकारी करा लें और अगर अध्यापक होंगे तो हम सदन के सामने क्षमा-याचना करेंगे। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन में नहीं है।

घोषणाएं बहुत अच्छी-अच्छी होती है, वाह-वाही लूटी जाती है। घोषणा हुई कि स्वपरीक्षा केन्द्र बनेंगे, बच्चों की फीस भी कम हो गई, बच्चों का शोषण होने से बचा लिया। उसके बाद स्थिति यह हो गई कि यू0पी0 बोर्ड से परीक्षा पास करने के बाद बच्चा जब दूसरी जगह जाता है तो उससे कहा जाता है कि यू0पी0 बोर्ड से पास करके आये हो, नकल से पास हो करके आये हो। आज हमारे बच्चों के साथ में यह व्यवहार हो रहा है। अच्छा होता कि आप अच्छी सुविधा देते, पढ़ाई का अच्छा स्तर प्रदान करते, तो बहुत अच्छा होता। केवल घोषणाएं करके वाह वाही लूट ली और आपने उससे होने वाले दोषों पर विचार नहीं किया। अगला विभाग है, ऊर्जा विभाग, इसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह-

(माननीय सदस्य श्री तेजपाल सिंह की ओर इशारा करते हुए) यह यहाँ पर बैठे हुए है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी इनके प्रति पूरी सहानुभूति है, मैं हर तरह से इनके साथ हूँ। जो दुर्गति इनकी हुई है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। आपके आँखों में तो पानी के आंसू आते हैं, लेकिन इनकी दुर्दशा देखकर मेरे तो खून के आंसू आते है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा है, दोनो लोग संबंधी है, निकटता है, आप उनके प्रति संवेदनशील है।

श्री हुकुम सिंह-

निकटता नहीं, मान्यवर, परिवार है तो परिवार की यह हालत देखकरके किसे चिंता नहीं होगी। थोड़ा-बहुत कल्याण कर सकते थे शिवपाल सिंह जी, लेकिन वह भी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, उनका ध्यान भी इधर नहीं है। मान्यवर, इसमें 200 करोड़ रुपये का प्राविधान अभी ऊर्जा विभाग में जो अनुपूरक अनुदान आया है, उसमें कराया गया है लेकिन एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें पावर जनरेशन की व्यवस्था आपने की हो, जिसमें उत्पादन की व्यवस्था हो। 200 करोड़ रूपया कहाँ जा रहा है? क्या उसे ट्रांसमिशन, पारेषण और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च कर देंगे? जब उत्पादन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन किस का कर लेंगे। अगर इसमें यह बात आयी होती कि फलाँ बिजलीघर स्थापित करने जा रहे हैं, वहाँ उत्पादन होगा उससे आगे बिजली की स्थिति अच्छी होगी। दूसरी शिकायत यह है कि बार-बार सदन में मामला उठा कि किसानों की जो निजीक्षेत्र के नलकूप हैं उनके लिए कोटे की बात आयी। कुछ समय पूर्व मैंने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन से आपके कक्ष में बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैंने उनके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और रिलीज भी कर दिया है और वह पहुंच भी गया है। आप भी जिलों से आये हैं कल तक की मुझको जानकारी है, एक भी नये नलकूप का लक्ष्य जिलों में नहीं पहुंचा है, किसान कहां जाये? 200 करोड़ का प्राविधान करा रहे है, अगर नये नलकूप का कनेक्शन मिल जाता तो उससे किसान सिंचाई कर लेते। नहरों में पानी है नहीं तो क्या व्यवस्था आपने की है? आहिस्ता-आहिस्ता सिस्टम ओवर लोड होता है तो यह व्यवहारिक है और यह होगा। लेकिन किनके हित में पैकेज बनते हैं, फलॉ ट्रांसफारमर की कैपसिटी को बढ़ाया जाए, व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए लेकिन क्या एक नेय पैसे का प्राविधान है? 6 महीने की समीक्षा करके बता देंगे कि जितने भी पैकेज नीचे से आये है एक भी पैकेज स्वीकार हुआ है क्या? रोज किसानों के ट्रांसफारमर फुंकते हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो इस अनुपूरक के लाने का फायदा क्या है?

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी बैठे हुए है, पीछे कुछ घोषणा की थी वह घोषणा पता नहीं कहां रह गयी? प्रमोद कुमार जी चले गये, जिन्होंने घोषणा भी करायी थी और हम लोगों ने उनके लिए तालियाँ भी बजायी थी। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी की हो गया है) इधर से भी कहलवा लें कि हो गया है।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, आपने जो घोषणा की थी, वह इधर देखते हुए की थी, जब इधर देखते हुए की थी तो मुझको आपका चेहरा याद है। घोषणा का प्रभाव यहाँ भी किसी के क्षेत्र में आना चाहिए था। वहाँ तो होगा, मुझे पता है कि होगा। आपको यहाँ भेदभाव नहीं करना चाहिए था, प्रतिपक्ष के साथ भेदभाव क्यों? जब सारे सदन के सदस्यों के लिए बात कही है उसके बाद पालन उसका अधूरा है, मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, दूसरी बात इसी अनुपूरक में आपने व्यवस्था करायी राजकीय मार्गो के सुदृढ़ीकरण की। आपके सहयोगी दल के सदस्य बैठे हुए है, पूंछ लीजिए। दिल्ली से यमुनोत्री मार्ग की हालत क्या है? दो साल पहले इस मार्ग की हालत क्या थी और आज क्या है? वह आदर्श सड़क होती थी आज उस पर दो-दो फीट तक गड्ढे होते जा रहे हैं। वह राजमार्ग है और एक प्रमुख मार्ग है जब अनुरक्षण के लिए पैसा दिया है तो फिर यह भेदभाव कैसे हो रहा है? राणा जी बैठे हुए है सहारनपुर में सड़क बन रही थी देवबन्द से अधूरी पड़ी हुई है 6 महीने से, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, एक साल पहले काम पूरा होना चाहिए था लेकिन एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। आप जानकारी कर लें और कुछ कर सकें तभी अनुपूरक का फायदा होगा। कुछ शब्द चिकित्सा विभाग के बारे में कहना चाहूंगा पशुधन मंत्री जी बैठे हुए है वह अपने यहाँ पी0एच0सी0 ले गए हैं बाकी जगह आयुर्वेदिक कालेज बन रहे हैं न जाने कौन कौन कालेज बन रहे हैं लेकिन आप एक पी0एच0सी0 अपने यहाँ लेकर गए हैं। चिकित्सा विभाग की जो हालत इस प्रदेश ने देखी है गोरखपुर में इन्सेफ्लाइटिस किस तरह से फैली और पश्चिमी क्षेत्र में दिमागी बुखार और डेंगू का प्रकोप फैला वह सभी को पता है। आपने केवल पर्चे का पैसा कम करके सोच लिया कि हमने गरीबों का उद्धार कर दिया लेकिन गरीब के लिए दवाई है कि नहीं इसके बारे में नहीं सोचा। अभी गोमती नगर के बारे में आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि संक्रामक रोग फैला हुआ है लखनऊ में फैला हुआ है उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे कि नहीं। अभी इसके बारे में जो बिल आएगा उस समय मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में लोग कैंसर और टी0बी0 से ग्रस्त होते जा रहे हैं उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कैंसर रोगी जब दिल्ली जाता है तो 10-10 लाख रूपए आपरेशन का खर्च आता है कहाँ से गरीब आदमी इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था कर सकेगा। आपने पर्चा केवल दो रूपए का करके सोचा कि हमने गरीबों का उद्धार कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

मैं गन्ने के बारे में जरूर कहना चाहूंगा और इसलिए कहना चाहूंगा कि आपने इसी अनुपूरक में 100 करोड़ रूपए का प्राविधान गन्ने के लिए किया है लेकिन यह प्राविधान किसानों के लिए नहीं बल्कि यह उद्योग पतियों के लिए 100 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। यह मिल मालिकों के लिए है। नई नीति के अन्तर्गत जिन्होंने मिल लगाई है उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। पिछले तीन महीने से किसानों के लिए आपने गन्ने का मूल्य तय नहीं किया है लेकिन उद्योगपतियों के लिए 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था कर दी। इस संबंध में मैंने प्रश्न भी किया था मान लीजिए किसी आदमी के पास तीन फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा है और उसने तीन फैक्ट्री लगाई तो उसको आपने 27 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा सरकारी खजाने से दे दी और एक आदमी एक ही फैक्ट्री लगाना चाहता है और उसके पास 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था है तो उसको आप इससे वंचित कर रहे हैं इसका प्रभाव यह होगा कोई दूसरा व्यक्ति उद्योग लगाने नहीं आएगा और दूसरा प्रभाव यह होगा कि सरकारी क्षेत्र की जो 55-60 मिलें है वह तीन सालों में ही बन्द होने के कगार पर पहुंच जाएंगी सरकारी मिलें सरवाइव नहीं कर पाएंगी और सारा क्षेत्र कुछ घरानों का बन्धक हो जाएगा इस पर आप विचार कर लें मैं करोड़ों किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको छूट देनी है तो मिलों के लिए जो क्षेत्र आरक्षित

है उसको खत्म कर दें किसान को छूट हो कि वह जहाँ अपना गन्ना ले जाना चाहता हो वहां ले जाय। किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि फलां के यहाँ बेचो किसानों को यह हक दिया जाय जहाँ वह बेचना चाहे बेच सके। मैं अब गृह विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि इसके लिए मोटी रकम की व्यवस्था की गई है। जो डेली क्राइम रिपोर्ट आती है या तो वह डेली क्राइम रिपोर्ट आनी बन्द हो गयी है या फिर मुख्यमंत्री जी ने उसे पढ़ा बन्द कर दिया है। यह रिपोर्ट सरकारी होती है आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उसकी जानकारी आपको हो जाय, उसका एहसास आपको हो जाय। कई ऐसी चीजे हैं जिसको सुनकर दुःख होता है। इसलिए आपको दो एक मिसाल देना चाहता हूँ। रूड़की से एक आदमी चला पैसे की वसूली करके। उसके पास 15 लाख रूपये थे। मेरठ के बाई पास पर जब वह पहुंचता है तो पुलिस वाले हाथ देकर रोकते हैं कहते हैं डिक्की दिखाइये, फलां दिखाइये। उस व्यक्ति की जेब में 5 हजार रूपये थे उसने वह रूपये दे दिये। जब वे आगे चलते हैं तो उसका साथी कहता है कि वह तो पूछ रहे थे और आपने उनको पैसे दे दिये। वह कहता है कि अगर उनको पता लग जाता कि मेरे पास 15 लाख रूपये हैं तो वह 15 लाख रूपये भी ले गये थे और मेरी जान भी गई थी। मेरी हत्या करके फर्जी इनकाउन्टर दिखा देते या कह देते कि बदमाशें ने मार दिया। मेरी लाश मिलती। तो मान्यवर, यह स्थिति है आज पुलिस की। यह विश्वास हो गया है पुलिस के ऊपर। मान्यवर, मंडलवाइज ये एक समीक्षा कर लें कि कितने पुलिसकर्मी इनके सक्रिय है, अपराधियों के साथ लगे है। दोषी अगर पकड़ा जाता है तो ऊपर से दबाव बनता है कि उसको छोड़ दिया जाय और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उत्तम प्रदेश की बात करते हैं। अगर उत्तम प्रदेश होता तो संदेश उत्तम प्रदेश का जाना चाहिए था। काहे का संदेश? कर्नाटक से जैन तीर्थयात्री आते हैं अयोध्या दर्शन के लिए उसके बाद वे जा रहे थे जम्मू। मेरठ में हस्तिनापुर में दर्शन करने जा रहे थे। वे दर्शन करके लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी रोक ली गई। लूट पाट की गई। महिलाओं की पिटाई की गई, उनके कपड़े फाड़ दिये गये। वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पोस्ट है। एक घंटे लूट पाट होती रही। जब वे पुलिस चौकी तक जाते हैं बताते है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मान्यवर, वे दूसरे प्रदेश के तीर्थयात्री थे, तब भी उनको रहम नहीं आया। उनको चलता कर दिया गया और एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गई। मान्यवर, वे क्या बतायेंगे कर्नाटक जाकर इस प्रदेश के बारें में। मान्यवर, इसी तरह से एक मिसाल और देना चाहता हूँ। राजस्थान से कथा करने के लिये लोग आते है। पार्टी कथा कहने के बाद वापस लौट रही थी। घटना अभी की है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

सब समाचार पत्रों में हम पढ़ चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अगर आप पढ़ चुके होते तो मेरा विश्वास है कि आपको जरूर गुस्सा आता, आपको जरूर दुःख होता ऐसी घटना से कि दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ तीर्थ यात्रा पर आये और उनके साथ इस तरह से घटना होती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आपने पाँच मिनट माँगा था। पाँच मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। अग्रवाल जी भी बोलेंगे।

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मैं माननीय हुकुम सिंह जी ने एक बात कही है उसका जवाब दे दूँ।

श्री अध्यक्ष-

जब अभी जवाब देगें तब कह लीजियेगा। पहले जवाब होगा फिर मतदान होगा। चर्चा भी लगी है। चर्चा लम्बी चल जायेगी। इसलिये मेरा आग्रह है कि संक्षेप में ही मानीय सदस्य अपनी बात रखें।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, जब मूल बजट प्रस्तुत हो रहा था तो उस समय मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रति पूर्वाग्रह के व्यवहार के आरोप को भी इस सदन में रखा था और तथ्यों के साथ आंकड़े दिये थे और यह कहने का प्रयास किया था कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो बजट बताते हुए उसकी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए। मैंने इस बात को भी कहा था कि बुन्देलखण्ड के लिये 100 करोड रूपये का विशेष प्राविधान किया गया है। 4 प्रतिशत की जनसंख्या है उसके हिसाब से 40 प्रतिशत का विशेष प्राविधान किया जाना चाहिए। मैं मानता था कि जब अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायेगा तो हम लोगों की भावनाओं को कहीं न कहीं एडजेस्ट किया जायेगा लेकिन मान्यवर, आज जो अनुपूरक बजट आया है वह ठीक इसके विपरीत है। 1362 करोड़ रूपये का बजट है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेशके लिये कुल मिलाकर 31 करोड़ 27 लाख रुपये की व्यवस्था है। 40 प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से यह धन 457 करोड़ रुपये होता है अगर इस 31 करोड़ रुपये को इसमें जोड़ दिया जाय तो यह सिर्फ 2.29 प्रतिशत है। इसलिए इस सदन में मैं इस सरकार के ऊपर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जानबूझ कर पूर्वाग्रह करने का आरोप लगाता हूँ अध्यक्ष महोदय आप स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं आप गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थिति जानते हैं। वहां पर 21 तारीख से हड़ताल चल रही है कि उसे के0एम0सी0आई0 की डिग्री की मान्यता दी जाए। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे तो उन्होंने कहा था कि गोरखपुर मेडिकल कालेज को आदर्श मेडिकल कालेज बनायेंगे। आज यह अनुपूरक बजट आया है लेकिन इसमें गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए कोई आदर्शवादिता की बात नही की गई है। आश्चर्यजनक रूप से हम आज दोपहर में एक संस्थान बनाने के लिए सैफई में जो बनना है उसके बारे में बहस करने जा रहे हैं और इसके लिए 16 करोड की व्यवस्था की गई है। टीकाकरण की आज कितनी आवश्यकता है माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में घोषणा की थी कि नवम्बर के बाद से टीकाकरण का अभियान शुरु कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। यह जनरल बजट नहीं है।

डा0 राधा मोह दास अग्रवाल-

मैं स्थानीय समस्यायें रख रहा हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए इंसैफैलाइटिस के टीकाकरण की कोई योजना है या नहीं? अगर नहीं है बजट में प्राविधान नहीं किया गया है तो कैसे होगा?

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर मैं इस अनुपूरक बजट के अवसर पर सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 20 फरवरी 2004 को सरकार ने इस सदन में विधेयक पुर:स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश राज्य कोषीय बजट उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 और 21.2.2004 को यह विधेयक पास हो गया था। 26.2.2004 को महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वर्ष 2004 का यह पांचवां अधिनियम बनकर लागू हो गया। इसमें सरकार ने उद्देश्य और कारण बताये थे। इसमें था मैं बता दूँ-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें था कि वित्त मंत्री द्वारा बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूपयों का अर्धवार्षिक पुनरावलोकन किया जाना, ऐसे पुनरावलोकन के परिणाम को राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना।

विधान सभा के अधीन राज्य सरकार पर डाली गई बाध्यताओं को पूरा करने में किसी विचलन के संबंध में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्त मंत्री से विवरण की अपेक्षा करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा व अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अकल्पित मांगों पर विचार करने के लिए घाटे की कमी में सुदृढ़ीकरण, इन तीन विन्दुओं का मुख्य रूप से प्राविधान किया गया था। जब 26.2.2004 में, वर्ष 2004 में यह पांचवां अधिनियम बन गया तो इसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुसार अगस्त 2004, मार्च 2005 और सितम्बर 2005 में तीन बार 6-6 माह के अन्तर पर सरकार द्वारा दोनों विधान मंडलों को अवगत कराने का प्राविधान था लेकिन नहीं अवगत कराया गया। तब फिर इस अधिनियम को बनाने का औचित्य क्या था और अधिनियम बनाने के लिए विधान सभा की शक्ति का दुरुपयोग करने का औचित्य क्या था, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस अधिनियम को सरकार या तो समाप्त कर दे या पिछली बार प्रस्तुत नहीं किया, तीन बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तो इसके लिए इस सदन में खेद प्रकट करते हुए भविष्य में इसको प्रस्तुत करने का वचन दे और सदन द्वारा पास अधिनियम की व्यवस्थाओंको सदन के जो अधिकार है सदन उनका उपयोग कर सके यह परिस्थिति निर्माण करे।

श्री अध्यक्ष-

यह जनरल बजट नहीं है पाल जी आप क्या कहना चाहते है दो मिनट में कहें।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे 2005-2006 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। परिवहन मंत्री जी कह रहे है बस्ती, सिद्धार्थनगर। तो बस्ती और सिद्धार्थनगर से इस सदन में महत्वपूर्ण लोग है। जिस पीठ पर आप विराजमान हैं नेता सदन से और नेता प्रतिपक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं आपसे कृपा पूर्वक कहना चाहता हूँ जिस तरह से नेता सदन अपने इलाके के विकास के लिए चाहे वह सामान्य बजट हो या वार्षिक बजट हो या फिर अनुपूरक बजट हो जिस तरह से अनुदान स्वीकृत कर रहे है जिस तरह से वह एक सजग प्रहरी के रूप में अनुदानों को स्वीकृत करा रहे है और संसदीय कार्य मंत्री जी भी उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, यदि इस पीठ से आप भी कुछ अपने इलाके के लिए करा लिए होते तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता। अध्यक्ष जी, यह स्वाभाविक है कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों या कोई भी जनप्रतिनिवि हो, वह चाहता है कि अधिक से अधिक धन उसके क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराया जाए। जो बात अभी डाक्टर साहब ने कही है, पूर्वांचल की 40 प्रतिशत जनसंख्या की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, जिस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, अगर समय रहते कोई ठोस कार्यवाई नहीं की गई, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गए तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे। पूरे पूर्वांचल की जो लाइफ लाइन है, लोगों की जिन्दगी है, वहां गन्ने की खेती होती है, आज पूर्वांचल में जितनी चीनी निगम की मिले हैं, वह बन्द हैं, अगर सरकार ने राज्य चीनी निगम के पुनर्वास के लिए कार्यवाई शुरु की है तो मैं इसके लिए उसे बधाई देता हूँ, यदि संसदीय कार्य मंत्री जी रामपुर के लिए 25 करोड़ रूपये ले सकते हैं तो आप अपने जनपद के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में क्यों नहीं ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष-

हमें, आप सबको देखना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सब को देखना है। मान्यवर, यह केवल मेरी भावना नहीं है, जो उधर के सारे लोग यहां बैठे हैं, उन सब की भावनाएँ इसमें निहित हैं। उस इलाके के सभी लोगों, चाहे कमाल साहब हों या विवेक साहब हो, सबकी भावनाएं इसमें निहित हैं। मान्यवर, अनुपूरक बजट के द्वारा धन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि कुछ पुराने कार्यो हेतु यदि धन की आवश्यकता है तो उससे करते हैं लेकिन आप देख रहे हैं इसमें नए खर्चों के लिए पैसा दिया गया है, स्पोर्ट्स में पैसा दिया गया है। सभी स्टेडियमों में तरण-ताल बनाने की बात आई, बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ के स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

बस्ती में तरण-ताल तो है?

श्री जगदम्बिका पाल-

स्वीमिंग पुल नहीं है। मायवर, आज पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है और जिस तरह से वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज हम देखें कि यदि वहां पर ट्रामा सेण्टर की आवश्यकता है तो फैजाबाद, बस्ती और आजमगढ़ में है। वहां पर प्रतिदिन लगभग 10-12 एक्सीडेंट होते हैं इसलिए वहां इसकी नितान्त आवश्यकता है। आज राम मनोह लोहिया हास्पिटल का विकास हो रहा है, सैफई के हास्पिटल को सेटेलाइट से जोड़ने की बात है क्या पूर्वांचल के किसी भी हास्पिटल को सेटेलाइट से जोड़ा जायेगा? मान्यवर, पूर्वांचल में अशिक्षा है, 2 करोड़ रुपये में तो एक बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। पूर्वांचल में आज जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है...

श्री अध्यक्ष-

अभी आप चर्चा में भी तो बोलेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप शरीफ है, लेकिन जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी हिस्सेदारी ले रहे हैं, वह हिस्सेदारी हमारे हिस्से में नही आ रही है। हम को इसकी वकालत तो करने दें।

श्री अध्यक्ष-

पाल जी, आप केवल पूर्वांचल के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि 179 करोड़ 55 लाख रुपये गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हमने पिछले सत्र का गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान कर दिया है। मैं कहा चाहता हूँ कि वर्ष 2002-2003 का 81 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। कोर्ट का फैसला आ चुका है कि राज्य सरकार ने पिछली बार चीनी मिलों का गन्ना मूल्य जो निर्धारित किया था वह राज्य सरकार दिलाने की घोषणा करे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2001-02 का किसानों का 51 करोड़ 42 लाख रुपये बकाया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अन्य चीजों के लिए अनुपूरक अनुदान लिया है उसमें इस बकाये को भी लिया जाना चाहिए। मान्यवर, चीनी निगमों की मिलों का जब अधिग्रहण किया था तो राज्य सरकार ने अपनी कंटिजेंसी से भुगतान दिया था। तो आज जो पिछली बार का लगभग 200 करोड़ रुपया किसानों का जो बाकी है उसे दिलाने के एि इस कल्याणकारी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि गन्ना किसानों के बकाये 179 करोड़ 55 लाख रुपये की व्यवस्था करे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बस्ती में अस्पताल का शिलान्यास

किया गया था लेकिन आज तक उसमें पदों का सृजन नहीं हो पाया है। अगर उसकी सही प्रकार से व्यवस्था की जाती तो उसका स्वरूप पी0जी0आई0 की तरह हो सकता था। वहॉ के लोगों के साथ-साथ नेपाल से लेकर बिहार तक लोगों को उसका लाभ हो सकता था। लेकिन उसके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने की पेराई सत्र शुरु हो गया है। लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पेराई सत्र का गन्ना मूल्य कब घोषित होगा? मान्यवर, जिस तरह से आज बिजली, खाद पानी के दामों में वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए गन्ने की उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर यह छोडा गया कि मुख्यमंत्री जी इस पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य घोषित करेंगे लेकिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वह सबसे पहले मूल्य घोषित करती थी। चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो। चाहे धान का मूल्य हो, चाहे गेहूं का मूल्य हो चाहे गन्ने का मूल्य हो कांग्रेस सरकार में यह मूल्य पहले घोषित हो जाता था। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य कम से कम 150 रुपये प्रति कुंतल गन्ना किसानों के लिए घोषित किया जाये।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जो अभी अनुपूरक बजट पेश हुआ है उसके जवाब में मुझे बोलने का अवसर दिया है। अभी जो हुकुम सिंह जी कह रहे थे उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें तो बधाई देनी चाहिए। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कि गंगा का पानी यमुना में जाए जिससे सहारनपुर, गाजियाबाद और बागपत के जिन किसानों के खेतों में यमुना में पानी कम होने के नाते पानी नहीं पहुंच पा रहा है इससे उनके खेतों में भी पानी जाएगा। और रिकार्ड समय में वह समानान्तर देवबन्द योजना यह सरकार खुदवायेगी, इससे चार हजार क्यूसेक पानी मिलेगा और यह पानी जमुना में पड़ेगा तो जो इलाहाबाद में संगम होता था वह संगम आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब जमीन एक्वायर की जाती थी तो देर लगती थी। लेकिन सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि वह बाजार रेट पर जाकर किसानों से जमीन बैनामा करायेगी जिससे देरी न हो। अभी माननीय सदस्य ने एक योजना का जिक्र किया चौधरी चरण सिंह नहर कांवर पटरी योजना, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हरिद्वार में सावन के महीने में कांविरये आते थे तो रास्ता जाम हो जाता था और यातायात ठप्प हो जाता था, कानून व्यवस्था की समस्या होती थी। लेकिन इस सरकार में मंगलौर से लेकर मोदीनगरी तक चौधरी चरण सिंह कांवर पटरी का निर्माण हो रहा है और वह व्यवस्था रिकार्ड समय में हो इसके लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गयी है। तो इससे एक तो हमें चार हजार क्यूसेक टेहरी से पानी अतिरिक्त मिलेगा तो इस नहर की देखरेख की जरूरत पड़ेगी और इससे जब पटरी पक्की हो जायेगी तो हर की देखभाल भी अच्छी होगी गन्ना किसानो को, हजारों गॉव जुड़ रहे हैं, वे अपना गन्ना ले जाते हैं वह इस सड़क से जुड़ जायेंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था हम रिकार्ड समय में पूरा करने जा रहे है।

अभी माननीय सदस्य ने एक बात और कहीं, आप लोगों को याद होगा कि दो तीन साल पहले सूखा पड़ा था और इस देश के चौदह राज्यों में लाखों किसान भूखमरी की कगार पर थे। उस समय चौधरी अजित सिंह ने बिना मांगे पॉच सौ करोड़ रुपये सूखा के लिए दिया था और यह कहा था कि चैक के माध्यम से खाते में जायेगा। लेकिन हमारी उस समय की सरकार ने खाते में न डालकर बीच में ही खा लिया। जब दोबारा दो सौ करोड़ दिया गया तो पन्द्रह रूपये, बीस रूपये और पचास रुपये का चैक दिया था तो इससे पता लगता है कि यह कितने संवेदनशील है। गन्ने की बात आयी तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ....

श्री अध्यक्ष-

आप सिंचाई मंत्री है, सिंचाई पर ही बोले। गन्ना और सूखे के बारे में चर्चा न करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, इसका सम्बन्ध सिंचाई से भी है। गन्ने पर राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ाई लडी। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस समय की सरकार ने, हम गये थे, तो प्रदेश के एक मुखिया ने कहा कि हमारा वोटर गन्ना नहीं बोता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, माननीय अजित सिंह जी ने सरकार को दाम तय करने का अधिकार दिया था और इस सरकार ने 96-97 का पैसा किसान भूल गया था कि दो रुपया मिलना है आठ सौ करोड़ हमारी सरकार ने देने का काम किया है। केवल आलोचना के लिए ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो अच्छे काम हुए हैं उनको भी बताना चाहिए। बहुत सी परियोजनाएं थी जो वर्षों से अधूरी पड़ी थी, प्रमोद कुमार जी के यहाँ एक परियोजना थी जिसमें अस्सी प्रतिशत काम हो गया था और वह बीस सालों से अधूरी पड़ी थी, इस सरकार ने उसमें पैसा एलाट किया। इससे वहाँ पर पानी पहुंचेगा। तो यह सरकार रिकार्ड समय में पानी देने जा रही है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं सिर्फ पांच मिनट लूँगा। माननीय हुकुम सिंह जी अभी सप्लीमेण्ट्री बजट पर जिस तरह से सरकार की आलोचना कर रहे थे, मुझे लगा कहीं अज्ञानता है। प्रशंसा की जगह जब आलोचना की जाती है तो कुछ आश्चर्य अपने आप में अवश्य होता है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने कितने वर्षों के बाद 31 मार्च को आने वाले सत्र का बजट पेश करके पहली अप्रैल को बजट रिलीज करा। आप भी मंत्री रहे हैं, 31 मार्च की एक हम लोगों की परम्परा थी कि सरकार का सारा पैसा खर्च करके, बजट के पी0एल0ए0 में पैसा डाल दिया जाता था, आज अगर हमने पैसा समय से रिलीज कर दिया और उत्तर प्रदेश का वह पैसा विकास कार्यों में लग गया जिसके कारण आज हम को सप्लीमेण्ट्री बजट पेश करना पड़ा, तो श्रीमन् हम लोगों ने समय पर पैसा खर्च कर दिया तो सामने आया कि क्या-क्या आवश्यकतायें और है और प्राथमिकता भी तो बजट में आप देखिये, सरकार की प्राथमिकता भी वही है, जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकतायें है। हमने एनर्जी लिया, हमने गन्ना किसानों को लिया, हमने हेल्थ लिया, हमने एजूकेशन लिया, यह बजट आप देख लीजिए आप ही इन सब चीजों पर बोल रहे थे। हमारी आवश्यकतायें है, हमने ऐसा नहीं है, हमने उन्ही आवश्यकताओं को सप्लीमेण्ट्री बजट में रखा जो जरुरी है। उत्तर प्रदेश में तीन हजार करोड़ रुपये से ऊपर सड़कों पर खर्च हो रहा है। आप जो बात कर रहे थे, आप के ही मंत्री थे, जिन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क की बात की थी, कोई कहता था कि हेमामालिनी के गाल जैसी सड़कें बन जायेंगी। आप सिर्फ कल्पना करते थे, हमने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखिये। अपनी करतूतों को हम लोगों के ऊपर डालने की जो पद्धति है उसको छोड़ दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

फैजाबाद-बस्ती के मुख्य मार्ग पर लोगों ने आना छोड दिया है। यह हमको ज्ञान सिखा रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें। आप अपनी बात कह चुके?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

वैसे तो माननीय पाल जी अपने को पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं। 24 घण्टे के पूर्व मुख्यमंत्री अपने को मानते है लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं माना।

श्री जगदम्बिका पाल-

उनके साथ तो पांच साल रहे, कह रहे हैं कि अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो 31 मार्च तक बजट पेश करती।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब आप लोग आपस में बात न करें। अग्रवाल जी आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। बजट पास कराना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, कांग्रेस की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केन्द्र सरकार जिस तरह सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कर रही है, जिस तरह हमारे साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जा रहा है, वह भी बहुत उचित नहीं है और उससे मिल भी आपको कुछ नहीं रहा है। आप अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी जरुर कहते होंगे, लेकिन हम लोग तो उसको राज्य स्तर का भी नहीं समझते हैं। आप सड़कों की बात करते है। नेशनल हाईवे को कितना पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा दिया गया?

श्री जगदम्बिका पाल-

साढ़े सात सौ करोड़ रुपये दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेंगे, इतना पैसा लग गया।

श्री हुकुम सिंह-

अनुपूरक में तो प्राविधान नहीं है, अगर हो तो आप बता दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पिछली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है, पारीक्षा की दो यूनिट, हरदुआ में दो यूनिट और कानपुर के पास जो पावर प्लाण्ट है उसमें एक यूनिट ओबरा का रिफ्रिशमेण्ट अभी पिछली कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा सिर्फ इतना कहना था कि बजट में इसका प्राविधान नहीं है। दो सौ करोड़ रुपये का प्राविधान दिखाया उसमें एक पैसे का बजट इस मद में नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सही कह रहा था कि अज्ञानता में ऐसा होता है कभी-कभी बहुत काबिल भी बहक जाते है।....

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

(व्यवधान)

(श्री मुकुट बिहारी वर्मा के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके उपनेता ने पूरी बात कह दी है अब कुछ बाकी नहीं बचा है। आप शांत हो जाए, आप बैठ जाए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत देखनी चाहिए, उद्देश्य देखना चाहिए और प्रशंसा इस बात की करनी चाहिए कि कम से कम यह सरकार बजट की धनराशियों का समय से उपयोग करके उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। जो हम लोग इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे है उस दिशा में आगे बढ़ रही है और, जब आगे बढ़ रही है तो खाली राजनीतिक रूप से विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। कभी-कभी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ कर भी मदद की जाती है और कहा भी जाता है। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी जब अच्छा काम करते है तो हम लोग प्रशंसा करते है कि उन्होंने सही बात कही है। तो इन सब चीजों को राजनीति से ऊपर रखते हुए इस अनुपूरक बजट की मांगों को पास कर दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो। हम लोग यह आश्वस्त करते है कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो भी विकास का कार्य होगा, उसका सभी माननीय सदस्यों को लाभ होगा। एक बार पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आज मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है इस बात को देख करके, मैं आज सोच रहा था कि कृष्णानन्द राय जी की हत्या के मसले पर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सप्लीमेंटरी बजट की चर्चा में लगी हुई, तो ऐसा लगता है कि वह बहुत गंभीर नहीं है कृष्णानन्द राय जी की हत्या के प्रश्न पर। तो मेरा अनुरोध है कि इसे यहीं समाप्त किया जाए और बजट जल्दी पारित करवा दिया जाए। मान्यवर, यह किस दिल के है यह बात आज मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक विधायक मारा गया और आज चर्चा नहीं कर रहे है पता नहीं इन्हें क्या दुश्मनी है कृष्णानन्द राय जी से।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा न कहें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा है क्या वह जवाब सफिशियेंट है या आप भी बोलेंगे। वैसे मुख्यमंत्री जी ने आपको अधिकृत किया है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, अनुपूरक मांगों का ब्यौरा हुकुम सिंह जी के पास सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा टिप्पणी भी उनकी तरफ से है। माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो कुछ भी कहा है वह अपनी राजीतिक मजबूरियों की वजह से कहा है और कुछ अपनी कम इल्मी की बिना पर कहा है। मान्यवर, कम इल्म तो सबसे ज्यादा मै हूँ लेकिन जगदम्बिका पाल जी द्वारा जो कुछ कहा गया और जो वह महसूस करते है उससे हैरत करता हूँ। अभी आपने कहा, एक दिन के मुख्यमंत्री झूठ-मूठ के कैसे हो गये थे, कम से कम उसकी लाज रखनी चाहिए थी। थोड़ी सी जानकारी में अपना इजाफा करते रहते तो वह बातें शायद आज न कहते। क्योंकि आपका बड़ा दल है 6-7 विधायक इस सदन में भी है उनके दल के। एक रिकार्ड कायम किया है उनके दल ने, कहाँ से शुरु होना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए नीचे से, जमानत की भी जमानत जब्त कराने का रिकार्ड कायम किया है। हमें तो उसके लिए उन्हें मुबारकबाद भी देनी चाहिए।

जिस वर्ग के प्रति आप हमदर्दी करते है उस वर्ग को नुकसान पहुँचाने की बड़ी जिहानत से कोशिश करते है। हुकुम सिंह जी ने जो कुछ कहा है उसमें यह लगता है कि वह बजट से मुतअल्लिक कोई बात कह रहे है। लेकिन सदस्य कांग्रेस ने जो कुछ कहा, वह एक मन की पीड़ा है कि उस वर्ग के लिए क्यों कुछ हो रहा है जो 45 साल तक वे कुछ नहीं कर सकें। वह पीड़ा उनके सामने आती है। हुकुम सिंह जी ने अनुपूरक बजट में जो एतराज दर्ज किया था उसके बारे में हमारे साथी ने अपने जवाब में बड़ी तफसील से कहा है कि इस पर तो आपको हमें मुबारकवाद देनी चाहिए, पीठ ठोकनी चाहिए थी कि वह सारी चीजों पर जिस पर खर्च करने का अधिकार सदन ने दिया था वह कम पड़ गया या कम पड़ने वाला है। एक एतराज आपका सही हो सकता था कि आपके विभागों ने आपको सही सूचना नहीं दी।

यह बात भी सही नहीं है, हो सकता था क्योंकि विचार आते जाते हैं और विकास के लिए विचारों का होना लाजिमी है जैसे जैसे विचार आते गये क्या विकास होना चाहिए वैसे वैसे योजनाएं आती गयी। हमारी आमदनी के जरिये कितना अच्छे हैं और कितने ज्यादा है यह भी खुद में एक रिकार्ड है और इस तरह से अपने प्रदेश की आमदनी को हमने बढ़ाया है कि कमजोर से कमजोर आदमी भी इसका एहसास नहीं कर सका कि उत्तर प्रदेश के खजाने को कहाँ से बढ़ाया गया है उनके ऊपर कोई बोझ नहीं आने दिया गया और इसके बाद हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अनुपूरक माँगों को पेश करने की सिर्फ यही वजह है कि हम सड़कों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों के लिए, अवस्थापना निधि के लिए जो एक बड़ी योजना है उसके तहत हम आज यह अनुपूरक मांगे लेकर आये हैं। सड़क एवं सेतुओं के लिए 386 करोड़ रुपये की मांग हमारी, बिजली के लिए 200 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 137 करोड़ रुपये, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 61 करोड़ रुपये, नगरीय निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 60 करोड रुपये, बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के लिए 30 करोड़ रुपये, वनीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये। मान्यवर, 30 नवम्बर 2005 तक राजस्व में 11 हजार 347 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई जो गत वर्ष की इस अवधि की प्राप्ति से 23 प्रतिशत ज्यादा है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक 18290.58 करोड़ बजट अनुमानों के सापेक्ष कर राजस्व की प्राप्ति 19 हजार 780 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो गत वर्ष की प्राप्ति से 3750 करोड़ रुपये अधिक है और 23 प्रतिशत ज्यादा है।

अब एतराज है आपका, एक टेण्डर को लेकर 470 करोड़ रुपये का और बार बार आपकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि टेण्डर नहीं किये गये मान्यवर, उधर से मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दिया जाना चाहिए था और क्यों नही दिया गया और अपने आपको शायद मुजरिम समझा गया। मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत हमेशा यह मानना रहा है कि बड़े टेण्डर्स न किये जायं हो सकता है कि आप मेरी नीयत पर शबहा करें और मुझे यह समझे कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं इस नुक्ता-ए-निगाह से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि समाज का वह छोटा व्यक्ति, वह छोटा काम करने वाला वह छोटा ठेकेदार जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था और बड़े आदमी केा ही बड़ा बनाने की कोशिश की गयी। पहली बार शायद यह कोशिश की गयी है कि छोटे छोटे लोगों को छोटा छोटा काम देकर उनको भी प्रोत्साहित किया जाय और उनको भी जीने का हक दिया जाय। मैंने तो कहा था एक दिन, सदन में कहा था कि कई बार चुनकर आया हूँ इस सदन में लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रिवाल्विंग फंड क्या होता है, अवस्थापना निधि क्या होती है। इस विभाग का मंत्री बने के बाद, दो बार मंत्री भी रहा तब भी मुझे मालूम नही हो सका। लेकिन इस बार नगर विकास मंत्री होने के बाद यह मालूम हुआ कि बहुत बड़ी रकम है जो मंत्री को बांटना होता है। पिछले रिकार्ड देखे गये तो मालूम हुआ कि चार पांच जगहों पर यह पैसा दिया जाता था लेकिन इस बार सवा चार सौ नगर निकायों को दिया

गया ताकि छोटी छोटी नगर निकायों को इसको राहत मिले और बगैर किसी भेदभाव के। इसलिए नहीं कि यह समाजवादी का है यह लोकदल का हैं या भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का है बल्कि जिसको जरुरत थी उसको पैसा दिया गया।

सड़कों का 5 किलोमीटर की घोषणा पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने यहॉ की थी। अगर कहीं यह पैसा नहीं मिला है उन सड़कों की शुरुआत नहीं हुई है तो मैं स्वयं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा और यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो घोषणा हुई थी वह किसी एक दल के लिए नहीं हुई थी और इसका परिणाम है सिर्फ सड़क ही नहीं, नल लगाने के लिए हैन्डपम्प इंडिया मार्का-2 दिये जाने के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि वह किसी एक दल के लिये नहीं, बल्कि पूरे सदन के लिये थे, इसी तरह जितने नल इधर लगे, उतने ही नल उधर लगाये गये, चुनाचें इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मान्यवर, कानून व्यवस्था के सिलसिले में हुकुम सिह जी ने दो हादसों का जिक्र किया है और मैंने उसी वक्त अर्ज किया था, लेकिन अब रिकार्ड करवाने की नीयत से कह दूँ। हम तो उम्मीद यह करते हें कि हमारी जानकारी में कुछ बढ़ोत्तरी होगी, हमें कुछ जानकारी मिले और अक्सर इनकी बॉतों से हमें जानकारी मिलती भी है, यह बिल्कुल सच है। लेकिन आज जो दो जानकारियॉं इनके द्वारा दी गयी थीं, वह बहुत पुरानी हो गयी है। अखबारों में इसे पढ़ा जा चुका है, उस पर टिप्पणी भी हो चुकी है। अगर कोई नई बात कही जाती, जानकारी के लिहाज से कही जाती तो अच्छा होता। आज तो कोई घटना होती है, उधर टेलीविजन के परदे पर सब नजर आ जाता है और सिलसिले से कार्यवाही भी हो जाती है। मैं तो उनसे उम्मीद कर रहा था कि इन वाकेओं का जिक्र न करके वह कोई सुझाव देंगे, कोई नई बात कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जब नेता सदन ने यह चाहा था कि उनकी तरफ से इस गंभीर हादसे के ऊपर बहस हो, एक विधायक की हत्या के गंभीर मामले पर बहस हो और यहॉं तक नेता सदन ने कहा कि यदि अपने तर्कों से मुतमईन कर दीजियेगा तो मैं सी0बी0आई0 जॉंच के लिये तैयार हो सकता हूँ। लेकिन तब चर्चा के लिये आप तैयार नहीं हुये, कल क्यों नहीं हुये इसलिये कि आप समस्या का निदान और समाधान नहीं चाहते थे, आप उस पर इसलिये भी बहस नहीं चाहते थे कि आप सुनना नहीं चाहते थे। आपने इसलिये भी कल उस पर बहस नहीं चाही क्योंकि इस हत्या के बाद जिन नतीजों की आप अपने पक्ष में उम्मीद करते थे, वह नतीजे भी आपके पक्ष में नहीं आ सके। आपको इससे सीख लेना चाहिये और समझना चाहिये कि देश और देश की जनता की मानसिकता यह है कि जनता चैन चाहती है, अमन चाहती है, यह छोटा है, बड़ा है, इससे मुक्त समाज चाहती है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सैय्यद पठान, पंडित, ठाकुर इससे मुक्त हिन्दुस्तान चाहती है। इससे मान्यवर, इनको सीख लेनी चाहिये और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकुम सिंह जी अपनी सारी टिप्पणियों को वापस ले लेंगे। आपके बारे में मैं यही कहता हूँ कि हमारे यहॉं एक मिसाल दी जाती है कि फलॉं साहब लम्बे थे, इल्ला इल्मा के माने सिवाए और फलॉं साहब छोटे थे, इल्ला। आमतौर पर लम्बे आदमी के लिये यह माना जाता है कि वह कम समझदार होता है, लेकिन हुकुम सिंह जी मैं तो यह मानता हूँ कि वह जेहानत जेहानयत ही क्या, जिसे लोग समझ जायें और वह पकड़ी जाय। आपकी बात को आपके दल में समझने वाले लोग कम हैं, जो आप चाहते हैं, वह यह समझ नहीं पाते। अब देखिये आपके पड़ोसी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आपके भी तो नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

मेरे नहीं है, इसीलिये तो मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ। एक बात रामपुर की कही गयी, मुझे लगता है कि जगदम्बिका पाल जी की मालूमात कम रहती है। यहॉं हम मौलाना मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल पास किये, लेकिन राज्यपाल जी के यहॉं सबसे ज्यादा शिकायत करने वालों में जगदम्बिका पाल जी ही थे। यह

मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है क्योंकि उससे लाभ उस व्यक्ति को नहीं था, समाज को था। उस समय इसका सबसे ज्यादा एतराज जगदम्बिका पाल जी को हुआ था। और आज मान्यवर, उस शहर में, जो ऐतिहासिक रियासत रहा है, (पूर्व सांसद ने अपने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उस चीनी मिल को साजिश के तहत बन्द कराया।) आप उनके कारिन्दे की हैसियत से यहाँ पर सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

बाद में कह लीजिएगा, आप उनके कारिन्दे की हैसियत से.....

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। उत्तर प्रदेश की कितनी चीनी मिलें आज बन्द है ओर अगर इनकी चीनी मिलें चल रही है समग्र पुनर्वास में तो मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा और इसके लिए सरकार को यह भी नहीं कहूँगा कि सरकार बधाई की पात्र है। मेरे पूर्वांचल की कितनी चीनी मिलें बन्द है, अगर मैं उनका उल्लेख करूंगा तो यह हमें कारिन्दे कहेंगे तो इनसे बड़ा जाहिल कौन होगा? संसदीय कार्यमंत्री इस तरह की भाषा प्रयोग करेंगे तो मान्यवर, यह इस सदन को शोभा नहीं देता। यह शर्म की बात है कि इस तरह के लोग संसदीय कार्यमंत्री है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, हम तो समाज के कारिन्दे हैं, रिक्शे वाले के कारिन्दे हैं, बीड़ी बनाने वाले के कारिन्दे हैं, पत्थर तोड़ने वाले के कारिन्दे है, मैं तो समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का कारिन्दा हूँ, सेवक हूँ और आप तो पूर्व सांसद के कारिन्दे हैं। सेवक शब्द है कारिन्दा, इसलिए मैं सेवक हूँ। आप तो अरबी-फारसी मदरसे के बहुत बड़े वकील है, आपकी इल्म और मालुमात तो बहुत ज्यादा है, लिहाजा आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह चीनी मिल नयी नहीं लग रही है। इस मिल को हमने पूर्व सांसद को खरीदने नहीं दिया, यह चीनी मिल चल नहीं सकी, इसलिए इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा लगाया जा रहा है। एक ऐसा शहर जहाँ पिछले 58 सालों में अस्पताल तक न बनाया गया हो, उसके बारे में आपकी पार्टी ने कभी परेशानी जाहिर नहीं किया। इस मिल में तीन हजार मजदूर पिछले 10 वर्षों से घर बैठकर तनख्वाह ले रहे है तो यह समाज का बड़ा नुकसान है या मात्र 25 करोड़ रुपए लगा देने से यह मिल चला देना, यह बड़ा नुकसान है। चूँकि यह चीनी मिल रामपुर की है, इसलिए आपको इससे एतराज है चूंकि पूर्व सांसद उस मिल को नहीं खरीद सकी, इसलिए आपको इससे एतराज है, यह एतराज खेदजनक है। मैं इन अनुपूरक माँगों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो शब्दों का अभी आदान-प्रदान हुआ है, कृपया आप कार्यवाही देख लें और अगर कोई शब्द असंसदीय हो तो उसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इसे देख लूँगा और यदि कोई शब्द असंसदीय हुआ तो उसे कार्यवाही से निकलवा दूँगा।

श्री हुकुम सिह-

मान्यवर, मैं केवल स्पष्टीकरण पूछ रहा हूँ। मैंने एक बात कही थी कि लगभग 475 करोड़ रूपए जो विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकार हुई थीं, टेण्डर न करा करके दो-दो लाख, तीन-तीन लाख रूपए के वर्क आर्डर जारी किये गये, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद संसदीय कार्यमंत्री आते हैं, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात सरकार की नीति मानी जाती है। यह सरकार संविधान के अन्तर्गत गठित है, सरकार के द्वारा संविधान की धाराओं का पालन होना चाहिए। हमारे यहाँ फाइनेंसियल

हैण्डबुक है और उसमें यह प्राविधान है कि कितनी कम रकम के टेण्डर करना लाज़मी है। आप 475 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और टेण्डर नहीं कर रहे है तो यह फाइनेंसियल हैण्डबुक का उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन है। आपने संविधान की शपथ ली है कि संविधान के अन्तर्गत काम करेंगे और टेण्डर न करा करके आप लोगों की जेब गर्म कर रहे है। क्या आपको यह अच्छा लगेगा कि जो पैसा स्वीकृत हो करके गया है, वह किसी की जेब में चला जाए? मान्यवर, आप हमारी बातों का संज्ञान लें और संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा है, उसका भी संज्ञान लें। इसका परीक्षण कराईये, अगर बिना टेण्डर किये, जिनका टेण्डर होना चाहिए, विधि के अनुसार कोई खर्च नहीं हो रहा है तो वह खर्च संविधान के प्रतिकूल है, उसका परीक्षण सदन के द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए यह मेरा कहना है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा तो मैं कहना चाहता हूँ कि टेण्डर हुआ, गोली बारूद चली। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अभी पैक्ट में प्रदेश का सबसे बड़ा टेण्डर 55 करोड़ का एक टेण्डर निकाला सुल्तानपुर में, वहाँ पर घण्टों गोलियां चली। इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की और हमने प्री-क्वालिंगफाई टेण्डर आमंत्रित किया। 6 बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ आयी हैं। मान्यवर, चूंकि यह योजनायें समय पर पूरी करनी थी। इस सरकार ने देखा कि सिंचाई विभाग में बहुत सी परियोजनायें, योजनायें जो वर्ष 1974, 1977 व 1994 से अधूरी पड़ी है और जिसमें जितना पैसा खर्च होना चाहिए उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और वह पूरी नहीं हो रही है। जैसे टिहरी जलाशय के ऊपर 7500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसका 80 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च हुआ है। उस परियोजना को सरकार ने दिल्ली की पानी की माँग पर उठाकर फलीभूत कराया। इस सरकार ने तय किया है कि अधूरी परियोजनायें वर्ष 2006 तक पूरी करेंगे और इसका भी टेण्डर हुआ था तो लड़ाई-झगड़ा हुआ। व्यवस्था चूंकि जितनी पारदर्शी सिंचाई विभाग ने की है टेण्डर में माफिया न आये, एक परियोजना का टेण्डर 3 जिलों में पड़ता है। पहले व्यवस्था थी कि टेण्डर 1 से 7 तारीख तक बेचा जायेगा और केवल 7 तारीख को पड़ेगा। अब इस सरकार ने यह कर दिया है कि जिस दिन से बेचा जायेगा और अगर कोई डालना चाहता है तो वह जाकर डाल सकता है जिससे कोई माफिया एक दिन नाकेबंदी करके न रोक सके। टेण्डर की व्यवस्था इतनी पारदर्शी है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एक यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन है, पिछली सरकार ने तय कर दिया है कि यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को भी इतना काम देना है। वह भी सिंचाई विभाग का ही कारपोरेशन है। तो उसे भी इतना काम देना चाहते है और बहुत से काम दिये जाते हैं जिससे उसके कर्मचारियों को तनख्वाह मिल सके। यह बात पिछली सरकार ने तय किया है कि यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े कार्य दिये जायेंगे जिसको वह करायेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी परिवहन मंत्री जी ने कहा कि पिछला बजट 31 मार्च को पास हुआ था, यह सही बात है। 9 महीने पूरे हो गये है बजट पास हुये। उस बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि 100 हैण्ड पम्प विधायकों को देंगे, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में पैसा ही नहीं दिया गया तो ऐसा अनुदान स्वीकृत करने से क्या फायदा?

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी कि सभी के क्षेत्रों में पैसा चला गया है।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, हम लोगों के क्षेत्रों में पैसा नहीं गया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं सरकार से चाहूँगा कि जो 100 हैण्ड पम्प की घोषणा की थी तत्काल उसका पैसा रिलीज हो। इसी तरह से 5 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को देने की घोषणा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने की थी।

श्री अध्यक्ष-

लोक निर्माण मंत्री जी ने कह तो दिया कि मिलेगा। संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा कि मिलेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम बजट में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पक्ष-विपक्ष में भेदभाव नहीं करेंगे और अपूर्ण कार्यों को पूरा करने में वरीयता से विचार करेंगे। पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में सरकार ने स्वीकृतियाँ की थी उसका कुछ कार्य हो गया है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि उसको भी पूरा कराने के लिए यह सरकार पैसा दे जिससे कि उसका उपयोग हो सके। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करते हैं तो सरकार की क्रिडीविलिटी बननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के है, मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी ने यह बातें कह दी है। अब आप बैठिये, आपकी हैण्ड पाइप वाली बात आ गयी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बजट पर नहीं बोले तो स्पष्टीकरण का अधिकार प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी टोल-टैक्स समाप्त करने की। इलाहाबाद में दो पुल है-शास्त्री पुल और फाफामऊ का पुल, मैं चाहूँगा कि इस पर निर्णय ले करके स्पष्ट घोषणा कर दें कि यह समाप्त किया जाता है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आप 9 महीने का प्रतीक्षा क्यों करते रहे हैं?

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण पूछना चाहती हूँ। अभी रामपुर चीनी मिल के विस्तारीकरण के बारे में मंत्री जी ने बताया है। मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि बुढ़वल चीनी मिल में 1989-90 मुख्यमंत्री जी ने वहाँ शिलान्यास किया था। करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी गई थी उसको भी विस्तारीकरण में जोड़ लिया जाय। पूर्वांचल विकास निधि से जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य कराया जा रहा है वह अधूरा छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए वर्ष घोषित कर रखा था हमारे क्षेत्र में हेतमापुर का बहुत बड़ा क्षेत्र नदी में कट जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब काफी चर्चा हो चुकी है। आप इस विषय को काफी बार उठा चुकी है।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा-

बार बार कहा जाता है लेकिन सुनवाई नहीं होती है।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहूँगा समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो ग्राम हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों से मांगे गए थे उनकी एक बार आप समीक्षा कर लें इसमें कहीं कोई प्रगति नहीं है। काम नहीं हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मेरा सुझाव यह है कि थोड़ा जाया भी कीजिए तभी पता चलेगा कि काम हो रहा है आपके कहने से काम भी होगा। वहाँ जाने की आदत डालिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं बजट ले रहा हूँ।

अनुदान संख्या-2 आवास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत 10,05,50,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत 10,05,50,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-3 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,50,06,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत 5,50,06,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 4,75,99,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 4,75,99,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 52,63,61,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 52,63,61,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,00,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेई)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 98,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 98,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 13,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 13,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,62,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,62,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 27,31,02,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 27,31,02,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,67,98,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,67,98,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेई)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 70,47,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 70,47,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 65,97,92,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत 65,97,92,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 72,41,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 72,41,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,25,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,25,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 23,81,33,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 23,81,33,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 13,32,01,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 13,32,01,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होम गार्डस, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,14,25,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,14,25,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 26,40,73,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 26,40,73,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,09,13,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,09,13,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,80,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,80,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 20,30,58,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 20,30,58,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,50,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,50,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 68,01,22,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 68,01,22,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

होम गार्डस प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाहिद अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 59,90,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत 59,90,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 3,00,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-42 नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-42 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,94,64,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,94,64,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 8,30,80,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 8,30,80,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 46,52,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 46,52,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या [illegible]म वक्फ विभाग

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शा[illegible]र अ[illegible]

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 8,34,88,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 8,34,88,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,49,25,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,49,25,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 5,66,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 5,66,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 54,65,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 54,65,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

लोक निर्माण कृषि, निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 30,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)

लोक निर्माण कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 50,00,04,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत 50,00,04,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

लोक निर्माण, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 10,72,88,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 10,72,88,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 40,66,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 40,66,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखाप्रशासन) के अन्तर्गत 9,29,75,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखाप्रशासन) के अन्तर्गत 9,29,75,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,15,52,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,15,52,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,62,82,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,62,82,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान

संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,01,000 रुपए की द्वितीय अनु[illegible] मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,01,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 11,55,18,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 11,55,18,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,08,99,03,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,08,99,03,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 12,82,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 12,82,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 80,25,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 80,25.000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 4,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,22,22,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,22,22,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 50,30,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 50,30,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 21,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 21,00,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 9,73,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 9,73,37,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 24,60,10,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 24,60,10,000 रुपए की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड- 2 से खण्ड - 3 तक अनुसूची खण्ड - 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005

31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2005-2006 के लिए 1362,56,90,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1362,56,90,000 रुपये (एक हजार तीन सौ बासठ करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	...	2211	2211
		पूंजी :	...	...	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	550	...	550
		पूंजी :	100000	...	100000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	5006	...	5006
		पूंजी :	50000	...	50000
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	100000	...	100000
		पूंजी :	....	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	47599	...	47599
		पूंजी :	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	140001	...	140001
		पूंजी :	386360	...	386360
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	2000000	...	2000000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	9800	2343	12143
		पूंजी :	...	...	0
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	130000	...	130000
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	...	25	25
		पूंजी :	16200	...	16200
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	273102	...	273102
		पूंजी :	...	...	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	10402	...	10402
		पूंजी :	6396	...	6396
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	7047	...	7047
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	...	1754	1754
22	खेल विभाग	राजस्व :	11000	...	11000
		पूंजी :	648792	...	648792
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	7241	...	7241

--(क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	1000000	...	1000000
		पूंजी :	250000	...	250000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	238133	...	238133
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	19469	...	19469
		पूंजी :	113732	...	113732
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	11425	...	11425
		पूंजी :	....	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा	राजस्व :	84969	...	84969
	एवं प्रशिक्षण)	पूंजी :	179104	...	179104
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	6099	...	6099
		पूंजी :	44814	...	44814
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक	राजस्व :	980	...	980
	एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	2000	...	2000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	436	...	436
		पूंजी :	1	...	1
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	203058	...	203058
		पूंजी :	...	...	0
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	85000	...	85000
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	680122	...	680122
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	5990	...	5990
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3000000	...	3000000
42	न्याय विभाग	राजस्व :	9464	...	9464
		पूंजी :	10000	...	10000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	2250	...	2250
		पूंजी :	80830	...	80830

--(क्रमश) :

1	2		3		
अनुदान/ कंडिका	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	4652	...	4652
		पूजी :	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	1	...	1
		पूजी :	1336	...	1336
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	1	...	1
		पूजी :	83487	...	83487
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	24925	...	24925
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	56600	...	56600
		पूजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	5465	...	5465
		पूजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	...	12238	12238
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	300000	...	300000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	600000	...	600000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)	राजस्व :	500000	...	500000
		पूजी :	4	...	4
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	16750	...	16750
		पूजी :	90538	...	90538
60	वन विभाग	राजस्व :	3	...	3
		पूजी :	4063	...	4063
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	92975	...	92975
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	10152	447	10599
		पूजी :	1400	...	1400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	55205	485	55690
		पूजी :	1077	...	1077
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	201	...	201
		पूजी :	...	...	0

--(समाप्त) :

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	51864	...	51864
		पूजी :	63654	...	63654
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	3001	...	3001
		पूजी :	1086902	...	1086902
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	55700	...	55700
		पूजी :	72500	...	72500
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	2500	...	2500
		पूजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	8025	...	8025
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	4	...	4
		पूजी :	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1	...	1
		पूजी :	22221	...	22221
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	5030	...	5030
86	सूचना विभाग	राजस्व :	2100	...	2100
		पूजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)	राजस्व :	...	63130	63130
		पूजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	13075	...	13075
		पूजी :	84262	...	84262
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	0
		पूजी :	246010	...	246010
	योग	राजस्व :	2940923	68641	3009564
		पूजी :	10602134	13992	10616126
	महायोग :		13543057	82633	13625690

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया है कि मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इस संस्थान की आवश्यकता क्या है और किन कारणों से इसे बनाया जाय। खाली मन में आया, आपका बहुमत है, संसाधन आपके हाथ में है जब चाहें कुछ बना लें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

आपने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी यही किया।

श्री हुकुम सिंह-

आप उसे मन से नहीं चाह रहे हैं। हम तो पक्ष में हैं।

श्री हुकुम सिंह-

यहाँ पर विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों में जो विधि के विभाग बने हुए हैं उनकी हालत क्या है उन विधि के विभागों को सुधारने का कोई प्रयास सरकार की तरफ से किया गया क्या, भवन खंडहर होते जा रहे हैं, पुस्तकालय है नहीं, पढ़ाने वालों की संख्या कम होती जा रही है, विश्वविद्यालयों के आर्थिक संशाधन कम होते जा रहे है उनको सुधारने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप बता सकेंगे कि कितना कितना पैसा आपने उन विभागों को सुदृढ़ करने के लिए दिया। आप एक नये संस्थान का प्रस्ताव ले आये इसको लाने के

पहले यह विचार करना चाहिए था कि वर्तमान में जो व्यवस्था है इसमें सुधार करने की आवश्यकता अगर है तो उसकी व्यवस्था का प्रस्ताव भी आप लाये होते। 2-3 बाते मैं विशेषरूप से करना चाहूँगा यह संस्थान खाली रिसर्च का संस्थान नहीं है यहाँ रिसर्च के साथ साथ छात्र जायेंगे पढ़ेगें, उनको डिप्लोमा भी दिया जायेगा, डिग्री भी दी जायेगी लेकिन मान्यवर, यह बताइये इस डिप्लोमा और डिग्री की कीमत क्या होगी, उसकी मान्यता क्या होगी उत्तर प्रदेश में मैं मान सकता हूँ कि डिग्री की मान्यता हो जायेगी लेकिन उनकी और जगह क्या मान्यता होती। मान्यवर, जितने विश्वविद्यालय है आपके यह यूजीसी से मान्यता प्राप्त होते हैं और उससे मान्यता प्राप्त होने का आशय यह होता है कि तमाम भारत में उसकी मान्यता होती है जो केवल उत्तर प्रदेश के विधान सभा द्वारा या विधानमंडल के एक्ट द्वारा कानून बनेगा उसकी मान्यता उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अन्तर्गत रह जायेगी और अगर वह जायेगा आपकी डिग्री को लेकर बाम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात में नौकरी करना चाहेगा तो उसकी डिग्री की मान्यता नहीं होगी जैसे एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की मान्यता है लेकिन उस संस्थान की डिग्री की मान्यता उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है तो इसकी भी हालत वही होगी। मान्यवर, एक महापुरुष के नाम से यह संस्थान बनाने जा रहे है जिसे प्रदेश ही नहीं देश की सीमा में नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके विचारों के बड़े फालोवर है। उनके नाम से जो संस्थान बनाने जा रहे है उस संस्थान की स्थिति क्या है, कभी आपने विचार किया? इसके अलावा आपने इसमें प्राविधान किया कुलाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आपने कुलाध्यक्ष बनाया। आपको जानकारी है कि जो पदेन इस वक्त जो भी होंगे मुख्य न्यायाधीश, वह कभी भी इसके कुलाध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि लिटिगेशन में मामला जा सकता है, कहीं विवाद में मामला जा सकता है तो कभी भी ऐसी जगह बैठना पसन्द नहीं करेंगे। आपने इसका विकल्प बताया कि अगर वह मना कर देंगे तो रिटायर आदमी को बना देंगे, राज्य सरकार नामित कर देगी। सीधी सीधी बात यह है कि आजम साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, सरकार का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आम तौर पर व्यवस्था यह चली आई है कि जितने भी विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति या कुलाध्यक्ष राज्यपाल होते आये हैं। अब राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल को इस सारे संस्थानों से सारी व्यवस्थाओं से कैसे दूर रखा जाय उसका रास्ता इन्होंने निकाल लिया है और इतना बड़े पद का नाम दे दिया जिसके ऊपर कोई विवाद न हो वह बनेंगे नहीं तो उसके साथ आपने विकल्प बता दिया कि वह बनेंगे नहीं तो हम किसी रिटायर आदमी को बना देंगे, बनाकर करेंगे क्या? उनके पास समय है इतना? और कहाँ उनको इतनी रूचि है। पदेन सदस्य इसमें कुछ हैं उसको कृपापूर्वक देखने का कष्ट करें। यह धारा 9 है इसमें पदेन सदस्य है और पदेन सदस्य में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री है ठीक है, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, विभिन्न प्रकार के मंत्री है, जजेस भी हैं और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित जज भी है। बार कौंसिल के अध्यक्ष भी हैं एक और अध्यक्ष रह गये यहाँ पर जहाँ माननीय मुख्यमंत्री हो सकते हैं, न्यायालयों के जज हो सकते हैं तो क्या विधान सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते है उसमें क्या उनसे क्या शिकायत है आपको? आपने मुख्य न्यायाधीश रखे, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित और लोग भी रखे। मैं मानता हूँ कि आपने विधान सभा के अध्यक्ष का मान रख लिया कि उनके द्वारा नामित दो सदस्य हो जायेंगे लेकिन वह खुद क्यों नहीं होंगे? जब मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं और उनके द्वारा नामित भी हो सकते हैं तो विधान सभा अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते। मान्यवर, यह एक ऐसा स्थान है माननीय अध्यक्ष का कि जो भी हो उनका सारे सदस्य सम्मान करते है, निष्पक्ष उनको माना जाता है। अच्छा होता कि जहाँ सम्मान आप मंत्रियों को दे रहे है औरों को दे रहे है एक छोटा सा सम्मान उनकी तरफ भी चला जाता यह भी अच्छा निर्णय हो जाता। तो फिर विधान सभाध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? यह एक ऐसा स्थान है विधानसभाध्यक्ष का, कि जो भी यहाँ पर हो, उनकी तरफ सारे सदन का सम्मान रहता है और उसे निष्पक्ष माना जाता है। इस कारण आज जहाँ आप मंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान आपका इधर भी चला जाता तो अच्छा रहता। एक और व्यवस्था इसमें की गयी है कि

कार्यकारिणी समिति इनकी जो बनेगी, आपने उसमें यह कह दिया कि छात्रों का आरक्षण। ओ0बी0सी0, जनजाति जिस वर्ग का भी हो, उसके लिये उनके विवेक पर छोड़ दिया, इसका आपने प्राविधान क्यों नहीं किया कि इस तरह इंन वर्गो का आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। इस चीज को विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिये। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मान्यवर, इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, केवल प्रदेश सरकार की दया दृष्टि पर चलेगा या फीस से चलेगा। फीस से तो गुजारा होता नहीं, तो यह कैसे चलेगा। पिछले कुछ दिनों से इस प्रदेश में लोगों की आस्था विभिन्न दल के महापुरुषों में आती जाती रही है। जिसने जहाँ चाहा, अपनी आस्था व्यक्त कर दी। हालाँकि मैं तो इस बात का प्रशंसक हूँ कि आपकी आस्था डा0 लोहिया में है। मैं इसमें कहना यह चाहता हूँ कि जिनकी आस्था कहीं और होगी, वह इस संस्थान को बरबाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि ऐसे संस्थान का गठन किया जाय, गठन का आकार यह हो कि इसमें निरन्तरता बनी रहे और कोई आकर अस्थिरता का माहौल पैदा न कर सके। जो मैंने संशोधन दिया है, उस पर विचार नहीं हुआ है, पूरी तरह विचार नहीं किया गया है, यदि किया गया होता तो शायद यह नौबत न आती। इस विधेयक में मूलभूत कमियाँ है, मौलिक कमियाँ है जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप इस विधेयक की धारा 6(1) को देखें इसमें दिया है कि संस्थान की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्थान के अध्यापकों द्वारा, महापरिषद् के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे। इस मान्यता प्राप्त शब्द का अर्थ क्या है, क्या निष्कर्ष आप निकालना चाहते हैं। शब्द तो आपने लिख दिया मान्यता प्राप्त, यह किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस विधेयक में कई खामियाँ है और इसमें कोई जल्दी वाली बात नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, 10-15 दिन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इस पर फिर से विचार हो जाय, उसके बाद इस विधेयक को ले आयें।

डा0 नरेद्र कुमार सिह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 लाया गया है, जिसके संबंध में माननीय हुकुम सिंह जी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं भी इसके संबंध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। किसी भी प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज उच्च शिक्षा के संस्थान होते है। अभी तक परम्परा यह रही है कि विश्वविद्यालय हमारा स्वायत्त संस्थान होता है। मैंने इस विधेयक को ध्यान से पढ़ा है इसमें इस संस्थान को विश्वविद्यालय से ऊपर स्थान देने का प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालय से ऊपर का दर्जा आप प्रदान कर रहे है लेकिन क्या इसमें स्वायत्तता है। मुझे तो यह लगता है कि केवल यह विश्वविद्यालय का सरकारीकरण किया जा रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा और जैसा हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि इसमें है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे। मुख्य न्यायाधीश के पास इतना समय नहीं होता, अगर उन्होंने इस पद को नहीं लिया तो इसमें आगे व्यवस्था की गयी है कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं देते है तो राज्य सरकार भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को संस्थान के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये ऐसी रीति और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जायें, नामनिर्दिष्ट कर सकती है। मतलब कोई रिटायर मुख्य न्यायाधीश को सरकार नियुक्त कर सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि उसकी आयु क्या होगी? 65 साल पर तो वह रिटायर ही होते है और क्या इससे अधिक आयु का मुख्य न्यायाधीश इस संस्थान का अध्यक्ष बनना स्वीकार करेगा, मुझे लगता है कि मान्यवर, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे बड़ा सवाल आयेगा कि कुलाध्यक्ष कौन बने? इसमें स्पष्ट बात कही गई है कि मुख्य न्यायाधीश भारत के नकारने पर कैसे बनाया जाएगा।

मान्यवर, आपकी जो सबसे बड़ी संस्था है, उसको महापरिषद् कहा गया है। महापरिषद् के जो पदेन

सदस्य है वह मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश है। मान्यवर, सरकारें आयेंगी जाएंगी, कभी आपकी सरकार रहेगी और कभी किसी दूसरे दल की सरकार रहेगी। कोई भी विश्वविद्यालय के अन्दर अभी तक कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी पद पर नहीं रहा क्या यह राजनीतिकरण नही होगा? यदि इन पदों पर मंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्या इस प्रकार से संस्था का राजनीतिकरण नहीं होगा? क्योंकि एक संस्था बन रही है, अच्छी संस्था बन रही है, डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर बन रही हे, लेकिन राजनीति के आधार पर इसमें महापरिषद् का नामांकन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इसके पदेन सदस्य होंगे, विधि मंत्री होंगे, उच्च शिक्षा मंत्री होंगे और इसके साथ-साथ प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, प्रभारी सचिव, वित्त विभाग और प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग होंगे। मान्यवर जब इतने सारे के सारे लोग एक तरह से ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए रहेंगे तो किस तरह से यह संस्था स्वायत्त रह सकेगी? यह बहुत बडा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो हमारी महापरिषद है इसमें भी ब्यूरोक्रेट या राजनीति के लोग है, इसलिए सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार कर ले कि शिक्षाविद् और जो व्यक्ति विधि के जानकार हों, ऐसे लोगों को इसमें रखा जाए। जो दूसरे कटेगरी की गई है, महापरिषद् में नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति। इसमें भी उत्तर प्रदेश से लोक सभा के दो सदस्य, जिसमें से एक सत्तापक्ष से और दूसरा विपक्ष से, जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। इसमें किसी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। इसमें भी अर्हता होनी चाहिए, उन्हें विधि का जानकार होना चाहिए, दो सांसद तो कोई भी हो सकते है। इसी तरह से विधान सभा के दो सदस्य जिसमें से एक सत्तापक्ष से और दूसरा विपक्ष से, इसमें भी मान्यवर, अर्हता निर्धारित होनी चाहिए। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा। इसमें भी राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी, कौन हमारी पाकेट का है, उसी को बनाया जाएगा। इसमें क्यों न ऐसा किया जाए कि जो सबसे वरिष्ठतम् कुलपति हो, वह इसका सदस्य हो। इसी तरह से विधिक क्षेत्र में प्रशिक्षित पाँच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। इसमें भी राज्य सरकार नाम-निर्दिष्ट करेगी। इसी तरह से इसमें जो महापरिषद् के अध्यक्ष है, वह माननीय मुख्यमंत्री होंगे। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि सारे के सारे लोग राजनीति के आधार पर होंगे। जो कार्यपरिषद् का गठन किया जाएगा, उसमें कहा गया है कि कार्यपरिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, एक निदेशक, यह तो ठीक है। महापरिषद् के तीन सदस्य, जो महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। यानि कि यह भी पोलिटिकल हो जायेगा। कार्यपरिषद् में प्रभारी सचिव, न्याय, प्रभारी सचिव, वित्त और प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे। दो प्रख्यात शिक्षाविद् विधि के जानकार होंगे। इसलिए इसमें मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर ले। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार कर ले।

कृषि, धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है, इस पर किसी भी तरह के संशोधन का औचित्य नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में डॉ0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान एक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गरिमा का स्थापित हो, यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं पर भी कोई ऐसा संस्थान नहीं है, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हो और जहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कानूनविद् तैयार हो सकें, इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। सरकार की शिक्षा के प्रति जो अभिरूचि है, जो प्राथमिकता है और उत्तर प्रदेश में इस तरह का संस्थान स्थापित हो, पहली बार इतना बड़ा शासकीय निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के नक्शे पर उत्तर प्रदेश को स्थापित करने का काम किया गया है, इसके लिए सरकार की जितनी सराहना की जाए वह कम है। जिन बिन्दुओं की ओर हुकुम सिंह जी और डा0 गौर ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी पारदर्शी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है उसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं है। लोकतंत्र में सदन सर्वोच्च होता

है और सदन के नेता अगर कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष हों तो इससे ज्यादा निष्पक्ष स्थिति क्या हो सकती है? कुलाधिपति के रूप में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश को रखने की बात है, न्याय के क्षेत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति माना जाता है, उसको नामित करने में आपको आपत्ति है। मुख्य न्यायाधीश सहमत नहीं होते हैं तो अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश को इसमें रखने की व्यवस्था की गयी है। जो भी स्थान रखे गये है। और जो सदस्य इस समिति में नामित होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, न्याय, वह भी एक न्यायमूर्ति के ही समकक्ष होते हैं, प्रमुख सचिव, वित्त और प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को रखा गया है। ये पद जो सार्वजनिक प्रक्रिया है, सबसे ज्यादा निष्पक्ष पदों को इस कार्य परिषद् में रखा गया है कहीं पर भी पक्षपात नहीं है। दो सदस्य लोक सभा के होंगे, एक सत्तापक्ष का दूसरा विपक्ष का होगा। मैं समझता हूँ कि आज तक कभी कोई विधेयक ऐसा नहीं आया जिसमें इतनी पारदर्शिता के साथ व्यवस्था की गयी हो। अगर आप इसमें संशोधन की बात करते है तो मुझे लगता है कि आपने इसे पढ़ा नहीं है। इतनी पारदर्शी व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है, संस्थान की उत्कृष्टता बनाये रखने के लिए। देश के माने हुए कानून विदों को रखने का प्रयास किया गया है। यह ऐसा संस्थान बनेगा हिन्दुस्तान में जो प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम करेगा। महाराष्ट्र में लॉ इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में लॉ इंस्टीट्यूट है, हमारे प्रदेश की 17 करोड़ की आबादी है लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जितनी बधाई दी जाए वह कम है। खुद लोहिया जी चाहते थे कि उनके जीवन में प्रदेश में एक उत्कृष्ट विधि संस्थान बने। उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया गया है इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपके मनों में कहीं संदेह है, लेकिन इसमें कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं है। जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ व्यवस्था इस विधेयक में की गयी है उससे अधिक हो नहीं सकती है। इसलिए किसी प्रकार के संशोधन और समिति को देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसको यथास्थिति में पूरा करने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधि संस्थान के बारे में बात आयी, अभी गौर साहब ने कहा कि इसका सरकारीकरण कर दिया गया है। हमारे योग्य मंत्री डा0 अशोक बाजपेयी जी ने अच्छी तरह से इसके बारे में बताया। क्या डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने लॉ पास किया था? आप वहीं होंगे जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के केस में बहस की थी। उस समय हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के वकील अलग-अलग खड़े रह गये थे। इतनी उच्च बहस में हिस्सा लिया था वह एक इतिहास बना है। वह केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए इतिहास है। खुद अपने केस की पैरवी की थी। पासी आन्दोलन में हजारों आसपासी आन्दोलन में फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार में बंद थे, उसी आन्दोलन में मैं भी जेल में बंद था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी बहस की थी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ । 1975 में हमारी विधान सभा जसवंतनगर को अनुसूचित जाति में किया जा रहा था और वकील श्री शंकर तिवारी जी हमारे जिले के लोक सभा के मेम्बर हो चुके हैं तो बहुत अच्छे वकीलों में से है। हम भी बहस कर रहे थे तो उन्होंने मेरे पैर हटाये और कहा कि आप हटिये, मैं बहस करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के थे जब बहस की गई। तो अध्यक्ष महोदय, जो हम चाहते थे वही हुआ। एक अन्य उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील पाण्डे जी हमारे साथी थे, वह विरोध कर रहे थे कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दो। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील खड़े किए गए। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें रामगोपाल जी ने हमसे कहा कि हम खुद बहस करेंगे। आप चाहें तो हम आपको जजमेंट दिखा सकते हैं। उसमें श्री टी0एन0शेषन ने राम पाल की बहस के तर्कों को अच्छा माना और मानकर जजमेंट हमारे पक्ष में दिया। वह हमारे पास रखा है। आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे। हम सब लोग नियमावली पढ़-पढ़कर कार्य कर रहे हैं। श्री गौड़ साहब विद्वान प्रोफेसर है लेकिन जनप्रतिनिधियों के बारे में इस सदन के भीतर ऐसा करके हमारे प्रतिनिधियों का अपमान मत कीजिए। आप

हीन भावना के शिकार हो गए लग रहे है। आप जैसे प्रोफेसर जो पढ़े लिखे होकर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य है लेकिन हीन भावना आपके अन्दर आ गई है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी बातों में जलन है वरना इस तरह की बातें नहीं करते कि ला पास हो। क्या हम लोग ला नहीं जानते? हम लोग पार्टी के अन्दर बहुत से ऐसे काम करते हैं। चाहे पर्चा दाखिल करने का मामला हो या दूसरा मामला हो वह अच्छे से अच्छा प्रोफेसर नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े वकील पर्चा भराते हैं चौधरी साहब का पर्चा हरियाणा में खारिज हो गया वह बड़े वकील ने ही भरवाया था। आपको क्या समझाएं? बुरा मत मानिए आपका दिमाग तो आपरेशन करके नागपुर में अलमारी में रख लिया गया है। हुकुम सिंह जी फौज में भी रहे हैं, किसान भी हैं, यह कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ तक निष्पक्षता की बात है, इतनी निष्पक्षता कहीं नहीं होगी। आगे क्या हो सकता है? कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी हो सकता है या जनता चाहेगी तो मैं ही दुबारा-मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। इसी तरह से फाइनेंस का आदमी होगा। तो फाइनेंस की सुविधा रहेगी। जब वह कार्य कारिणी में होगा। तो वह पैसा देने में दिक्कत नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हम इसे हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा संस्थान बनाने जा रहे है। इस संबंध में कुछ विद्वान लोग बंग्लौर भी गए। हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर और अहमदाबाद के संस्थानों की कार्य प्रणाली की जानकारी ली गई। वहाँ किस तरह के पाठ्यक्रम हैं यह देखा गया क्योंकि हमारी सरकार का यह संकल्प है कि यह हिन्दुस्तान का सबसे उत्तम संस्थान होगा। बंगलौर का जो ला संस्थान है उसका एक भी लड़का बेरोजगार नहीं है सभी 6-6 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा लेते है। उससे उच्च स्तर का संस्थान इस उत्तम प्रदेश में बनना चाहिए। यह हमारा संकल्प है। इसमें आप सहयोग कीजिए। अगर आगे चार-पाँच महीनों में आपको कहीं दिखाई दे और हम भी महसूस करेंगे कि यह कमी है। हम लोग बैठेंगे तो उसको भी सुधारेंगे। इसमें कहीं राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश शानदार प्रदेश है, ऐतिहासिक प्रदेश है, हिन्दुस्तान का सिरमौर है, हिन्दुस्तान का ह्रदय है। वहाँ पर आज इस तरह का काम हो रहा है। हम केवल यह नहीं कर रहे है कि कहीं पर मंदिर मस्जिद, आगजनी, तोड़-फोड़। हमारा इस पर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि आज हिन्दुस्तान में, सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश का सम्मान हो। उत्तर प्रदेश के सम्मान से ही हिन्दुस्तान का सम्मान है। हमें तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। जहाँ कहीं कमियाँ हों, आप बतायें। लाल जी टण्डन जी लखनऊ में रहते हैं। यह तो अभी शुरुआत है। इसमें बैठकर देख लेंगे कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने का काम किया जायेगा। इसमें कहीं कोई पक्षपात की बात नहीं है, कहीं कोई सरकारीकरण नहीं है। इसमें पैसा हम लगा रहे हैं तो क्या दूसरे इसमें राजनीति करेंगे? पैसा हम लगा रहे है तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों को इसमें वी0सी0 के नाम पर बैठा दें? हमने इसमें सांसद भी बैठाने की बात की है। यह एक पक्ष का नहीं है। स्पीकर पर भी आपको भरोसा नहीं है। आप समझते है कि स्पीकर किसको भेजेगा, स्पीकर पर विश्वास नहीं है। वो भी सोच समझकर भेजेगा कि किसको भेजा जाय। ऐरे गैरे को तो भेज नहीं दिया जायेगा। स्पीकर किसी को भेजेंगे तो सोच समझकर भेजेंगे। अब इसमें यह न हो कि लोक सभा का सदस्य क्यों जाय। पार्टी भी सोचेगी दल भी सोचेगा कि हमारे दल का जाय, लेकिन यह तो स्पीकर तय करेगा कि किस को वह भेजे। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ही भेजेगा जो जानकार हो, विद्वान हो क्योंकि वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में जायेगा। इसलिये हमारा निवेदन है कि इसमें आप तारीफ नहीं कर सकते हैं, बधाई नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सहयोग तो देते रहियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा मुझे उसमें एक शिकायत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डा0 राम मनोहर लोहिया जी के प्रशंसक माननीय मुख्यमंत्री जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से नाराज हो जाते कि कोई और उनकी प्रशंसा क्यों करें। मान्यवर, जितनी प्रशंसा यह करते है उससे अधिक हम भी करते है। वे एक विद्वान महान व्यक्ति थे। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। जहाँ आपने उल्लेख

किया तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि सौभाग्य से जवाहर लाल विश्वविद्यालय में मैं छात्र के रूप में था। वे पी0डी0ए0 में बन्द थे। अपने आप वे अपनी बहस करने के लिये आये थे। सी0बी0 अग्रवाल जस्टिस थे सुनवाई के दौरान 4 बजे वे दूसरे दिन के लिये समय बढा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि अगली तारीख के लिये क्या मुजरिम रात भर जेल में रहेगा। उनका यह कहना था कि बहस रात के दस बजे तक उसी दिन चली और उन्हें छोड़ने का आदेश देकर ही कार्यवाही खत्म हुई। हमने उनको सुना है, हम लोग भी उनका आदर करते हैं। ऐसे महापुरुष के नाम पर अगर एक काम हो रहा है तो हमको उसमें ऐतराज नहीं है। हमने तो बस सुझाव दिये है, जो कमियाँ थीं उन कमियों को उजागर किया है ताकि उनको दूर किया जाय। हमने आलोचना नहीं की है, यह हमारे सुझाव है कि किस तरह से इसको सुदृढ़ किया जाय। इतने महान व्यक्ति के नाम पर यदि कुछ काम हो रहा है तो किस तरह से अच्छे से हो। हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं मैंने तो इसलिये कहा कि आज आप इस कुर्सी पर हो, कल कोई और व्यक्ति उस कुर्सी पर आय जिनकी उनके प्रति इतनी निष्ठा न हो क्योंकि बहुत से दल ऐसे हैं ऐसे महापुरुष से जुड़े हैं उनके नाम से बहुत कुछ करते हैं। इसलिये हमने उसकी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 49 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना एवं निगमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(एक) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित संस्थान की विद्या परिषद से है।

(दो) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 27 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;

(तीन) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित संस्थान की कार्य परिषद से है;

(चार) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित संस्थान की महा परिषद से है;

(पांच) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;

(छः) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त संस्थान के कुल-सचिव से है;

(सात) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी संस्थान की विनियमावली से है;

(आठ) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश से है;

(नौ) "प्रभारी सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(दस) "राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा संस्थान में तैनात किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रान्तीय सिविल सेवा, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से है;

(ग्यारह) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो संस्थान द्वारा संस्थान में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो;

(बारह) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 7 में निर्दिष्ट संस्थान के कुलाध्यक्ष से है;

संस्थान की स्थापना और निगमन

3-(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में एक संस्थान की स्थापना की जायेगी;

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा।

(3) संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले संस्थान के सम्बन्ध में,-

(क) राज्य सरकार संस्थान के अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और संस्थान के अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, गठन करेगी।

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन होने तक या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, पद धारण करेंगे;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्थान के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

संस्थान के उद्देश्य

4- संस्थान के निम्नलिखित उदेश्य होंगे :-

(एक) विधि और विधिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और ज्ञान और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना और अग्रसर करना;

(दो) छात्र और अनुसंधानविद् में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं विधान, विद्यमान विधियों में विधि सुधार और तत्समान के सम्बन्ध में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।

(तीन) विधिक ज्ञान का संवर्धन करने और विधि एवं विधिक प्रक्रिया को सामाजिक विकास का दक्ष माध्यम बनाने के लिए व्याख्यानों, सेमिनारों, परिसंवादो और सम्मेलनों का आयोजन करना;

(चार) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टियों प्रदान करना और;

(पांच) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो संस्था के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक आवश्यक या साधक हों।

संस्थान की शक्तियां और कृत्य

5- सस्थान की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे :-

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण के लिए संस्थान और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो संस्थान के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों।

(दो) विधि से सम्बन्धित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें संस्थान ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विधिक ज्ञान के अभिवर्द्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(तीन) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(चार) किसी उपाधि या उपाधि पत्र (डिप्लोमा) हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए संस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(पांच) निवेश-वाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;

(छः) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी संस्थान अवधारित करें, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधियाँ एंव विद्या सम्बन्धी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(सात) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को निर्धारित रीति से प्रदान करना;

(आठ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(नौ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और संस्थान के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(दस) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और संस्थान के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना।

(बारह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना।

(तेरह) संस्थान के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायं;

(चौदह) आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों और संस्थान द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;

(पन्द्रह) आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों के रुप मे या अन्यथा संस्थान के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रुप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(सोलह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(सत्रह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;

(अट्ठारह) विधि, न्याय, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में तय किया गया हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें संस्थान समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना;

(उन्नीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान और सामान्यत: ऐसी रीति से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हो, विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या अंशत: संस्थान के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;

(बीस) संस्थान के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबंध करना;

(इक्कीस) संस्थान के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना जिन्हें संस्थान आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रुप से साज-सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना जो संस्थान के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हो;

(बाइस) संस्थान के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों के सुसंगत जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(तेईस) किसी ऐसे भूमि, भवन या संकर्म को, जो संस्थान के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधानक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रुप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(चौबीस) संस्थान के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी संस्थान ठीक और उचित समझे, संस्थान की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

परन्तु जहां सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(पच्चीस) भारत सरकार सम्बन्धी और अन्य बचत-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(छब्बीस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के सम्बन्ध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अन्तर्गत संस्थान की या संस्थान के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(सत्ताइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या संस्थान के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(अट्ठाइस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(उन्तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो संस्थान की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों, या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और संस्थान की निधि से समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(तीस) संस्थान की निधियों या संस्थान को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(इक्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जायं, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपदान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह संस्थान के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो संस्थान के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों;

(बत्तीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें संस्थान अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक सहायक या आनुषंगिक समझे;

संस्थान में अध्यापन

6-(1) संस्थान की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्थान के अध्यापकों द्वारा, महापरिषद के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे;

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किए जायें।

संस्थान के कुलाध्यक्ष

7-(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे;

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अपनी सहमति नहीं देते है तो राज्य सरकार भारत के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को संस्थान के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा विहित किया जाय, नामनिर्दिष्ट कर सकती है।

(2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, संस्थान, उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं संस्थान द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा;

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराये जाने के अपने आशय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और संस्थान एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और उसे सुने जाने का अधिकार होगा;

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सम्बन्ध में निदेशक को लिख सकेगा और निदेशक कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदान की हो, महापरिषद को संसूचित करेगा;

(5) महापरिषद ऐसे निरीक्षण या जांच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में निदेशक के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

8- संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :- संस्थान के प्राधिकारी

(1) महापरिषद;

(2) कार्यपरिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) वित्त समिति; और

(5) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें

9-(1) संस्थान की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- महापरिषद्

एक - पदेन सदस्य

(एक) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

(दो) मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(तीन) मंत्री, विधि, उत्तर प्रदेश सरकार।

(चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार।

(पांच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

(छः) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

(सात) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(आठ) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(नौ) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

(दस) संस्थान का निदेशक।

दो- नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

(एक) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का एक न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा।

(दो) उत्तर प्रदेश से लोक सभा के दो सदस्य, जिसमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(तीन) उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जिनमें से एक सत्ता पक्ष से और दूसरा विपक्ष से होगा, विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे।

(चार) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(पांच) बार कौंसिल आफ इंडिया के सदस्यों में से उसका एक नामनिर्देशिती।

(छः) विधिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महापरिषद का अध्यक्ष होगा और संस्था का निदेशक महापरिषद् का सचिव होगा।

10 (1) महापरिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए, तीन वर्ष होगी। महापरिषद के सदस्यों की पदावधि

(2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर लिया जाय तो वह यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापिस ले लिया जाय, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

(3) महापरिषद् का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या ऐसे दण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाय या यदि निदेशक से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या संस्थान के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(4) महापरिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

(5) महापरिषद में ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, कोई रिक्ति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायगी या नामनिर्देशन द्वारा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता;

महापरिषद की शक्तियाँ

11- महापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात :--

(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति करना;

(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 मे निर्दिष्ट संस्थान के कृत्यों और शक्तियों, ऐसी शक्तियों को छोड़ कर जहां वे संस्थान के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों, का प्रयोग करना;

(तीन) संस्थान की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(चार) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;

(पांच) अपनी समस्त या किन्ही शक्तियों को निदेशक को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(छः) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह संस्थान के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।

महापरिषद के अधिवेशन

12-(1) महापरिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जाएगी।

(2) महापरिषद का अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) महापरिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जाएगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि महापरिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत देगा।

(5) यदि महापरिषद द्वारा आत्यधिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि महापरिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और कागज-पत्रों को महापरिषद की आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जाएगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्थान के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन निदेशक द्वारा महापरिषद के समक्ष उसकी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

13- (1) कार्य परिषद् संस्थान की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) संस्थान का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद् में निहित होगी जो संस्थान की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।

कार्य परिषद का गठन

14-(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(एक) निदेशक,

(दो) महा-परिषद के तीन सदस्य, जो महा-परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल उत्तर प्रदेश;

(चार) प्रभारी सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(पांच) प्रभारी सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(छः) प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(सात) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षाविद्;

(आठ) सामाजिक ख्याति प्राप्त दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(नौ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से संस्थान के दो पूर्णकालिक आचार्य;

(2) निदेशक कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्य परिषद की पदावधि

15-(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्य परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय या निदेशक से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद् की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या संस्थान के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद् के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद् का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति, पुनःनामनिर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र रहेंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य कार्य परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने का हकदार हो, द्वारा यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नामनिर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायगा।

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कृत्य

16- धारा 11 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :--

(एक) विद्या परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थान में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे सम्बन्धित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्त्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) समय समय पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए विनियमावली द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियो का अवधारण करना;

(चार) संस्थान के वित्त, लेखाओं, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पांच) संस्थान के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियो, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे; या भारत में स्थावर सम्पत्ति के क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना;

(छः) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना;

परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरिम नहीं की जाएगी;

(सात) संस्थान की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) संस्थान के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) संस्थान के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) संस्थान के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे विनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थाई रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

17-(1) कार्य परिषद विनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश और अनुदेश संस्थान के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद् के अधिवेशन

18-(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस दी जाएगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों तो, यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

कार्य परिषद् द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

19--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिये या उस संस्थान के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या संस्थान से सम्बन्धित किसी मामले में जांच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिये ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद

20--(1) विद्या परिषद संस्थान की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संस्थान में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होंगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी जो ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद की सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद का गठन

21--(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) निदेशक, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो संस्थान की सेवा में न हों, महापरिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;

(चार) उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का एक नाम निर्देशिती;

(पाँच) संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष;

(छः) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों;

(सात) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य संस्थान के उपाचार्यों और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) जहां कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहां उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि निदेशक से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले, या यदि वह विद्या परिषद् के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रुप में पूर्व में समाप्त नही कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से, जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, तीन वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे किन्तु, यथास्थिति, पुनः नाम-निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद् के सदस्य को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करते ही त्याग-पत्र प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियों और कर्तव्य

22--इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को, उसमे निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :-

(एक) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) संस्थान में अध्यापन के पदों का सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिये योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) संस्थान के अन्तर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पांच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) संस्थान में प्रवेश के लिये सन्नियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और संस्थान की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुये अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियों और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनांक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो विनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते है; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के समुचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों।

विद्या परिषद के अधिवेशन

23--(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो बार अधिवेशन करेगी।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गण पूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

वित्त समिति

24--(1) संस्थान की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) निदेशक;

(दो) महापरिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों मे से नाम निर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(पांच) उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(छः) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(सात) कुल सचिव;

(आठ) वित्त अधिकारी-सदस्य सचिव।

(2) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) संस्थान के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिशे करना।

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना।

(तीन) कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये सावधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर संस्थान के वित्त का पुनर्विलोकन करना और पूनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद या निदेशक के निर्देश पर संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्य परिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना;

(4) वित्त समिति छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी;

(5) निदेशक वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

25--(1) कार्य परिषद संस्थान में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिये चयन समिति का गठन करेगी।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्;

(एक) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिये चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(तीन) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिये नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से सम्बन्धित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो वहां कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किये गये नामों के पैनल में से निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संस्थान प्रशासन के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।

(3) जहाँ संस्थान द्वारा पद स्थापित किये जाने के लिये किसी दाता से विन्यास प्राप्त किया जाय वहां उस पद को भरे जाने के प्रयोजन से दाता को चयन समिति के सदस्य के रुप में सहयोजित किया जा सकता है।

संस्थान के अधिकारी

26--संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक) निदेशक;

(दो) विभागाध्यक्षगण;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) वित्त अधिकारी;

(पांच) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विहित किये जायं।

निदेशक

27--(1) निदेशक संस्थान का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निदेशक की नियुक्ति महापरिषद द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को भेजे जायें :

परन्तु प्रथम निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(दो) महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण निदेशक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समिति महापरिषद को कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो निदेशक का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति महापरिषद को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) निदेशक अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती है, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा/करेगी :

परन्तु महापरिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा निदेशक अपना पद त्याग कर सकेगा और महापरिषद द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जाएगा।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाए।

(6) निदेशक किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की सुविधा का हकदार नहीं होगा।

(7) यदि निदेशक का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा महापरिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक के पद पर छः माह की अनधिक अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।

(8) यदि महापरिषद की राय में निदेशक जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि निदेशक का पद पर बने रहना संस्थान के लिये अहितकर है तो महापरिषद ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा निदेशक को हटा सकती है।

(9) उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए महापरिषद यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक-

(क) ऐसा निदेशक, निदेशक के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) निदेशक के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(10) निदेशक-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के उपबन्धों और विनियमों का समुचित पालन कर लिया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां होगी।

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन निदेशक संस्थान के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ग) महापरिषद कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों;

(घ) को संस्थान में समुचित रुप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी।

(11) यदि निदेशक की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति में मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

विभागाध्यक्षगण

28-(1) संस्थान में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियों, कृत्य, नियुक्तियों और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय।

कुलसचिव

29-(1) कुलसचिव संस्थान का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जाएगी।

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद और संकायों का पदेन सचिव होगा; किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(3) कुलसचिव-

(एक) कार्य परिषद और निदेशक के निर्देशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करे;

(तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य समिति और संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति संकायों और संस्थान के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;

(पांच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छः) संस्थान के अधिवेशनों की कार्य सूची, जैसे ही वे जारी की जाती हैं, और प्राधिकरणों के अधिवेशनों के कार्यवृत्त की प्रतियां अधिवेशन के आयोजन के एक माह के भीतर कुलाध्यक्ष को भेजेगा;

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो निदेशक न सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और संस्थान का कार्य करने के लिये उसके निदेश लेगा;

(आठ) संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उनका प्रमाणन के लिये प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये निदेशक के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या निदेशक द्वारा इस अधिनियम या विनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाय।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में निदेशक संस्थान की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा निदेशक उचित समझे।

30-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी -

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और संस्थान की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।

(ख) मतदान को छोडकर, कार्यपरिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय संस्थान द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोडकर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करेगा जो इस अधिनियम या विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परीक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(छ:) संस्थान की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा:

(ज) वित्तीय मामलो मे स्वप्रेरणो से या अपेक्षा किये जाने पर अपने परामर्श के आधार पर परामर्श देगा:

(झ) संस्थान के आय का संग्रह करेगा: संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा:

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजिया अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती है और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जांच संस्थान में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा:

(ठ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध मे ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या निदेशक द्वारा समनुदेशित किये जाय।

अन्य अधिकारी

(3) किसी कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में निदेशक संस्थान की सेवा मे किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों कृत्यों और कर्त्तव्यों जैसा कि निदेशक उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

31-(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये विनियमो के अध्यधीन संस्थान के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, विनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जाएगी जो संस्थान को सौपी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित या कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(2) संस्थान और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के प्रेरणा पर विनियमो द्वारा यथा विहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी माध्यस्थम न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

विनियमावली कैसे बनायी जाये

32- (1) कार्य परिषद इस अधिनियम के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के लिए विनियमावली बना सकती है;

परन्तु कार्य परिषद् संस्थान के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को तब तक नहीं बनायेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप से राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायगा:

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना कार्य परिषद् निम्नलिखित में से किसी एक या सभी विषयों को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निर्माण, संशोधन या निरसन नहीं करेगी, अर्थात:-

(एक) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;

(दो) संस्थान संबंधी पाठ्यक्रमों और सम्बन्धित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन संचालित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी;

(तीन) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(चार) संकायों, विभागों, हालों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(पांच) अध्यवेतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, छात्र सहायतावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना;

(छः) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति या परीक्षाओं या अध्ययन के किसी अन्य पाठ्यक्रम का संचालन या उसका स्तर;

(सात) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति;

(आठ) संस्थान की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएं;

(2) विद्या परिषद् को उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (आठ) में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों पर विनियम, प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(3) जहाँ कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहाँ विद्या परिषद् कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है और कुलाध्यक्ष, आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि प्रस्तावित विनियम को महापरिषद के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाय और यह कि महापरिषद के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे, दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय;

परन्तु यदि विनियम का अनुमोदन महापरिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जाएगा;

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त विनियम महापरिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और महापरिषद् को कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये किसी विनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।

पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति

33-(1) कुलाध्यक्ष संस्थान की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार आयोग का गठन करेगा।

(2) आयोग में विधिक क्षेत्र में प्रख्यात तीन से अन्यून शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक, राज्य सरकार के परामर्श से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी जैसी कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाय।

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को अपनी सिफारिश करेगा।

(5) कुलाध्यक्ष आयोग की सिफारिशों पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

संस्थान की निधि

34--(1) संस्थान की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(तीन) राज्य बार कौंसिल द्वारा दिया गया कोई अंशदान;

(चार) निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा दी गयी वसीयत, दान मिन्यास या अन्य अनुदान;

(पांच) संस्थान द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और

(छः) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त कोई निधियां सम्मिलित नही होंगी;

(2) संस्थान की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जाएगी या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा विनिश्चय किया जाय;

(3) संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है जैसा विहित किया जाए।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा

35-(1) संस्थान का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा;

(2) संस्थान की लेखा सम्परीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, की जाएगी;

(3) लेखों का, जब सम्परीक्षा हो जाय, प्रकाशन, कार्य परिषद् द्वारा किया जावेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा;

(4) महापरिषद् द्वारा उसके वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। महापरिषद् उससे सम्बन्धित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद् को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद् महापरिषद् द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद् महापरिषद् को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वित्तीय प्राक्कलन

36-(1) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे महापरिषद् के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद्, ऐसे मामले में जहां बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो तो यह लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, विनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ महापरिषद के उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

37-(1) धारा-26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो;

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

संविदाओं का निष्पादन

38- संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदाएं ऐसे अभिव्यक्त की जाएगी जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो, उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जाएगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रूपये से अधिक न हो, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा,

संस्थान द्वारा विधि उपाधि, डिप्लोमा आदि का प्रदान किया जाना

39- संस्थान को इस अधिनियम के अधीन विधि उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

मानद उपाधि

40- यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य सिफारिश करते है कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिये उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो महापरिषद् किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे सिफारिश किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।

उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना

41-(1) महापरिषद् कार्यपरिषद् की सिफारिश पर महापरिषद् के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वाले महापरिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टता, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें महापरिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो;

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए;

(3) महापरिषद् द्वारा पारित संकल्प की प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जाएगी;

(4) महापरिषद् द्वारा किये विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है।

(5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

सम्पत्ति का अन्तरण

42- राज्य सरकार संस्थान को ऐसी शर्तो पर ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उचित समझे; संस्थान द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और जंगम या स्थावर किसी अन्य सम्पत्ति को अन्तरित कर सकती है।

अनुशासन

43- (1) संस्थान के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी निदेशक होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और संस्थान की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

(2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या संस्थान या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, निदेशक की रिपोर्ट पर कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा;

परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को उसके विरूद्ध किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नही किया जायेगा।

प्रायोजित योजनायें

44- इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुये भी जब कभी संस्थान किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संस्थान द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियां प्राप्त करें तो :--

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, निधि से पृथक रूप से संस्थान द्वारा रखी जायेगी और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिये ही उपयोग की जायेगी ; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तो के अनुसार की जायेगी।

रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही

45-(1) इस बात के होते हुए भी कि महापरिषद् कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् या संस्थान का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुये भी कि संस्थान के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का ऐसा कोई कार्य या कार्यवाही नहीं है जो केवल इन कारणों से अविधिमान्य होगी कि,-

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) संस्थान के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर यदि ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

46- यदि संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में या संस्थान के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार संस्थान के प्राधिकरणों का गठन किये जाने के पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकता है जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली मे उपबंधित रीति से की गयी हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व राज्य सरकार संस्थान के निदेशक और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो, की इस निमित्त रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगा और उस पर विचार करेगा;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्थायी उपबन्ध

47- इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी विनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, महापरिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन होते हुए इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से संस्थान के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन संस्थान के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई विनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

48- कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां, संस्थान, निदेशक, संस्थान के प्राधिकरणों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरोध, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जाएगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

49- इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किसी विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए, प्रभावी होंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 49 खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायँ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई विधेयक, 2005

मद संख्या-12

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,सैफई विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान, सैफई विधेयक,2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस विधेयक से सहमति व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने ऐसी माँ की कल्पना है जिसके पहले से सात बच्चे है जो कुपोषित है और खून की कमी का शिकार है बार-बार बीमार पड़ते है। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। यह माँ है उन सात बच्चों का सही पोषण हो सके उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करे। इसकी जगह पर वह दो और जुड़वां बच्चों को पैदा करने को तैयार है और वह माँ है उत्तर प्रदेश की सरकार, और सात बच्चे है। सात राजकीय मेडिकल कालेज। यह मौत का घर मेडिकल कौसिल आफ इण्डिया है। यह जुड़वां बच्चे है जो सुबह 16 करोड़ 24 लाख रूपये सैफई में चिकित्सा विद्यालय को दिए, चिकित्सा कालेज को दिए जो दूसरा जुड़वा बच्चा है जिसके लिए हम बहस करने को तैयार है। आप भी अध्यक्ष महोदय गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र से आते है। यह जो सातवां बच्चा है यह गोरखपुर का मेडिकल कालेज है जो करीब-करीब मरने की कगार पर है। 21 तारीख से वहां पर हड़ताल चल रही है। मुख्य मंत्री जी सारी चीजों से अवगत है। हम अपेक्षा करते थे कि एक नया विद्यालय खोलने की जगह एक नया संस्थान खोलने की जगह पर इस सरकार के पास सात मेडिकल कालेज है उसके बारे में सरकार सुनिश्चित करेगी। उनकी देखरेख कायदे से की जाए लेकिन सरकार ने ऐसा करने की जगह दो मेडिकल कालेज और खोलने का निर्णय लिया है। कहते है कि गरीब बच्चे पैदा करते है तो सोचते है आय का साधन बनेगा लेकिन इस विद्यालय के पीछे क्या भाव है मैं नही जानता हूँ। जब मैं इस विधेयक की उद्देशिका पढ़ रहा था तो उस उद्देशिका में स्पष्ट लिखा है संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान का लक्ष्य और उद्देश्य सैफई इटावा में उसके सैटेलाइट केन्द्र से भिन्न है। इसके बाद हमने संजय गांधी अधिनियम प्राप्त किया और इस अधिनियम से इस

एक्ट को मिलाने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य हुआ यह पूरा का पूरा अधिनियम यह पूरा का पूरा विधेयक जो पेश किया जा रहा है यह संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एक्ट नं0-30 आफ 1983 का करीब-करीब प्रतिरूप है कुछ चीजों को हटाकर के, आफिस में बैठकर छोटे-छोटे शब्दों को हटाकर इस अधिनियम को हमारे सामने नये विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें तीन अंतर है पहला जो इस अधिनियम की धारा-7 क में संजय गांधी की स्थापना के उद्देश्य थे इसमें एक शब्द जोड दिया गया है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए, मैं इस पर बाद में आऊंगा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि संजय गांधी चिकित्सा संस्थान के आंकड़े देख लिए जाएं 100 में 90 मरीज ऐसे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक है वहां सबसे ज्यादा इलाज कराते है। आज भी प्रदेश की नही पूरे उत्तर भारत की सबसे विश्वसनीयता का यह चिकित्सा केन्द्र है। ग्रामीण शब्द जोडने का मतलब है पी0जी0आई0 में ग्रामीणों का इलाज नहीं होता है जो मूलत: गलत है। दूसरी चीज जो कही है नरेन्द्र सिह गौर जी कह रहे थे मुख्य मंत्री जी को इसका उत्तर देने का अवसर मिलेगा मैने उनकी तकरीर सुनी यह जो विधेयक आज हम लोगों के सामने रखा गया है, इसमें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक होगा और जो क्षेत्रीय सांसद होगा उसको इस आयुर्विज्ञान संस्थान की संरचना का हिस्सा बनाया गया है औा साथ ही उसे गवर्निंग बाड़ी का हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी की बात मैं सुन रहा था कि जिन दो सदस्यों को भेजेंगे, वह योग्य होंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति लेकर भेजे जायेंगे। मान्यवर, यदि कोई इस प्रकार का संस्थान बनाया जाता है तो उसमें व्यवस्था होती है कि विधानसभा के सदस्य, अध्यक्ष के द्वारा या इस सदन के द्वारा चयनित होकर भेजे जायेंगे लेकिन इस संस्थान में जो वहॉ का क्षेत्रीय विधायक या सांसद होगा वह स्वयमेव ही उसका सदस्य हो जायेगा। आप सदन से इस विधेयक को पारित कराने जा रहे है लेकिन इस विधेयक के द्वारा हमसे अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीनने जा रहे है। जितने भी विश्वविद्यालय है, चिकित्सा संस्थान है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नही है जिसकी गवर्निंग बाड़ी में किसी क्षेत्रीय विधायक या सांसद को प्रतिनिधित्व दिया गया हो। मान्यवर, यदि यह सदन इस बात की सहमति इस संस्थान के लिए दे देता है तो उसके अनुरूप इस प्रदेश में जितने भी ऐसे शिक्षा संस्थान है, जहॉ-जहॉ भी है, उस क्षेत्र के विधायकों को ऐसे विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों की गवर्निंग बाडी में अधिकार दे दिया जाए। जब प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी तकनीकी विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय विधायक या सांसद को स्थान नहीं दिया गया है तो आखिर इस आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है? मान्यवर, दूसरी चीज जो एक और अंतर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और इस संस्थान के विधेयक के बीच में है, इसकी धारा-9 और 10 में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिनियम में विजिटर की बैठाये जाने का प्राविधान है। इसमें महामहिम राज्यपाल होते है, क्या संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इसके कारण आपके अनुभव से कोई संकट पैदा हो रहा है? महामहिम राज्यपाल तो बदलते रहते है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष से कोई असहमत हो। मैं जानना चाहता हूँ, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 83 से चलते हुए हो गया है, आपको क्या अनुभव आया है कि गवर्निंग बाडी में इनके रहते हुए उसके चलाये जाने में मुश्किल हो गयी है और किन कारणों से उनका नाम हटाकर वह सारा अधिकार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दे दिया गया है। मान्यवर, इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0, एम0एस0 आदि डिग्रियाँ देने की बात कही गई है। ऐसे संस्थानों की एमसीआई की मान्यता होनी चाहिए, धारा-32 में इसकी व्यवस्था है। एक बात इन्होंने कही है, जब इस संस्थान की मेडिकल काउन्सिल से मान्यता ही नही होगी तो जो यहॉ से डाक्टर बनकर निकलेंगे वह नौकरी कहॉ करेंगे। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि इसको किसी भी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कर दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान को आप किस विश्वविद्यालय से जोड़ना चाहते है, कोई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है या कोई नया विश्वविद्यालय बनाने जा रहे है? जिस भी विश्वविद्यालय से आप इस संस्थान को जोड़ने जा रहे है तो उस

संस्थान की गतिविधियों में, उसके संचालन में, अध्यापकों की नियुक्ति में, गवर्निंग बाडी की गतिविधियो में जिससे वह सम्बद्ध करे, उसके कुलपति या उसके प्रतिनिधि का हस्तक्षेप उसमें होता है और सबसे बडी चीज निदेशक की नियुक्ति। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का अधिनियम कहना है कि जब तक इस अधिनियम को लागू न कर दिया जाए, तब तक एक कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति की जायेगी। जो उस समय तक काम करेगा जब तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति न हो जाये। मान्यवर, नया विधेयक कहता है कि आज के बाद एक निदेशक की नियुक्ति होगी जो 5 वर्षों तक काम करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमने इस विधेयक को पारित कर दिया और इसमें क्यों इस विधेयक के प्राविधानों से हटकर 5 सालों के लिए सरकार अपने आधार पर निदेशक की नियुक्ति कर रही है? मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 118-विधेयको का वितीय ज्ञापन और विधेयको में धन खण्ड-(1) में दिया है कि- "जिस विधेयक में व्यय अंतर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाएगा और उसमे उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जाएगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अंतर्ग्रस्त हो"। मान्यवर, मैने इसका वित्तीय ज्ञापन पढ़ा है। इस वित्तीय ज्ञापन में कही नही लिखा है कि इसमे आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का क्या प्राक्कलन है। तथा किन-किन बिन्दुओं पर व्यय किया जाएगा इसका प्राविधान इसमे नही दिया गया है। मान्यवर, यह विधेयक कहता है कि "राज्य सरकार इस निमित अधिसूचित करे सैफई, जनपद इटावा में एक आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी जिसे ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई कहा जाएगा और सैफई जनपद इटावा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान-अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पहले से कार्य कर रहे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, सेटेलाइट केंद्र की समस्त आस्तियाँ, दायित्व और कर्मचारी उक्त संस्थान के समझे जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, सेटेलाइट केद्र की समस्त आस्तियाँ और दायित्व संजय गांधी एक्ट के तहत चलाये जा रहे संजय गांधी स्नात्कोत्तर संस्थान की है। उनकी आस्तियो, दायित्वो को लेने का अधिकार किसी को है तो वह बिना पी0जी0आई0 की गवर्नेंस बाडी से पास कराये, यह सरकार भी नही कर सकती है और आज मैं सूचना दे रहा हूँ कि 27 दिसम्बर के बाद से आज तक संजय गांधी की गवर्निंग बाडी की कोई मीटिंग नही हुई है। और 27 तारीख की मीटिंग में यह सेटेलाईट केन्द्र ट्रान्सफर कैर दिया जाए ऐसा कोई निर्णय नही हुआ है। इसलिए यह कहना कि 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर दी गयी है इसलिए वित्तीय भार नही पडेगा, यह भी गलत है सरकार को इसके लिए अलग से वित्तीय भार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ मैं इस विधेयक से असहमति प्रकट करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह एक महाविद्यालय है और वह महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाये तो दी जाने वाली डिग्री उस विश्वविद्यालय के नाम से होगी। यह 1973 के एक्ट के अंतर्गत महाविद्यालय होने के नाते विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगा। जैसे आपने डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान बनाया है उसको आपने सीधा स्वरूप देने का प्रयास किया है। यह जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगा तो उस विश्वविद्यालय के नाम से डिग्री होगी और उस विश्वविद्यालय के नियम-कानून उस पर लागू होंगे। वे इसकी आवश्यकता क्या थी मान्यवर, केवल एक शासनादेश के आधार पर आप गवर्नमेंट डिग्री कालेज बनाते। पूरे प्रदेश में कोई महाविद्यालय आपका ऐसा है जिसके लिए कानून बनाना पड़ा हो, नही है मान्यवर। या तो आप कहे कि अलग से यह संस्था बनने जा रही है। उसका किसी विश्वविद्यालय से सम्बंध है नही इसलिए उसके लिए अलग से एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब आपने इसमे प्राविधान रखा है कि यह

महाविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा तो इसमे अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नही है यह मेरा आपसे आग्रह है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अग्रवाल साहब ने जो बाते कही मैं उसके क्रम में कुछ बाते कहना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकार के द्वारा जो विधेयक लाया गया है उसमे अनुसंधान संस्थान लिखा है। अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए। मान्यवर, प्रदेश में जितने मेडिकल कालेज है और यह जो एस0जी0पी0जी0आई0 है उनमें अनुसंधान लगभग नगण्य के बराबर है। उसका बहुत बडा कारण यह है कि मेडिकल कालेजो की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल कालेजो के अंदर सैकडों रीडर्स, प्रोफेसर्स के पद रिक्त है। नियमित प्राचार्य नही है तो वहॉ की फैकल्टी अगर नही है तो हमारी वहॉ की ग्रेज्यूऐशन, पोस्ट ग्रेज्यूऐशन की पढ़ाई किस तरह से चलती होगी। मै चाहूँगा कि हमारे मेडिकल कालेज या जो अन्य संस्थान है इनकी चिन्ता की जाय और विशेष रूप से रिसर्च में जितना इसमें जितना भी खर्च किया जा सके या अन्य स्थानों पर वह किया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। वे लोग प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए कह रहे थे। एक तरफ तो सबके लिए स्वास्थ्य की बात होती है वही यह कह रहे है। यह कहा जाता है कि सबके लिए शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य। मान्यवर, लखनऊ में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है। जैसा कि डा0 साहब ने उल्लेख भी किया है, यहॉ पर मरीज बड़ी संख्या में बाहर से आते है। पूर्वांचल से, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कानपुर, इटावा, मैनपुरी से आते है। तो आज हम जब यह विधेयक जनता के लिए लाने जा रहे है तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। आज जब लखनऊ में, वाराणसी में अच्छे संस्थान है, अच्छे अस्पताल है, तो हम सब जगह यह कल्पना करते है कि अच्छे-अच्छे अस्पताल बने, अच्छे संस्थान बने जिसमे हार्ट, किडनी और लीवर का इलाज हो। सब लोग तो लखनऊ पहुंच नहीं सकते है क्योंकि दूर-दूर से लोगों को आना पड़ता है। तो एक शुरूआत सरकार ने की है। पिछले दिनों सेटेलाइट के माध्यम से सैफई और डा0 राम मनोहर लोहिया को जोड़ा था। आज हम एक अलग संस्थान बनाने जा रहे है और मुख्य मंत्री जी विधेयक के रूप में इसे लाये है। आज बड़ी संख्या में मरीज पूर्वांचल से लखनऊ में आते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा पूर्वांचल से आता है तो यह जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहा है यह एक अच्छी शुरूआत है। हम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को जो आप लाये है इसे तो पारित कर दे लेकिन मान्यवर, बस्ती में पॉच बैड का एक कैन्सर हास्पिटल है। इसमें पचास करोड खर्च हो गया। वर्ल्ड बैंक से और ओपेक से पैसा मिला इसको भी इसी तरीके से आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित कर दें। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा।

कृषि एवं धर्माथ कार्य मंत्री (डा0 अशोक वाजपेयी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था। पहली बार इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय इस सरकार ने लिया है। इसके पहले जो भी संस्थान थे वे बड़े-बड़े महानगरों में थे। मान्यवर, इस प्रदेश की अस्सी प्रतिशत जनता गॉवों में रहती है। गॉव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में जमीन आसमान का अन्तर है। गांव के लोग शहर की चमक दमक में अपने को असहाय महसूस करते है।

पहली बार इस सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया इसका चारों तरफ स्वागत होना चाहिए था। अग्रवाल जी ने आपत्ति की थी तो सात पुत्र के बाद माँ क्या बाँझ हो जाती है, सारे विकास के रास्ते अवरूद्ध हो जायेंगे उसके बाद इस प्रदेश की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी? अगर प्रदेश में सात मेडिकल कालेज के बाद में एक आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया तो कहाँ पर अनौचित्य नजर आता है। सैफई में जहाँ उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जायेगी तो इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए थी। इतना बडा प्रदेश है मान्यवर, हमारा, दूसरे प्रदेशों से कोई मुकाबला नही। 17 करोड़ आबादी है। अगर इस आबादी में हम कोई दूसरा आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित कर रहे है तो मान्यवर, इसके लिए जितनी इसकी प्रशंसा की जाय वह कम है, लेकिन जो आलोचना, आलोचना के लिए ही की गई है, इसमें मान्यवर, कोई तथ्य नही है और इस संस्थान के स्थापित होने से निश्चितरूप से पूरे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी और जहां तक पूर्वांचल का सवाल है, मान्यवर वाराणसी में पहले से ही आयुर्विज्ञान संस्थान है, मध्य उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कही भी इस तरह का कोई आयुर्विज्ञान संस्थान नही था। मान्यवर, इस सरकार ने इतना बडा क्रान्तिकारी कदम उठाया है और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है और मान्यवर, हम सब का प्रयास है और एक विकसित समाज की यह अपेक्षा होती है लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छी सुविधाये दी जा सके और मान्यवर, यही इस सरकार की प्राथमिकता रही है स्वास्थ्य के प्रति जब से यह सरकार बनी है। जब इन सरकारों में आठ रूपये का पर्चा बनता था, जिसको घटाकर एक रूपया कर दिया गया। मान्यवर अस्पतालों में गम्भीर रोगों के लिए भी दवा नही होती थी और आज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में दवायें भरी पड़ी है, जब से हमारी सरकार बनी है, दवाओं का अभाव नही होने दिया गया और मान्यवर, ऐसी दवायें जो कि जीवन रक्षक दवायें है। इन दवाओं की भी कही कोई कमी नही आई है। प्रदेश में लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के चलते मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में इस आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इसकी जितनी भी सराहना की जाय उतनी कम है। इसको प्रवर समिति में सौपने का मतलब मान्यवर इसके प्रति गम्भीरता नही है। मान्यवर आपत्ति माननीय डा0 साहब ने उठाई है कि इसमें एम0सी0आई0 का जिक्र नही है। डा0 साहब स्वयं एक चिकित्सक है वह जानकार है, जब किसी भी आयुर्विज्ञान संस्थान या मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी तो निश्चितरूप से उसकी स्वीकृति या मान्यता के लिए एम0सी0आई0 से मान्यता लेनी आवश्यक होगी, उसका विधेयक में जिक्र करने की कोई आवश्यकता नही है। वह तो स्वयं सिद्ध है जब कभी भी हम कही भी कोई मेडिकल कालेज की स्थापना करेंगे तो उसके लिए एम0सी0आई0 से अनुमति ली जायेगी वह तो प्रक्रिया के अन्तर्गत है और उसकी जानकारी मान्यवर पूरे सदन को है। जिन बिन्दुओं पर मान्यवर आपत्ति उठाई गई है वह तथ्यहीन है इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने का कोई औचित्य नही है। इस प्रदेश का इससे बड़ा कोई और जनहित नही हो सकता है। इससे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और कोई नही हो सकता, इसके लिए जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की और इस प्रकार की सराहना की जाय वह कम है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

वैसे तो हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दे ही दिया है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि डा0 साहब को पता है कि गोरखपुर के मेडिकल कालेज की मान्यता खत्म होने का नोटिस दे दिया गया है और अध्यक्ष महोदय, आज कहना चाहता हूँ कि सरकार के और हमारे बेहतर सम्बन्ध मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया से नही होते तो वहां का संस्थान चला गया होता। उसको बचाया और बचाने के बाद टिक्कू कमेटी रिपोर्ट को लागू किया, तो जो सारी की सारी वहां की जो भी कमियां थी, टीचरों की नियुक्ति की हो चाहे जो भी हो, सब की सब हल हो गई है और जो भी उनकी समस्या थी सब हल हो गई, मैं इससे ज्यादा कुछ नही

कहना चाहता हूँ। आपके गोरखपुर मेडिकल कालेज के जो छात्र-छात्रायें है, जो पढ रहे है, जो वहा के प्रोफेसर है, वहां के वी0सी0 है। हमारी गलती है जो इतना अभिनन्दन स्वागत करने के लिए? कम से कम आपको खुद पता होगा कि 20, 20 25-25 लड़के-लड़कियां आ चुके है तो अब हम जल्दी जा रहे है और इसलिए कि कुछ करके जा रहे है। अभी 19 करोड़ रूपया दिया है। कह दे नही दिया है। 19 करोड रूपया? मालूम सब है, यहां थोड़े धूल झोंक देंगे आंखों में। इन्हे सब मालूम है और यह बधाई भी दे चुके है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

इन्होंने बधाई वापस तो ली नही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पूरी जनता बधाई दे रही है। दूसरी बात आप 90 फीसदी की कर रहे है मेरे पास आंकड़े नही है कि इस संस्थान में आने वाले मरीजो की कितनी मदद सरकार ने की है, तब पी0जी0आई0 को देख सके है। लेकिन इसमें लिखने-पढ़ने की बात नही है, भिन्न व्यवस्था की है। वहां पर मरीजों का मुफ्त इलाज होगा, अस्पताल जो है उसके साथ-साथ मेडिकल कालेज की और जरूरत है, कई और इस तरह के मेडिकल कालेज की जरूरत है। इसी तरह का मेडिकल कालेज एक बहुत जल्दी हम शिलान्यास करने जा रहे है आजमगढ में।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, पूर्वान्चल में बस्ती की तरफ आप कब ध्यान देंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नही, पूर्वान्चल है, जैसे आजमगढ का, वहां आपका बस्ती थोड़ा गोरखपुर से भी निकट है, इधर बलिया है, उधर मऊ है। आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

हमने समर्थन किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह पूरा का पूरा अभी डाक्टर साहब देखेंगे तो आपे जा-एंगे कि यहॉ पर किस तरह से कितना रूपया हमने दिया है। 70 जिलों का कल हमने देखा था, एक जिले को छोड़कर, एक जिला वंचित रह गया, नही हुआ है या जानकारी नही रही होगी।69 जिलों में हमने मदद की है पी0जी0आई0 के लिए और अन्य रोगियों के लिए किया है। अन्य के लिए किया है ताकि लोग वहॉ इलाज करा सके।

मान्यवर मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया में तो जाना ही पड़ेगा, शायद दरख्वास्त वहॉ दे दी हो या एक दो दिन में आज कल में देने वाले हो। एम0सी0आई0 जब तक परमिशन नही देगी तब तक नही हो सकता है। उसकी परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। वह एम0सी0आई0 से लेंगे। दूसरी बात, डाक्टर साहब, आप भी विद्वान है, हिन्दुस्तान के जो जाने माने डाक्टर, अनुभव है, उनसे बहुत मशमर्श लिया गया है, जितना भी ले सकते थे। दूसरी बात अभी वहॉ ओ0पी0डी0 सिर्फ है। अस्पताल खोलने की कोशिश की है, 40 बेड का तत्काल कर दिया। उस ओ0पी0डी0 मे मरीज कितने आ रहे है और आपके पी0जी0आई0 में कितने आ रहे है वहॉ 1100 से लेकर 1500 की संख्या में सैफई के अस्पताल में लोग आ रहे है। गरीबों को वहॉ इलाज मुफ्त दवा मिल रही है। पी0जी0आई0 में कितनी दवा मुफ्त मिल रही है? कुछ लिया जायगा, वहॉ थोड़ा बहुत लेने की बात हो सकती है क्योंकि मशीनों के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी मजबूरी में। वहॉ भी इलाज मुफ्त होगा और बहुत ही सस्ता होगा। यहॉ और मुफ्त इलाज कितना मिलता है पी0जी0आई0 मे? कुछ मशीने बन्द ही

नही पड़ी है, खत्म हो गयी है।

पी0जी0आई0 एक अच्छा संस्थान था, जो सोच थी पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेकर दिल्ली में जो भी सरकारे थी, कांग्रेस की, मैं तारीफ करूंगा। यह सही है कि हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा संस्थान बनाने की बात थी लेकिन दुर्भाग्य है कि वह नही बन सका। और मै स्वीकार करता हूँ कि हम कोशिश कर रहे है उस बात के लिए। राज्यपाल जी के बारे में आज वहॉ चर्चा हम नही करेंगे, न करने की जरूरत है, उससे वास्ता नही है। राज्यपाल जी को उसमे से हटाने या स्पीकर और यहॉ आपके सदन के अधिकार लेने की कोई बात नही है। अगर वहाँ लोक सभा का मेम्बर होगा जो इटावा जिले में 4 विधान सभा क्षेत्र रहे या 3 रह जायेंगे यह तो परिसीमन के बाद सामने आयेगा। तो लोकसभा का जो मेम्बर होगा, क्षेत्रीय होगा, तो उस लोकसभा क्षेत्र का कौन होगा, तो वह पता नही कि वह किस पार्टी का होगा, पता नही विधान सभा में कौन आयेगा? तो इसमें कोई पक्षपात नही किया गया है। कही भी ऐसी दृष्टि नही है कि कही कोई कब्जा हो, पोलिटिकल कब्जा हो। ऐसा नही रखा गया है। जो जनप्रतिनिधि बने रहेंगे तो जनता की बात रखते रहेंगे। लेकिन यह बहुत सारी बाते है। मै आपका समय नही लेना चाहता हूँ। लेकिन यह सरकार ने बता दिया है कि अभी तक हम लोग गांवों को वंचित करते रहे है। आपको गांधी जी में आस्था नही है। आप गांधी जी को भूले है। इससे देश विकास के रास्ते से अब दूर चला गया है। अगर गांधी जी को याद रखा होता और जो उन्होंने कहा है उस पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति देश की दूसरी होती। उन्होंने हमेशा गांवो के लिए कहा। क्या गांधी जी गांव में पैदा हुए थे या गरीब घर मे पैदा हुए थे? वह तो दीवान के बेटे थे और सम्पन्न परिवार के थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले गांव और सबसे पहले किसान।

आज यहॉ पर मै यह कहना चाहता हूँ कि जो विधायक है, इधर के भी है और उधर के भी है, आप देखेंगे कि मरीज कहॉ कहॉ से आ रहे है। पी0जी0आई0 में और कैसे आते है। कुछ तो बेसहारा आ जाते है गांव वाले मदद करते होंगे। लेकिन आज जितने विधायक बैठे है, बहुत से लोग तो विधायकों की मदद से ही आते है। उनकी मदद के बिना नही आ पायेंगे पी0जी0आई0 में। डाक्टर साहब को यह बताना चाहता हूँ। हम भले ही मुख्यमंत्री है लेकिन फिर भी हमें मदद करनी पड़ती है और तभी वह आ पाते है। और वहॉ मरीज अपने आप आ रहे है। एक जिले के नही आ रहे है, कन्नौज, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा तक के मरीज वहॉ आ रहे है ओ0पी0डी0में 1100 से लेकर 1500 तक की संख्या में रोज आ रहे है और जब अस्पताल शुरू कर देंगे तो आपका पी0जी0आई0 बहुत पीछे रह जायेगा गरीबो के लिए। और वहॉ पूरा का पूरा गरीब होगा। यहॉ सब गरीब नही आते है। आप अभी चले जाइये कमेटी लेकर के और देख लें, पूँछ आये जा करके। वहॉ गरीब बाहर बैठा है, दरी बिछाकर बैठा है। सर्दी में बैठा है, ठिठुर रहा है। कोई पूछने वाला नही है। यह हालत है। अब है यह व्यवस्था। अभी चले जाइये वहॉ पर देखेंगे, किसको देखेंगे और कहा से लोग आ रहे है, शहर से आ रहे है या गांव से आ रहे है? इसलिए गांव में हमने एक वहॉ पर खोला है और आजमगढ़ में एक अस्पताल खोलने जा रहे है। इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेस कानून व्यवस्था पर ही देना चाहते है, हम जनहित की बात करना चाहते है। जनता के लिए, किसान के लिए और गरीब के लिए यह अस्पताल है। यहॉ मुफ्त इलाज होगा और सस्ता भी इलाज होगा। और यह टिक्कू रिपोर्ट के बाद जो हमने किया है, सारे के सारे मेडिकल कालेज को हमने सुधार कर रख दिया है। सारे डाक्टरों की नियुक्तियां हो गयी और इनको तो यही सरकार बचा ले गयी और जिस सरकार में आप बैठे रहे उस सरकार ने तो खत्म कर दिया था मेडिकल कालेज गोरखपुर को, नोटिस दे दी थी। आप बुरा न मानिये हम कहना नही चाहते, उनको नोटिस दे दिया था। कुछ ही दिनो के बाद वह गड़बड़ होने वाला था लेकिन अब आप उसको कुछ कहे, कोई उसका खत्म करने वाला नही है, गोरखपुर मेडिकल कालेज खत्म कर दिया था, डाक्टर साहब। मेरे पर्सनल संबंध थे मेडिकल कौसिल आफ इंडिया में, मैंने यहॉ से टेलीफोन किया और दिल्ली में उनको बुलाकर बात की और समझाया कि हमारी सरकार है, हम है और

उन्होंने हमारे व्यक्तिगत संबंधों को ही देखकर यह बचाया है, मेडिकल कालेज नही चलता। हमने टिक्कू रिपोर्ट लागू करके सारे मेडिकल कालेजों का सुधार किया। इसलिए हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हमने तो इसे जनहित में कहेंगे कि चलो गांव की ओर और हम सबसे कहेंगे कि गांव को निहारे रहिये, गांव को देखे रहिये तभी आप अपने देश की और प्रदेश को संवार सकेंगे, बढ़ा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड -2 से खण्ड-39 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005

जनपद इटावा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

2- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;

(ख) "निधि" का तात्पर्य धारा 24 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि से है;

(ग) "शासी निकाय" का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित संस्थान के शासी निकाय से है;

(घ) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, जनपद इटावा से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य धारा 4 मे निर्दिष्ट संस्थान के सदस्य से है;

(च) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 10 में निर्दिष्ट संस्थान के अध्यक्ष से है;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य धारा 38 के अधीन बनाये गये विनियम से है;

(ज) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या इस अधिनियम के अधीन संस्थान या उसके महाविद्यालय में शिक्षण या शोध कार्य या चिकित्सा शिक्षा देने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(झ) "महाविद्यालय" का तात्पर्य संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय से है;

(ञ) "प्राचार्य" का तात्पर्य महाविद्यालय के प्राचार्य से है।

संस्थान की स्थापना

3-(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे सैफई, जनपद इटावा में एक आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जायेगी जिसे ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई कहा जायगा और सैफई, जनपद इटावा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन पहले से कार्य कर रहे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, सैटेलाइट केन्द्र की समस्त आस्तियां, दायित्व और कर्मचारी उक्त संस्थान के समझे जायेंगे।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा।

(3) यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

संस्थान की संरचना

4-(1) संस्थान के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, -पदेन;

(ख) एक विख्यात व्यक्ति कुलाध्यक्ष होगा जिसे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से शासी निकाय के संकल्प द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार,-पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक,-पदेन;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश,-पदेन;

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,-पदेन;

(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रभारी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार-पदेन;

(ज) दो व्यक्ति जो समाज विज्ञान, वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा या शोध के कार्य में निरत हैं या उसका विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते है, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(झ) राज्य विधान मण्डल का एक सदस्य जो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमे संस्थान स्थित है;

(ञ) संसद का एक सदस्य जो उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित है;

(ट) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो उस सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ठ) भारतीय चिकित्सा परिषद का एक प्रतिनिधि जो ऐसी परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद का एक प्रतिनिधि जो ऐसी परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ढ) जीवन विज्ञान की शाखा से दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, ऐसे पैनल में से, जिसे एक समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नाम-निर्दिष्ट किये जाएंगे :-

(एक) अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्;

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक या उसका नाम-निर्देशिती;

(चार) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद;

(पांच) प्रमुख सचिव या सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, (संयोजक);

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति द्वारा बनाये गये पैनल में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जो चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे और इसे प्रत्येक दो वर्षों में पुनरीक्षित किया जाएगा।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां

5-(1) जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है उसके सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष होगी।

(2) खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि वही होगी जो शासी निकाय द्वारा संकल्पित की जाय।

(3) धारा 4 के खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी जैसे ही वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल का सदस्य या संसद का सदस्य न रह जाय।

(4) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किये रहे।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी।

(6) धारा (4) के खण्ड (झ) के अधीन या खण्ड (ञ) के अधीन किसी सदस्य से भिन्न कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, तब तक के लिए पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।

(7) पदावरोही सदस्य पुनः नाम-निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(8) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित और स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है किन्तु वह अपने पद पर तब तक के लिए बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र उस सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(9) सदस्यों की रिक्तियों की पूर्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

संस्थान की बैठक

6--संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय-समय पर अवधारित करे, और ऐसी बैठकों में कार्य सम्पादन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय :

परन्तु संस्थान की बैठक प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगी :

परन्तु यह और कि संस्थान अपनी प्रथम बैठक में कार्य सम्पादन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

संस्थान के उद्देश्य

7--संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचाने के लिए चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और उच्च स्तर की शोध सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना;

(ख) अतिविशिष्ट विषयों में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अतिविशिष्टिताओं में शिक्षण के प्रतिरुपों का विकास करना जिससे चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित हो सके;

(ग) पैरा मेडिकल और सम्बद्ध क्षेत्रों में, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

संस्थान के कृत्य

8--धारा 7 में निर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिये संस्थान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,-

(क) क्षेत्र में बहु विशिष्टता चिकित्सालय के माध्यम से रोगी एवं स्वास्थ्य देख-रेख अवसंरचना स्थापित कर सकेगा और क्षेत्र में प्रभावी परामर्शी नेटवर्क विकसित कर सकेगा;

(ख) अपने महाविद्यालयों के माध्यम से पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्टता शिक्षण की व्यवस्था करना और शारीरिक विज्ञान और जैविक विज्ञानों के अन्तर्विषयक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए आधुनिक औषधि और अन्य सहबद्ध विज्ञानों की सुसंगत शाखाओं में अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(ग) चिकित्सा शिक्षा की नई प्रणालियों का प्रयोग इस उद्देश्य से कर सकेगा कि ऐसे शिक्षण का सन्तोषजनक मानक प्राप्त किया जा सके;

(घ) पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विहित कर सकेगा;

(ङ) चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण कर सकेगा;

(च) पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अतिशिष्टतायुक्त चिकित्सा शिक्षा में ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टियों और पदवियों के लिय परीक्षायें ले सकेगा जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षा की जाय;

(छ) सरकार से अनुदान और यथास्थिति, दानी व्यक्तियों, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ता या हस्तान्तरणकर्ता के दान, संदान, उपकृति, वसीयत और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अन्तरण स्वीकार कर सकेगा;

(ज) जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से कर सकेगा जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की समुन्नति के लिये आवश्यक समझी जाय;

(झ) ऐसी फीस की अपेक्षा कर सकेगा और उसे स्वीकार कर सकेगा, जैसी विनियमों द्वारा अधिकथित की जाय;

(ञ) चिकित्सा के क्षेत्र में शोध कार्य के संचालन और उच्च शिक्षा में अन्य संस्थाओं, से सहयोग कर सकेगा;

(ट) संस्थान के कार्यकलापों के प्रशासन और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय कर सकेगा;

(ठ) ऐसे अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को, जो संस्थान के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों, इस अधिनियम के अनुसार सेवायोजित करा सकेगा;

(ड) ऐसे अन्य सभी कार्य कर सकेगा जो संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

संस्थान के अधिकारी

9--संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष ;

(ख) निदेशक ;

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य ;

(घ) संकायाध्यक्ष ;

(ङ) वित्त अधिकारी ;

(च) कार्यपालक कुल सचिव ;

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें नियमों में संस्थान का अधिकारी घोषित किया जाय।

अध्यक्ष

10--(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी शक्तियां और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यों का प्रशासन इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है और ऐसे कदम उठाना, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) संस्थान के कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसी सूचनायें या अभिलेख प्राप्त करना, जिसे वह उचित समझे;

(ग) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा उसे सौंपे जाय।

संस्थान के अधिकारी

11--(1) निदेशक एक समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(ग) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो चिकित्सा विशेषज्ञ जो सलाहकार होंगे;

(2) जब कभी निदेशक का पद रिक्त हो या होने की संभावना हो, तब उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति तीन व्यक्तियों के नाम से अनाधिक का एक पैनल तैयार करेगी जो उसकी राय में उक्त पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों।

(3) समिति जो पैनल तैयार करेगी उसे एक संक्षिप्त विवरण सहित, जिसमें उस पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता और अन्य विशिष्टतायें अंकित की जायेंगी, अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, किन्तु कोई अधिमान-क्रम इंगित नहीं करेगी।

(4) अध्यक्ष उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत किये गये पैनल में से निदेशक की नियुक्ति करेंगे।

(5) उपधारा (2) से (4) में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान का प्रथम निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(6) जहां निदेशक के पद में कोई रिक्ति हो और उसे उपधारा (1) से (4) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा और शीघ्रता से भरा न जा सकता हो या कोई अन्य आपातिक स्थिति हो, वहां अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकते हैं और इस उपधारा के अधीन नियुक्ति के कार्यकाल को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति का सम्पूर्ण कार्यकाल, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत कार्यकाल भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

(7) निदेशक की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे अनुमन्य वेतन, भत्ता, छुट्टी पेंशन और भविष्य निधि भी है, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाये, और जब तक इस प्रकार विहित न की जाये तब तक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी।

निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य

12--(1) निदेशक शासी निकाय का उपसभापति होगा और संस्थान का मुख्य कार्यपालक ओर शैक्षणिक अधिकारी होगा वह सभापति की अनुपस्थिति में शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) उपधारा (1) में निहित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक-

(क) संस्थान के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा.

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में समुचित शिक्षा देने और अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायी होगा।

(3) जहां कोई मामला, अविलम्बनीय प्रकार का हो जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त संस्थान के किसी अधिकारी, या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, वहां निदेशक ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उचित समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अध्यक्ष और उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी तत्काल देगा जो सामान्य स्थिति में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते:

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि निदेशक द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो निदेशक द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेंगे या उसे निष्प्रभावी कर सकेंगे या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेंगे जिसे वह उचित समझें और तदुपरान्त वह यथास्थिति प्रभावी न रह जायेगा या उपान्तरित रुप में प्रभावी होगा:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से, निदेशक के आदेश के द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) जहां निदेशक द्वारा उपधारा (3) के अधीन शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अन्तर्वलित हो, वहां ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की जाने पर या निदेशक के आदेश के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(5) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान या अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

संकायाध्यक्ष की नियुक्ति

13--(1) संस्थान का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संस्थान के आचार्यों में से शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) संकायाध्यक्ष संस्थान के शैक्षिक कार्यों में निदेशक की सहायता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों में अधिकथित किये जायें।

वित्त नियन्त्रक

14--(1) संस्थान के लिये एक वित्त नियंत्रक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा, और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का, यदि कोई हो, भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक शासी निकाय के समक्ष बजट और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त नियंत्रक का कर्तव्य होगा कि वह -

(क) यह सुनिश्चित करें कि संस्थान द्वारा ऐसा कोई व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न हो;

(ख) किसी प्रस्तावित व्यय की अनुज्ञा न दें, जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता है;

(ग) यह सुनिश्चित करे कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किसी अनियमितता को ठीक करने के लिये कार्यवाही की जाये;

(घ) यह सुनिश्चित करें कि संस्थान की सम्पत्ति और विनिधान का सम्यक् रुप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(4) वित्त नियंत्रक संस्थान के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने और उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हो।

(5) वित्त नियंत्रक संस्थान की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(6) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(7) वित्त नियंत्रक निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

कार्यपालक कुल सचिव

15--(1) कार्यपालक कुल सचिव संस्थान द्वारा ऐसी रीति से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्यपालक कुल सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

(क) वह संस्थान और शासी निकाय के सचिव के रुप में कार्य करेगा;

(ख) वह संस्थान के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) वह संस्थान और शासी निकाय और संस्थान के प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो;

(घ) वह, निदेशक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिये आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) कार्यपालक कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सौंपे जायें या जो उसे संस्थान, अध्यक्ष, निदेशक या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) कार्यपालक कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

संस्थान के प्राधिकरण

16--संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

(क) शासी निकाय;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संस्थान के आचार्यों और विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये चयन समिति;

(ङ) खण्ड (घ) में जो अध्यापक विनिर्दिष्ट हैं उनसे भिन्न अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें नियमों में संस्थान का प्राधिकरण घोषित किया जाये।

शासी निकाय

17--(1) शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष;

(ख) प्रख्यात कुलाध्यक्ष;

(ग) निदेशक;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग,-पदेन;

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग,-पदेन;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;-पदेन;

(छ) महाविद्यालयों के प्राचार्यगण;

(ज) राज्य विधान मण्डल का सदस्य जो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित हो;

(झ) संसद का सदस्य जो उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जिसमें संस्थान स्थित हो;

(ञ) यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, जो संस्थान के विभागाध्यक्ष हों।

(ट) यथाविहित रीति से चयनित किये जाने वाले संस्थान के अध्यापकों में से दो व्यक्ति;

(ठ) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह उस पद को धारण किये रहे जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी जैसे ही वह, यथास्थिति, राज्य विधान मण्डल जहां से वह निर्वाचित किया गया हो, का सदस्य या संसद का सदस्य नहीं रह जाता है।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ञ) या खण्ड (ठ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन किसी सदस्य की पदावधि चयन के दिनांक से दो वर्ष होगी।

(6) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के कार्यकाल की, जिसके स्थान पर वह नाम-निर्दिष्ट किया गया है, शेष अवधि तक बनी रहेगी।

(7) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति सदस्य के रुप में नाम-निर्दिष्ट न कर दिया जाय।

(8) शासी निकाय की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा सभापति समय-समय पर अवधारित करें:

परन्तु शासी निकाय की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

(9) शासी निकाय द्वारा किसी बैठक में या अन्य प्रकार से कार्य सम्पादन के लिये या अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विनियमों में अधिकथित की जाय।

(10) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जैसा विहित की जाय, शासी निकाय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित समझे, गठन कर सकता है।

शासी निकाय के कृत्य

18--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शासी निकाय संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय-

(क) संस्थान के कार्य-प्रशासन और कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा और विधा परिषद की सलाह पर सभी शैक्षिक विषयों पर, जिसके अंतर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि को धारण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के व्ययन पर दी गयी किसी निधि का प्रशासन करेगा;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकता है;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति कारबार और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबन्ध और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि अंश (शेयर) या प्रतिभूतियों में जिसे वह समय-समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है।

(ञ) संस्थान से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित कर सकता है।

विद्या परिषद

19--(1) एक विद्या परिषद होगी जो संस्थान की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) निदेशक, जो परिषद् का सभापति भी होगा;

(दो) महाविद्यालयों के प्राचार्यगण;

(तीन) संस्थान का संकायाध्यक्ष जो परिषद् का सदस्य/सचिव होगा;

(चार) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश,-पदेन;

(पांच) एक व्यक्ति, जो भारत में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का निदेशक हो जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(छः) संस्थान के विभागाध्यक्ष;

(सात) संस्थान के सह-आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन यथाविहित रीति से बारी-बारी से किया जायेगा;

(आठ) संस्थान के सहायक आचार्यों में से दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन यथाविहित रीति से बारी-बारी से किया जायेगा;

(नौ) संस्थान के चार सदस्य जो धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) तथा (ढ) में संदर्शित है।

(3) इस धारा के अधीन नाम-निर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, यथास्थिति, नाम-निर्देशन या निर्वाचन के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद -

(क) संस्थान में शिक्षा और अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी;

(ख) शासी निकाय को, सभी शैक्षणिक विषयों पर जिनके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित विषय भी है, सलाह दे सकेगी;

(ग) की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाये।

वित्त समिति

20--(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) निदेशक जो समिति का सभापति भी होगा;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग या उनका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी के नीचे न हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी के नीचे का न हो;

(घ) दो व्यक्ति जिनका नाम-निर्देशन शासी निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

(ड़) कार्यपालक कुल सचिव;

(च) वित्त नियंत्रक जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति शासी निकाय को संस्थान की सम्पत्ति और निधि के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर जिसके अन्तर्गत संस्थान की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये आवर्तक और अनावर्तक व्यय की सीमा और उनके संबंध में पालन किये जाने वाले सिद्धान्त भी है, सलाह देगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो विहित किये जायें।

संस्थान के महाविद्यालय

21--(1) संस्थान के उतने महाविद्यालय होंगे जितने कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

(2) किसी महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय में नामांकित छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उस महाविद्यालय में आवंटित लिपिक वर्गीय और अवर कर्मचारी वर्ग पर सामान्य नियंत्रण रखेगा।

(3) महाविद्यालय में अपने कृत्यों और कर्तव्यों, जो विहित किये जाए के निर्वहन के लिए उतने आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे, जितने आवश्यक हों।

(4) उनके कृत्यों और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए महाविद्यालय में उतने विभाग होंगे जितने आवश्यक होंगे।

(5) महाविद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक और कर्मचारी संस्थान के कार्मिक समझे जाएंगे और महाविद्यालयों के विभाग संस्थान के विभाग समझे जायंगे।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

22--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उतने प्राचार्य, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और समूह "क" के अधिकारी, जितने आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और समूह "ख" के उतने अधिकारी जितने आवश्यक हो, निदेशक द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) जैसा उपधारा (1) में उपबन्धित है उसके सिवाय, संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी रीति और पदनाम से और श्रेणियों में नियुक्त किये जायेंगे जैसा विनियमों में निर्धारित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संस्थान के अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जैसी विनियमों में निर्धारित की जाये।

(4) कोई भी व्यक्ति संस्थान का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह विनियमों में इस निमित्त निर्धारित अर्हतायें पूरी न करता हो और, जैसा कि उपधारा (9) में उपबन्धित है के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त गठित चयन समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति को संस्तुत नहीं किया जाएगा।

(5) प्राचार्य या आचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) निदेशक;

(ख) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;

(ग) तीन विशेषज्ञ जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(घ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाये;

परन्तु आचार्य की नियुक्ति की स्थिति में, संबंधित विभागाध्यक्ष भी चयन समिति का सदस्य होगा;

परन्तु यह और कि किसी विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य को विभागाध्यक्ष अभिहित किया जायगा।

(6) प्राचार्य या आचार्य से भिन्न अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) निदेशक;

(ख) निदेशक; चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;

(ग) विभागाध्यक्षगण;

(घ) दो विशेषज्ञ जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जायें।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित चयन समिति ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी विहित की जाय या विनियमों में निर्धारित की जाय।

(8) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति तब तक विधिमान्य नही समझी जायगी जब तक कि उसे उपस्थित सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो;

परन्तु उपधारा (5) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति और उपधारा (6) के अधीन गठित चयन समिति की स्थिति में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति, आवश्यक होगी।

(9) जहां चयन समिति उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुसार संस्तुति करने में विफल रहे, वहां चयन समिति का कार्य-वृत्त अध्यक्ष को उसके निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) जहां उपधारा (6) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार न हो, वहां वह ऐसी संस्तुति के प्रति आपत्ति के आधार को सुस्पष्ट रुप में विनिर्दिष्ट करते हुए, मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा, और अध्यक्ष का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु कुलाध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुन: विचार के लिये मामला चयन समिति को भेजे या मामले पर विचार करने के लिए दूसरी चयन समिति के गठित किये जाने की अपेक्षा करे।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए समूह "क" के अधिकारी और समूह "ख" के अधिकारी ऐसे अधिकारी होंगे जैसा उन्हें विनियमों में इस रुप में विनिर्दिष्ट या पदाभिहित किया गया है।

संस्थान को भुगतान

23--राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा विनियोग किये जाने के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थान के कृत्यों और विकास के लिए आवश्यक ऐसी धनराशि और ऐसी अन्य धनराशि ऐसी रीति से संस्थान को देगी जैसी इस अधिनियम के अधीन उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जायें।

संस्थान की निधि

24--(1) संस्थान एक निधि रखेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी-

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रुप में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि;,

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्त्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि;

(2) निधि में जमा की गयी सभी धनराशि ऐसे बैंक में जमा की जायेगी या उसका विनिधान ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करें।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत धारा 8 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है।

संस्थान का बजट

25--(1) प्रतिवर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, ऐसे प्रारुप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय एक बजट तैयार किया जायेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय दर्शित किया जायेगा और उसे एक ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) शासी निकाय ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जाये और बजट का अन्तिम रुप से अनुमोदन करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जो बजट में स्वीकृत न हो या बजट की स्वीकृति के पश्चात संस्थान को राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य अभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो तो उस अनुदान की शर्तों के अनुसार न हो;

परन्तु आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में पन्द्रह हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय जो बजट में स्वीकृत न हो, निदेशक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्यय के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार को तुरन्त देगा।

लेखा और लेखा-परीक्षा

26--(1) संस्थान समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक लेखा-विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन पत्र भी है, तैयार करायेगा।

(2) वार्षिक लेखा विवरण पत्र और तुलन-पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

27--संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट प्रति वर्ष तैयार करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

पेंशन और भविष्य निधि

28--(1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय, ऐसी पेंशन और भविष्य निधि को, जैसी वह उचित समझे, संस्थापित करेगा।

(2) जहां कोई ऐसी पेंशन या भविष्य निधि, संस्थापित की गयी है, वहां राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर लागू होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि हो।

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

29--संस्थान के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण अध्यक्ष या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और अन्य सभी लिखतों का अधिप्रमाणीकरण निदेशक या इस निमित्त इसी प्रकार प्राधिकृत संस्थान के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी

30--संस्थान या संस्थान के किसी प्राधिकरण या गठित किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर आक्षेपित नहीं किया जायगा कि संस्थान, संस्थान के प्राधिकरण या ऐसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

31--संस्थान ऐसे निदेशों को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत के हों, कार्यान्वित करेगा जो इस अधिनियम के अधीन संस्थान के कार्य-कलापों के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

संस्थान के कार्यकलाप का निरीक्षण कराने की राज्य सरकार की शक्ति

32--(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, संस्थान के, जिसके अंतर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी है और संस्थान द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या उसकी रीति से संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करें, वहां वह उसकी सूचना निदेशक के माध्यम से संस्थान को देगी और शासी निकाय द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रुप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रुप में सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार निदेशक को ऐसे निरीक्षक या जांच के परिणाम के संदर्भ में पत्र भेजेगी और निदेशक शासी निकाय को राज्य सरकार के दृष्टिकोणों को ऐसे परामर्श के साथ, जिसे राज्य सरकार इस पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये प्रस्तावित करे, संसूचित करेगा।

(5) तत्पश्चात निदेशक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियम करे, शासी निकाय द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करें तो राज्य सरकार किसी स्पष्टीकरण पर ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी।

संस्थान और राज्य सरकार के बीच विवाद

33--यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में या उनके संबंध में संस्थान और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार का ऐसे विवाद पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

कुलाध्यक्ष को निर्देश

34--यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक रुप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरुप है या नहीं, तो मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व-प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात निर्देश ग्रहण कर सकते हैं।

विवरणी और सूचना

35--संस्थान राज्य सरकार को ऐसे रिपोर्ट, विवरणी (रिटर्न), विवरण-पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय-समय पर करे।

अधिभार

36--(1) संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई सदस्य या यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप हो।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

37--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि में, गजट के आदेश प्रकाशित करके, ऐसे उपबन्ध बना सकती है जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुकूलन या उपान्तरण, यदि कोई हो, जिससे उसके सारतत्व पर कोई प्रभाव न हो और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

नियम बनाने की शक्ति

38-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

39--(1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:-

(क) संस्थान की प्रथम बैठक में भिन्न बैठक बुलाना और करना और ऐसी बैठकों में कार्य-संचालन और गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) शासी निकाय या इस अधिनियम के अधीन गठित की जाने वाली किसी समिति या अन्य निकाय के गठन के संबंध में कोई विषय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) शासी निकाय और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य संचालन, अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की, पदावधि, वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) शासी निकाय के सभापति और उपसभापति और उप-सभापति की शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(झ) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबंध;

(ञ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टितायें और पदवी जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती है;

(ट) संस्थान के आचार्यों, विभागाध्यक्षों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, प्रथम वर्ग के अधिकारियों, द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के पदों और अन्य अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों के लिये अपेक्षित अर्हतायें भी है;

(ठ) फीस और अन्य परिव्यय, जिसकी संस्थान द्वारा मांग की जाये और उसे प्राप्त किया जाये;

(ड) रीति जिसके अनुसार और शर्त जिनके अधीन संस्थान के अधिकारियों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन और भविष्य निधि का गठन किया जा सकता है;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा बनायी जायेगी, और इस प्रकार बनायी गयी किसी विनियमावली को संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तित या विखंडित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-39 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का बाइसवाँ प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का 'बाइसवां प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1996-97 तथा 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापे नही गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का तेइसवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का 'तेइसवां प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1982-83 तथा 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का चौबीसवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) उक्त समिति का 'चौबीसवां प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1987-88 तथा 2000-2001 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का पच्चीसवां प्रतिवेदन†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) उक्त समिति का 'पच्चीसवां प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1986-87 तथा (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) के तेरहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुति एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1991-92 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1999-2000 के इक्कीसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल अपना भाषण जारी करें।

मा0 मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने की घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मुझे एक सूचना देनी है, अगर अनुमति हो। अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह सदन चल रहा है और माननीय हुकुम सिंह जी ने मांग की थी, गन्ना किसानों के बारे में। इस समय वह यहां हैं नहीं। आपने भी मांग

---

† छापे नहीं गये।

की थी, सबने मांग की थी कि गन्ना किसानों का मूल्य आज घोषित कर दिया जाय, तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सामान्य प्रजाति का गन्ना मूल्य जो 107 रूपये था उसे बढ़ाकर 115 रूपये कर दिया गया है। इसी तरह जल्दी पकने वाली प्रजाति, जिसे अगैती भी कहते हैं, का मूल्य 112 रूपये से बढ़ाकर 120 रूपये कर दिया गया है। इसके अलावा तीसरी जो गन्ने की प्रजाति है, उसका मूल्य जो 104.50/= रूपये था उसको बढ़ाकर 112.50/= रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस प्रकार दाम बढ़ाने से किसानों को 400 करोड़ रूपये अतिरिक्त भुगतान और होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने जितना बढ़ाया उसके लिए बधाई लेकिन हमलोगों ने 150 रूपये की मांग की थी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रमोद जी, ऐसा है, अगर चीनी मिल ही बन्द हो गयी तो कीमत कैसे घोषित होगी? फिर भी सभी का ध्यान रखा गया है। हम तो थे नहीं आपके समय में। अगर चीनी मिल ज्यादा लग रही हैं तो हमारी गन्ना नीति के कारण लग रही हैं। 4 हजार करोड़ रूपये का निवेश हो चुका है और होने वाला है। इससे किसानों को और लाभ होगा। पिछली बार 600-700 करोड़ रूपये के बीच लाभ हुआ था, हमने जो मूल्य तय किया था। हमें तो खुशी है। टण्डन जी, आप भी मेजें थपथपाते, लेकिन किसानों से इनका वास्ता नहीं है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

आपने जितना बढ़ाया उसके लिए बधाई के आप पात्र हैं। लेकिन क्या गन्ने का मूल्य, चीनी का मूल्य और मालिकों को दी जाने वाली सुविधायें, इन तीनों चीजों का आपने आकलन किया है इसको आपको बदली हुई परिस्थिति में देखना होगा। कल चीनी 12 रूपये बिक रही थी और आज 20-22 रूपये प्रति किलों बिक रही है। कृषि में काम आने वाले जो अवयव है, उन सबका मूल्य बढ़ गया है। केवल मिल मालिकों को फायदा हो रहा है, किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार भी जो दे रही है, वह मिल मालिकों के पास जा रहा है। कुछ मिलें थी जिन्होंने जो निर्धारित मूल्य था, उससे ज्यादा दिया। अगर आप किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते, उन्हें उनका मूल्य दिलाते तो हम सरवाइव कर जायेंगे या जो रिजर्व किया है, उसे खत्म कर दीजिये ताकि किसान जहां चाहे वहां अपना गन्ना बेचे। सब जगह अगर फ्री कर रहे हैं तो आखिर गन्ने के ऊपर प्रतिबन्ध क्यों लगाये हुए हैं? आप गन्ना उत्पादक को भी छूट दे दीजिये वह जहां चाहे वहां अपने गन्ने को बेचे, उस पर भी कोई प्रतिबन्ध न हो या फिर उसको इस तरह का मूल्य मिले, जिससे वह संतुष्ट हो और बाजार के हिसाब से उसके मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो गन्ने के दाम भी उसी अनुपात में बढ़ने चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो कहा कि चीनी मिल-मालिकों को सुविधा दी जा रही है जो मिल-मालिक किसानों को सुविधा देंगे, उनका भुगतान करेंगे, उन्हें ही यह सुविधा दी जायेगी। आप इतना ही दायरा देखिये, आप अन्य जगहों पर भी देखिये। जो उद्योग नीति हमने लागू की है, वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेशों ने भी लागू कर दी है। आप कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी सुविधा हम दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं? आप लोगों की आलोचनाओं के बाद भी एक साल के अन्दर कितनी सुविधायें हम दे रहे हैं। जरा आप देखिये, पंजाब में कितनी सुविधायें दे रहे हैं? उत्तरांचल में कितनी दे रहे हैं? लेकिन पता नहीं आप उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, कन्या विद्या धन को ले करके भी तारीफ हो रही है, फिर भी पता नहीं आपकी सोच क्या है? माननीय हुकुम सिंह जी, आप तो बगल में रहते हैं। अगर चीनी मिल-मालिक किसानों के हितों को ध्यान में रखेंगे तभी उनको यह सुविधा मिलेगी नहीं तो यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह हमारी उद्योग नीति में है। जो गन्ना काँटे को लेकर के बातें होती हैं, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि सही काम हो। पूरे प्रदेश में एक-आध जगह पर ही काँटे की समस्या हो सकती है। अगर आपके संज्ञान में कहीं पर ऐसी बात है तो आप अगर उसकी शिकायत दे देंगे तो हम उसे दिखवा लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय सदस्य विधान सभा की दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी टंण्डन, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री लालजी टण्डन, केशरी नाथ त्रिपाठी, डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामहेत भारती, राम शंकर पाल, चौधरी महेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द, आर0एस0 कुशवाहा, ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) सुखदेव राजभर, जगदीश नारायण राय, प्रमोद तिवारी, राम नरेश यादव, जगदम्बिका पाल, रामसेवक, श्यामदेव राय चौधरी, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सुरेश कुमार खन्ना एवं मुंशी लाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा है। इस चर्चा में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के लिए कोई समय-सीमा नहीं है, जो अन्य दलों के नेतागण हैं, वह इस चर्चा में 07 मिनट बोलेंगे और जो अन्य माननीय सदस्य हैं, वह केवल 05 मिनट में अपनी बात कहेंगे।

***नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-**

मान्यवर, क्या मेरे लिए भी समय सीमा है?

श्री अध्यक्ष-

आप पूरी बात सुनते ही नहीं हैं। आपकी ऐसी टोपी है कि कान ढका रहता है। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, भारत सरकार ने सूचना के मौलिक अधिकार का विधेयक पास कर दिया है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रदेश में कितने आपराधिक रजिस्टर्ड गैंग है इसकी सूचना न प्रमुख सचिव, गृह और न डी0जी0पी0 के पास है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्य कैसे पूरे कर सकते हैं जब तक मुझे ये जानकारियां नहीं मिलेंगी। ये जानकारी अगर मुख्यमंत्री जी के पास है और मेरे पास नहीं है तो मैं निश्चित रूप से यह मानूँगा कि जानबूझकर सूचना नहीं दी गयी है ताकि तथ्य सामने न आ जाए या फिर उन पर दबाव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने कल पत्र लिखकर पूछा था, प्रमुख सचिव गृह को कि मेरे पास सूचना है नहीं, यह जिलों में होती है। जब सूचनायें जिलों में होती है तो फिर सचिवालय को बन्द करिये, यहां कोई सूचना ही नहीं है। बिना सूचना के आँय-बाँय-साँय बकना हो तो यह सदन की मर्यादा के खिलाफ होगा। मैं चाहता हूँ कि उन आँकड़ों के साथ प्रदेश की जो स्थिति कानून-व्यवस्था की है, जिसमें विधायक और सांसद कोई सुरक्षित नहीं है। मैं उसकी तस्वीर रखना चाहता था मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एक सुझावात्मक रहता है। आप उसको मान लेते हैं तो स्थिति ठीक हो जाती है, नही मानते हैं तो स्थिति खराब होती जाती है। अगर आपने सुझाव के रूप में कहीं ध्यान दिया है तो उसका परिणाम दूसरा आया है और अगर ध्यान नहीं दिया है तो उसका परिणाम दूसरा आया है। नेता प्रतिपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है बल्कि सार्थक सुझाव देना भी है और मैं चाहता हूँ कि आपको यह जानकारी मिले। मुझे जानकारी नहीं मिल रही है तो मैं मानूँगा कि यह प्रशासन के पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं है। यदि आपके पास है और मुझे वह सूचना नहीं प्राप्त हो रही है तो सरकार का कहीं दबाव है और इन्हीं सब बातों से मान्यवर, आज के टाइम्स आफ इण्डिया में पढ़ लें इस हत्याकाण्ड के बारे में लिखा है "ब्लेन प्रोटेक्टर टर्नस पेरिडेटर" फ्रण्ट पेज के ऊपर यह लिखा गया है यह सरकार के द्वारा स्पांसर्ड हत्या है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है वह लिख रहा है। इसकी बात गलत नहीं हो सकती। आज इन खबरों की कटिंग और ऐसी कटु बातें कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास आँकड़े नहीं हैं। फिर भी पूर्वांचल में जो कुछ हो रहा है उसको गम्भीरता से लिया जाये। इस पर राजनीतिक ढंग से न सोचा जाये। यह केवल एक विधायक की मृत्यु की बात नहीं है बल्कि सारी की सारी विकास योजनायें और जो विकास की बातें कर रहे हैं थोड़े दिनों में धुआँ हो जायेगा जब अपराधियों का वर्चस्व होगा और उसको रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन मैंने यह मांग की थी कि इस तरह की जो आशंकायें उठ रही हैं उनको दूर करने का एक उपाय है वह है सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी। मुझे पता नहीं है कि क्या कारण है कि आपको सी0बी0आई0 की जांच कराने में एतराज हो रहा है।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए)

आपको यह स्वयं मान लेना चाहिए फिर बहस की आवश्यकता नहीं रहेगी न ही चर्चा होगी जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके ऊपर बात हो जायेगी अगर कोई कमी होगी तो वह बतायेंगे। इसी सदन में न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं जिस पीठ पर आप बैठे हैं वहीं से आदेश हुए हैं कि इसकी न्यायिक जांच कराइये ऐसे उदाहरण मिलेंगे आप कार्यवाही उठाकर देखिये। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है केवल मामले को घुमाया जा रहा है कौन सा गैंग है किसने यह किया है सब लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि किसने किया है और यह कहा जाता है कि अंसारी अपराधी नहीं है। मैं एक गैंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि सी0बी0आई0 जाँच क्यों जरूरी है। स्टेट के अन्दर जो एक जिले का एक क्षेत्र का मामला हो या दो जिलों के बीच का मामला है उसमें कोई जांच हो सकती है जो प्रदेश व्यापी संगठन है उसके बारे में भी कोई जांच हो सकती है लेकिन जो इण्टर स्टेट गैंग होगा उसके बारे में जानकारी करने पुलिस कहां कहां जायेगी। मैं अंसारी के बारे मे बताना चाहता हूँ कितने अपराध हैं इनके खिलाफ जो सबसे पहला अपराध लिखा हुआ है वह है 116 बी आई0ए0एस0 गैंग नं0 191 एक राज्य से दूसरे राज्य में जिस गैंग का सम्बन्ध होता है वह आई0ए0एस0 गैंग होता है यह उसमें सबसे पहले गिरफ्तार हुए। बाद में उनके बारे में डी0जी0पी0 द्वारा यह कहा गया कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है उनकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। उसको जेल में सारी सुविधायें मिल रही हैं अभी अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यह भी बताया गया कि वह सदन में आने वाले हैं उनको यह अधिकार है। इनके विरुद्ध 30 मुकदमें टाडा, गैंगस्टर, एन0एस0ए0 के चल रहे हैं। ऐसे लोगों को साथ रखने

से क्या उत्तम प्रदेश बन जायेगा। श्री चन्द्र शेखर जी जो आपके भी बड़े हितैसी हैं मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि जब जनता पार्टी के वह अध्यक्ष थे उस समय आप भी जनता पार्टी में थे उनके प्रति मेरे मन में भी सम्मान है वह जब बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं वह हमारे दल के विरोध में भी बोल देते हैं उन्होंने ही कहा है कि आज पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा हे उसकी सी0बी0आई0 जॉच कराना सरकार का कर्तव्य है। उन्हीं की सलाह मान लीजिए।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाने पर कि नेता विरोधी दल के भी कुछ लोगों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

अगर मैं एक एक के बारे में बताना शुरू कर दूँ तो बड़ी इम्बैरेशिंग पोजीशन हो जायेगी। इसलिए मैं जो मांग कर रहा हूँ कि इसकी सी0बी0आई0 जॉच हो। तो मैं उसमें यह नहीं कह रहा हूँ कि यहां कोई है तो उसको छोड़ दीजिए। हमारा यहां पर भी यदि कोई है तो उसको भी करिये। लेकिन इससे भागने से कैसे काम चलेगा। अगर आपकी पुलिस इतनी इफैक्टिव होती, आपका प्रशासन इतना चुस्त दुरूस्त होता तो मऊ के दंगे की जांच के लिए आपने प्रशासनिक कमेटी क्यों बनाई थी? क्या उस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी? हम कह रहे थे कि इसकी न्यायिक जांच करा दीजिये लेकिन आपने कहा कि हम जल्दी करवायेंगे इसलिए प्रशासनिक कमेटी बना रहे हैं। इस प्रशासनिक कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया?

एक आवाज-

आप लोगों का नाम।

श्री लालजी टण्डन-

हमारा नाम तो आपके दिल में बसा हुआ है। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब सभी दल की मांग थी। आपके सहयोगी दल कांग्रेस की भी मांग थी, बसपा दल के नेता ने भी मांग की थी कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच हो तो आखिर सारा विपक्ष और आपके सहयोगी पक्ष भी यही मांग कर रहे थे। आपके हितैषी भी सलाह दे रहे थे, हम भी यही मांग कर रहे हैं तो यह मांग मान लेने में आपत्ति क्या है? श्री कृष्णानन्द राय इस सदन के सम्मानित सदस्य थे अब यह कहा जा रहा है कि वे भी कोई बड़े गैंगस्टर थे। हम तो यह कहते हैं कि आप जब जांच करें तो उनको भी न छोड़ा जाय। सी0बी0आई0 जांच होगी तो जो रिपोर्ट आयेगी उसमें सब आ जायेगा। सबकी तस्वीर सामने आ जायेगी। कौन-कौन लोग इसके पीछे हैं, वह सब भी सामने आ जायेगा। लेकिन इधर यह देखा जा रहा है कि जिनके ऊपर आरोप है वे कैसे शानदार तरीके से आपके दफ्तर में जाते हैं वहां से जुलूस बनाकर नारे लगाते हुए आते हैं और वहीं कचहरी में जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपकी पुलिस उनको रिमान्ड पर ले पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अभी तक इसमें सिर्फ एक अपराधी को छोड़कर और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि कोई न कोई अपराधियों को जरूर बचा रहा है। जांच करने के लिए कहा जा रहा है। यह जांच है, यह कोई सजा नहीं है। किसी को फाँसी होने नहीं जा रही है। कल यदि न्यायालय से निर्दोष साबित हो जायेंगे तो कोई बात नहीं। यह पक्षपात क्यों दिख रहा है। मान्यवर, बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपके एस0सी0एफ0 की रिपोर्ट है। बीस दिन पहले ही उनकी हत्या होने की सम्भावना की रिपोर्ट भेज दी गयी थी कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर के शूटर्स वहां इकट्ठा हो रहे हैं और राय की हत्या की सम्भावना है। तो मान्यवर, इतने दिन पहले यह सूचना आ जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न करना क्या दर्शाता है। एक खबर जो टाइम्स आफ इंडिया में है वह पुष्टि करती है। कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप है तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक को छोड़कर कोई भी

गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवने अपने पुराने केसेज की जमानत रद्द कराकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोप लग रहा है एक विधायक की हत्या का और सरेन्डर कर रहे हैं किसी पांच साल पुराने केस की जमानत का और पुलिस खडी तमाशा देख रही है। मैं तो कह रहा हूँ मान्यवर, इस सरकार ने पुलिस को बिल्कुल पण्डा बना दिया है। कुछ करने की स्थिति मे नहीं है। जब तक पंचम तल से निर्देश नही जायेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं। यह व्यवस्था बहुत ही छोटी है। यह व्यवस्था भी अनिष्टकारी है। जो यहां आये उसका हाथ खाली होना चाहिए कि वह कार्यवाही करे। यह मजबूरी है डी0जी0पी0 का कहना है कि गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी नहीं होती है तो या तो भगवान मालिक है या उसके बाद आप है। सब रहें या सब मर जायें। बराबर रिपोर्ट आ रही है अभी महाराष्ट्र के डी0जी0पी0 ने अपनी किसी जांच रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनेताओं के सम्बन्ध डी कम्पनी से हैं। यह देखने की आवश्यकता है कि वह कौन से मंत्री हैं जिनके सम्बन्ध डी0 कम्पनी से हैं। वह कहां तक पहुँच रहे हैं। हमारा शिकंजा अपराधियों पर कितना कस रहा है। शहाबुद्दीन ने अपना कार्यभार उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया है। उनका अड्डा गाजीपुर बन गया है बहुत से और हैं उनका इलाहाबाद में जाकर सम्बन्ध बन गये हैं एक त्रिकोण बन गया है। इसमें उत्तर प्रदेश फंसता चला जा रहा है। आगे समय में कोई नहीं बचेगा। आप बचाने के लिए कुछ करें यह तभी हो सकता है जब आपके सामने निष्पक्ष रिपोर्ट होगी, यह अपराधी हैं एक बार निष्ठुरता का कदम उठायें पूरी छवि बन जायेगी। जो गलत छवि बन रही है उसमें सुधार होगा। हम आपके मित्र हैं इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं। अपराधियों से अलग करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम अपराधी हैं।

श्री लालजी टण्डन-

जो अपराधी हैं उन्हें अलग करें। आप सुन रहे हैं तो हम कहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप बोल लें बीच में जवाब नहीं देना है जब बोलेंगे तो जवाब देंगे।

श्री लालजी टण्डन-

कानपुर का जो जागरण है उसमें निकला है। कृष्णानन्द राय की हत्या के सम्बन्ध में। उनकी हत्या के समय विभिन्न थानों की पुलिस गाजीपुर जेल में थी। मुख्तार अंसारी बन्द थे। चार थानों की पुलिस हिफाजत कर रही थी। जब कृष्णानन्द राय मांग कर रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया है यह क्या है किधर इशारा है। जिस गाड़ी में हत्यारे आये थे उन्होंने हत्या की, जिस गाड़ी में बैठकर हत्यारे आये उन्होंने जिस तरह से विदेशी हथियार ए0के047 जैसे खतरनाक हथियार से पांच सौ गोलियां चलाई। अभी तक आतंकवादी ऐसा करते थे लेकिन इस तरह से जो आठ-आठ आदमियों को मार दिया जाये यह पहली घटना होगी। एक दो मार दिये गये, वह तो ठीक है, हो सकता है अपराधी कहीं कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं लेकिन 8-8 आदमियों को मार दिया गया और जिस गाड़ी में बैठकर आये थे, वह सूमो, आजमगढ़ के महामृत्युन्जय मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल बजरंग त्रिपाठी की थी जो चोरी हो गयी थी, उसकी रिपोर्ट लिखाई गयी थी। यह 30 अक्टूबर को चुराई गयी थी, बहुत कोशिश के बाद मुकदमा लिखा गया और एक माह तक मामला दबा रहा और लूट की विवेचना नहीं हुई। एक अधिकारी के हस्तक्षेप से यह रिपोर्ट लिखी गयी थी और उसी गाड़ी पर बैठकर हत्या कर दी गयी। एसटीएफ की रिपोर्ट जो आपको भेजी गयी है, यह भी अखबार में छपी है। एसटीएफ ने हत्यारों के बारे में सरकार को बता दिया था, क्या बता दिया था, हत्यारे मोहम्मदाबाद के

युसूफपुर मोहल्ले में तीन माह से डेरा डाले हैं। एस0टी0एफ0 ने इसकी सूचना शासन और पुलिस दोनों को दी थी। 36, 46 लोगों की आवाजाही और 52 मोबाइल से की गयी बातचीत भी टेप की गयी थी। सर्विलांश से भी हत्या की योजना की जानकारी मिली थी, आला अफसरों ने दबिश देने की अनुमति मांगी लेकिन ऊपर से कार्यवाही न करने के आदेश आ गये। यह मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं जितनी बात कह रहा हूँ, वह सब सही है क्योंकि जब हमें सूचना ही नहीं मिलेगी तो अखबारों में और वहां के लोग जो कहेंगे, वह मैं कहूँगा अन्यथा भविष्य के निए निर्देश दीजिये।

मान्यवर, चेयर से भी निर्देश जाने चाहिए कि अगर नेता प्रतिपक्ष या कोई विधायक सदन में कोई बात करने के लिए किसी विषय की सूचना चाहता है तो विभाग उसे उपलब्ध कराये। क्या हालत हो गयी है, पूरा महकमा का महकमा ही बेकार हो गया है, निकम्मा हो गया है। क्या कर रहे हैं? यदि प्रदेश के हेड क्वार्टर में सूचना नहीं है कि प्रदेश में कितने रजिस्टर्ड गैंग हैं, अपराधियों के, इतनी सी सूचना नहीं है , कौन बचायेगा, कौन अपराधियो को घेरेगा? जिनका दबाव होगा, उनके दबाव में काम करेंगे, जिनका पैसा चलेगा उसके पैसे पर काम होगा लेकिन जनता तो मरेगी, हमें इसके लिए कुछ तो करना पड़गा। एसटीएफ के ऊपर इतना दबाव हो गया कि वह एक को भी पुलिस रिमाण्ड पर नहीं ले पायी, अगर पुलिस रिमाण्ड पर नहीं लेंगे तो जांच कैसे होगी? जिस जांच की बात आप कर रहे हैं कि करा लेगे तो इन परिस्थितियों में जांच कैसे होगी? मैं इन तथ्यों के आधार पर ही मांग कर रहा हूँ कि श्रीमन् प्रदेश को बचाइये, अपराधियों से। मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी का टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, न यहां की परम्परा को बिगाड़ना चाहता हूँ, वरना यह मेरे पास पूरी सूची है कि कौन-कौन से अपराधी जो आपके दल का झंडा लगाये घूम रहे हैं, उनके ऊपर कितने-कितने मुकदमें हैं। यह सब मेरे पास रिकार्ड है।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मुझे दे दीजिए।

श्री लालजी टण्डन-

मैं दे दूँगा। मान्यवर, जिस पर दिल्ली, वाराणसी, गाजीपुर, लखनऊ में हत्या और अपहरण जैसे मामलों पर 27-30 मुकदमें दर्ज हों वह बहुत अच्छा आदमी है, नेक इंसान है। खुदा की इबाबत करता है वह तो। उसे क्या भय कि निर्दोष लोगों की जान जाये या रहे। खुदा बचायेगा। अभी से जांच को मोड़ देने की कोशिश हो रही है कि मुन्ना बजरंगी ने यह कर दिया। अगर मुन्ना बजरंगी ने भी किया तो यह एस0टी0एफ0 की रिपोर्ट में है कि वह दो दिन पहले उससे मिला है। जेल में कैमरा लगा था। उसमें उसकी फोटो है। आप निकलवाकर देख लें। आज कोई अधिकारी साफ नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो उसके ऊपर गाज गिर जायेगी। कोई अधिकारी ऊपर नही उठ सकता अगर उठेगा तो दब जायेगा। किसी तरह से इन परिस्थितियों को सम्भालिये। मान्यवर, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसके शासनकाल में अपराधियों की क्या स्थिति है। कानून-व्यवस्था कैसी है। अगर वह ठीक नही है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह सरकार अपने कर्त्तव्य में फेल हो गयी है। और हमारे यह वी0एस0पी0 के साथी जो आजकल घर-घर जाकर कंडीडेट ढूँढ़ रहे हैं, इन्हें किसी की मृत्यु से कोई लेना देना नही है। जब इस सदन में बात आती है तो उसमें यह सहयोग करने के बजाये चले जाते हैं। जब राजूपाल की हत्या हुई भी तो हमने उस समय सदन में इनका समर्थन किया था। लेकिन अगर यह इसमें भी राजनीति की रोटी सेकेंगे तो राजनीति करना हमें भी आता है। हम शालीनता के साथ बात कर रहे हैं। अगर कठोरता के साथ यह बात कही जायेगी तो बहुत से बेनकाब उधर भी हो जायेंगे। जब एक व्यक्ति की पार्टी हो जाती है तो उसकी विचारधारा खत्म हो जाती है और वह दुकान हो जाती है। सीधी बात, पैसा दीजिए टिकट लीजिए, और जोड़ डालिए इस जाति के इतने वोट और उस जाति के उतने वोट, कुल मिलाकर इतने हो जाते हैं,उसका टिकट पक्का। न आपको उसकी योग्यता देखनी है और न उसका चरित्र देखना है न कुछ देखना है।

श्री सुखदेव राजभर-

उमा भारती को झेलिए, इधर के चक्कर में न पड़िये।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने जब आपकी भारती को झेल लिया तो वह क्या है?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)-

इतनी सफाई और बता दीजिए कि आपने उन्हें झेला है कि उन्होंने आपको झेला है?

श्री लालजी टण्डन-

यह हम दोनों के बीच में रहने दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मेरा यह सवाल लिंग के ऐतबार से भी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जो भी हुआ हो यह इनका निजी मामला है उसका जिक्र सदन में न किया जाये।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब अमर सिंह जी पर पोटा लगाने का जिक्र आया था तो मैंने यह कहा था कि यह सरकार चली जायेगी अगर यह होगा। तो मैं उस चरित्र का हूँ। देश में लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कार्यक्रम करने का अधिकार है। उसको रोकना गलत है। लोहिया जी की बात आप करते हैं। हमारे ऊपर भी लोहिया जी की संस्कृति है। लोहिया जी और दीन दयाल उपाध्याय जी अगर जल्दी न चले गये होते तो इस देश का नक्शा दूसरा होता। अगर विचारों के आधार पर चलना है तो अपराधियों की गर्दन नापनी होगी। अगर आप इनकी मदद करेंगे और इनका जाल बढ़ता चला जायेगा और उनका सम्बन्ध विदेशों से होगा, तो मैं बड़ी ही गम्भीरता से कहना चाहूँगा कि यह इतिहास में लिखा जायेगा कि आपके राज्य में ऐसा हुआ था। इसलिए ऐसी स्थिति को न आने दें। और मेरी सलाह मान लीजिए इसमें सीआईडी जांच, नहीं सीबीआई जांच के लिए भेज दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जब हम विपक्ष में थे और जब-जब बड़ी घटना में मांग करते रहे सीबीआई जांच की तो आप सीआईडी जांच के लिए ही कहते रहे थे। आज भी आपको वही याद आ रहा है इसलिए सीआईडी जांच के लिए कह रहे थे।

श्री लालजी टण्डन-

जब हमारे साथी विधायक घनश्याम शुक्ला जी की हत्या हुई थी तो उस समय हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और आपने उसे स्वीकार भी किया था। तो एक में यह हो सकता है तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने श्री कृष्णानन्द राय जी की हत्या के सम्बन्ध में लगी चर्चा पर बहस करने की अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, श्री कृष्णानन्द राय जी की हत्या के सम्बन्ध में जो चर्चा लगी है यह महत्वपूर्ण विषय है और इस चर्चा को बहुत ही गम्भीरता से माननीय नेता सदन को

संज्ञान में लेना चाहिए। मान्यवर, आज प्रजातंत्र के रखवाले इस तरीके से हत्या का शिकार हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आम जनता का विश्वास प्रजातंत्र और सरकार से डिगेगा। मान्यवर, एक नहीं अनेक जनप्रतिनिधियों की हत्यायें उत्तर प्रदेश में मात्र दो साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई हैं। 29 नवम्बर को विधायक श्री कृष्णानन्द जी हत्या, 25 जनवरी को बीएसपी विधायक, श्री अजीत सिंह की हत्या और उसके पूर्व पार्लियामेन्ट चुनाव में बीजेपी विधायक श्री धनश्याम शुक्ला जी की हत्या हुई। यही वह सदन है और यही नेता सदन है जिसने सदाशयता दिखाते हुए श्री धनश्याम शुक्ला जी की, जो दुर्घटनावश साजिश करके हत्या की गयी थी, उसका संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिये थे और सब लोगों ने इस पर तालियां भी पीटी थीं। आज वह मानक कैसे बदल गया? वही सरकार, वही नेता सदन, वही उत्तर प्रदेश तो जब एक घटना के बावत माननीय मुख्यमंत्री जी गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए सी0बी0आई0 की जांच करा सकते हैं तो माननीय कृष्णानन्द राय की हत्या की क्यों नहीं? इसलिए मान्यवर आज उत्तर प्रदेश की जनता सरकार पर सवालिया निशान लगा रही है कि आखिर सरकार सी0बीआई0 जांच कराने से पीछे क्यों हट रही है और जब एक विधायक के प्रकरण में सी0बी0आई0 की जांच बैठाई जा चुकी है तो दूसरे विधायक की हत्या में सी0बी0आई0 जांच क्यों नहीं हो सकती, इसलिए मान्यवर, आज यह केवल सदन का ही मामला नहीं रह गया आज यह मामला पूरे प्रदेश का है। मान्यवर, मैं तो नेता सदन से यह कहना चाहूँगा कि इसमें मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात को नहीं रखता हूँ। जन प्रतिनिधि, जन-प्रतिनिधि होता है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। समाजवादी पार्टी के भी विधायक मारे गये हैं, समाजवादी पार्टी के भी तमाम चेयरमैन मारे गये हैं अभी मलिहाबाद में चेयरमैन की हत्या हुई जो इसकी ताजा मिसाल है और एक नहीं मान्यवर, इस तरीके से सैकड़ों जन-प्रतिनिधियों की हत्यायें हो चुकी हैं, सभासद के रूप में, ब्लाक प्रमुख के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रधान के रूप में, और मान्यवर इसी सरकार के एक मंत्री का बेटा जो सदस्य जिला पंचायत है, उनकी भी हत्या हो चुकी है, तो यह जो नित्यप्रति माननीय जन-प्रतिनिधियों की हत्यायें होती जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। जन प्रतिनिधि चाहे छोटी ग्राम पंचायत का हो चाहे बड़ी पंचायत का हो, जन-प्रतिनिधि, जन-प्रतिनिधि होता है, वह जनता का नुमाइन्दा होता है और जब जनता का नुमाइन्दा ही मारा जा रहा है तो जनता का विश्वास कहां जाकर टिकेगा? सरकार को इसे बहुत की गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। मान्यवर, इन बिन्दुओं को हम राजनीति बिन्दु नही बनाना चाहते हैं चूँकि आज यह प्रदेश के लिए ज्वलन्त समस्या बन गयी है और माननीय मुख्यमंत्री जी सोशलिस्ट विचारधारा के नेता हैं, डा0 राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानते हैं। मान्यवर डा0 राम मनोहर लोहिया जी की हम लोग भी कद्र करते हैं क्योंकि हम भी उसी जगह से निकल करके आये हैं तो इसलिए मान्यवर मैं माननीय नेता सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 1954 की घटना का आप संज्ञान लें। डा0 राम मनोहर लोहिया, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, नैनी जेल में बन्द थे, केरल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, पट्टन खान पिल्लै मुख्यमंत्री थे, मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ, एक मजदूर मारा गया था। डा0 राम मनोहर लोहिया ने नैनी जेल से निर्देश दिया था कि नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार के रहने कोई औचित्य नहीं है और मान्यवर जब वह इस्तीफा नहीं दिये, वैचारिक मतभेद हो गया, जे0बी0 कृपलानी उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, डा0 राम मनोहर लोहिया महासचिव थे और डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने जब देखा कि विचारधारा का हनन हो रहा है तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बगावत करके सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसकी विचारधारा के अनुरूप आपको सी0बी0आई0 जांच कराने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इस्तीफा देने की मांग नहीं करते हैं।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)- (श्री शारदा नन्द अंचल)-

मान्यवर, मजदूर आन्दोलन दूसरी चीज होती है और गैंगवार दूसरी चीज होती है। यह गलत बयानी नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप शान्त बैठें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों को सुनने में कोई व्यवधान शायद हुआ, हमारे कहने का मतलब हत्या,हत्या होती है, हमारे कहने का मतलब केवल एक हत्या पर माननीय डा0 राम मनोहर लोहिया जी को यह निर्देश देना पड़ा था, हम इसलिए कहते हैं चूँकि आप डा0 राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानकर उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं इसलिए यहां पर भी उनका अनुकरण करना चाहिए, अब आप उनका अनुकरण करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो आप जाने, लेकिन यह हमारा निवेदन है। मान्यवर, अभी आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। मान्यवर, जिस तरीके से गुण्डे माफिया, अपराधी पूरे प्रदेश की जनता पर कहर बरपा कर रहे हैं उसी का एक मिसाल यह भी है। मान्यवर, और हमारे कुछ नेता इंगित कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की ओर तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के तो आप बाल के भी बराबर नहीं हैं। वह बहुजन समाज पार्टी तमाम गुण्डे और माफियाओं को साथ रखते हुए भी उन पर नकेल लगा कर रखती थी और कभी भी वह बहुजन समाज पार्टी के सदस्य क्यों न रहे हों कभी भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कर सके थे। बहुजन समाज पार्टी ने देश की आजादी की 58 सालों में, साढ़े चार महीना, छः महीना और पन्द्रह महीना इस तरह से कुल साढ़े पच्चीस महीनों में अपने सत्तारूढ़ होने के दौरान गुण्डाराज पर जिस तरीके से अंकुश लगाया है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वह पहली मिसाल है जब पूरे प्रदेश के गुण्डा, माफिया, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे थे। आप बहुजन समाजपार्टी की बराबरी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बी0एस0पी0 के भी विधायक ने अगर कानून की नजर की कहीं अपराध किया हुआ है तो वह जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दिया और सरकार उसके बचाव में उसके बगल में कभी खड़ी नहीं हुई है। इसलिए मान्यवर, हम तो केवल बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। धरती से जुड़े हुए नेता सदन जी हैं खेत खलिहान से चल कर आये हुए हैं। देश की जनता की भावनाओं की कद्र करने की इनकी जिम्मेदारी बनती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ आप कितनी गम्भीरता से लेते हैं यह आप जाने आपका काम जाने। लेकिन मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। और साथ ही साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं मैं उनकी कद्र काता हूँ बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन में इसको राजनीति का मुद्दा भी नहीं बनाना चाहता हूँ कि किसी के सहानुभूति में अगर कही चला जाना राजनीति है तो आप समझ लीजिए कि मैंने अपराध किया है। मैं राय साहब के घर गया था बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल गया। इसमें आपको राजनीति झलकने लगी। और अगर इसको सामाजिक, मानवीय मर्यादाओं को भी आप राजनीति समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह आपकी महानता है कि आप किस आईने से इसको देखना चाहते हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

अखिलेश सिंह जी पर हमला हुआ, प्रमोद तिवारी जी जांच की मांग करते रहे आपने तो हिम्मत नहीं दिखाई और सी0आई0डी0 तक की जांच नहीं कराई।

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है। आप बैठिये। जब आपका नम्बर आयेगा तब आप अपनी बात कहियेगा।

माननीय मौर्या जी, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हमने तो बी0एस0पी0 के होते हुए भी हमने सही मांग रखी। मेरी नेता ने आपसे भी पहले रखी इस बात को आप मानते हो। और हम सब आज उसी बात पर अड़े हुए हैं और इसलिए जिससे की सही मायने में कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है उसका सही निर्णय लिया जा सके। सी0बी0आई0 जांच क्या? इसलिए कि सत्तापक्ष के एक विधायक पर आज उंगली उठ रही है सी0बी0आई0 जांच क्यों, इसलिए कि यह बात भी आ रही है कि कृष्णानन्द राय की हत्या एक गैंगवार हत्या थी। सी0बी0आइं0 जांच क्यों वह इसलिए कि कौन दोषी है कम से कम इस बात का आईना साफ होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी विधायक पर गलत आक्षेप या लांछन लगाया जाये। तो सी0बी0आई0 जांच के माध्यम यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि वाकई में हत्यारे कौन हैं। तो जब वह चिन्हित हो जायेंगे तो स्थिति साफ हो जायेगी। और कानून सजा दे देगा। रही बात हमारे नेता प्रतिपक्ष की तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह जो समाजवादी पार्टी की सरकार है यह भारतीय जनता पार्टी की (x x x x x x x x) !

(घोर व्यवधान के मध्य समाजवादी पार्टी की ओर से अनेक सदस्य यह मांग करने लगे कि [x x x x x] जो शब्द प्रयोग किया गया है वह कार्यवाही से निकाला जाये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर यह समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हुई है।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

शान्त हो जाइये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसमें नाराज होने की जरा भी बात नहीं है, तनिक नाराज होने की बात नहीं है, आप बेकार आवेश में आ रहे हैं। असल में इन्हें [x x x x x x x] तजुर्वा ज्यादा है। इसलिए कह रहे हैं । अभी टण्डन जी ने जो बात कही थी उसका यह जवाब है। इन्हें मालूम है कि [x x x x x x x x x x x] यह बताया होगा।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अभी माननीय नेता बसपा का उत्तर देते समय एक शब्द इस्तेमाल किया [x x x] । मेरा निवेदन है कि मेरे विचार से यह असंसदीय है इसको कार्यवाही का अंग न माना जाय, कृपा करके इसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है निकाल दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर [x x x] निकालोगे तो [x x x x] का क्या होगा?

नोट (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इनका [x x x x] भी निकाला जाय [x x x] और [x x x] में फर्क क्या है? इनका [x x x] सही है, हमारा [x x x] गलत है, आपको इनसे दोस्ती निभानी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैंने आपसे [x x x] सम्बन्ध कभी स्थापित नहीं किया है इसको सारा सदन जानता है। इसलिए हटाने की आवश्यकता नहीं है आपको।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शान्त रहें, माननीय मौर्य जी चर्चा जारी करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने समाजवादी पार्टी सरकार को [x x x x] क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक परम्पराओं को तोड़ते हुए इस सरकार को बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के रहमोकरम पर यह सरकार बनी है इसलिए यह भाजपा की [x x x] सरकार है। इसकों अदरवाइस नहीं लेना चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसके पहले बसपा की सरकार भाजपा ने बनवाई है उनको क्या कहा जायेगा? हमारी तो नहीं बनवाई उनकी तो बनवाई उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? (व्यवधान)!

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, अपनी चर्चा जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने.....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनसे भी कह दें कि यह अपना भाषण शालीन रखें तीन तीन बार इन्होंने हमारा साथ दिया है तीन तीन बार। और तीन बार हमारा साथ लेने के बाद जो धोखेबाजी की है दगाबाजी की है उसका संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यह हमें छोड़कर नहीं भागते तो यह पैदा कहा से हो जाते। एक कहावत है कि किसी मां ने कर लिया बहुत बुरा किया और उसे छोड़ दिया तो और बुरा किया। हमारे साथ आयी, सरकार बनाई, तीन बार बनाई और हमने इनका विश्वास किया, आज इनका कोई विश्वास नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमें आपके विश्वास की चिन्ता नहीं है हम तो जनता पर विश्वास करते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों की चरित्र पंजिका उत्तर प्रदेश की जनता लिखती है, राजनीतिक दल नहीं लिखते हैं। औराई और नांगल के चुनाव में जनता ने चरित्र पंजिका लिख दिया है कि किसका चरित्र सही है। किसकी चरित्र पंजिका अच्छी है, इसलिए हमको आपसे प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कह

नोट (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

देना चाहता हूँ कि यहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिला-जुला खेल चल रहा है, न यह राम में हैं, न रहीम में हैं, न सत्ता में हैं और न विपक्ष में, यह उनसे मिलकर सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, यह दोमुहाँ चरित्र है।

श्री अध्यक्ष-

विषय-वस्तु क्या है, आप उस पर बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय नेता सदन ने बार-बार आश्वस्त किया है कि सी0बी0आई0 जांच की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी एजेन्सी से ही अपराधियों पर शिकन्जा कसेगें। लेकिन मान्यवर, इनका ही डी0जी0पी0 यह कहेगा कि अपराधियों को पकड़ना आसान नही है और एक ए0डी0जी0पी0 की जांच एक कुख्यात माफिया करें तो फिर मुख्यमंत्री जी किस डी0जी0पी0 के बलबूते आप यह कह रहे है कि हम इनको कानून के शिकंजे में लायेंगे। जो गुण्डों-माफिया के सामने घुटने टेक देते हों, वह क्या करेंगे? इस घटना के सम्बन्ध में कुछ के द्वारा यह कहा गया कि अपराधी बिहार से आये थे। अगर यह मान लिया जाय कि अपराधी बिहार से आये थे तो फिर जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे कर पायेगी? इसलिए सी0बी0आई0 की जांच बहुत जरूरी है तभी मान्यवर, दूध का दूध और पानी का पानी हो पायेगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पायेंगे। जब इन्होंने गुण्डों, माफियाओं की सरकार बनवाई है तो आप कानून के राज की कल्पना कहां से करते हो। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो सम्बन्ध है, वह जगजाहिर है। अभी नानाजी देशमुख और सुदर्शन से माननीय नेता सदन मिले थे, यह सब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप विषयवस्तु पर बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच के बिना न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार से समर्थन वापस ले लें। इस बात की उन्हें सदन में घोषणा करनी चाहिए जिससे कि जनता में अच्छा संदेश जाये कि कानून की रक्षा करने के निए कुछ राजनीतिक दल आगे आ रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इधर से आया कि हमारी [x x x] है यह सरकार और उधर से आया कि [x x x x] हैं जो इधर बैठे हैं। तो मेरी तो कोई [x x x x] नहीं है, आप लोग अपने-अपने गिरेबान में झाँककर देख लें।

श्री अध्यक्ष-

जो असंसदीय होगा, वह निकाल दिया जायेगा।

*कृषि राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश यादव)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे नेता पर जो मौर्या जी ने कहा है, वह पहले अपनी गवर्नमेंट में आँखे डालकर देखें कि उनकी गवर्नमेंट में हम भी बन्द हुए और किस प्रकार से लोगों को बन्द किया गया, पहले आप अपनी गवर्नमेंट में देखें।

नोट (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय सदस्य दद्दू प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप विद्वान सदस्य हैं, आप कृपया बैठ जायें।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, आज अत्यन्त दुःख की घडी है, इस घड़ी में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत आज विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, बल्कि एक दुःखद घटना पर चर्चा कर रही है। यह दुःख की घड़ी है, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आलोचनाओ आर प्रत्यालोचनाओं में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो सभी से यह संकल्प लेने के लिए अनुरोध करूँगा कि इस पर हम आज खुलकर विचार करें कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। दोषी जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमें अपने एक साथी को तब तक श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम दोषियो को सजा न दिला दें। लेकिन आज का यह अवसर आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं तथा आरोपों और प्रत्यारोपों पर विचार करने का नहीं है, बल्कि यह घटना क्यों हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कैसा वातावरण बन रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आखिर एक ही विधान सभा के कार्यकाल में चार-चार विधायकों की हत्या हो गयी तो कही न कहीं वातावरण और कही न कहीं व्यवस्था में दोष तो आया ही है। मान्यवर, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा था कि इस पर चर्चा हो लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चर्चा पर आमंत्रण करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा के लिए आखिर क्यों नही तैयार हुई? कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अगर यह चर्चा कल हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि अगर सी0बी0आई0 जांच के लिए तर्क रखेंगे और हमें संतुष्ट कर देंगे तो हम इस पर भी विचार कर लेंगे। काफी विचार करने के बाद मेरे दिमाग में दो-तीन बातें आई हैं, जिन्हें मैं यहां पर रखूँगा। मेरा मंतव्य है कि जैसे भी हो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोषियों तक कैसे पहुँचा जायें, इसका फैसला तो आपको करना है लेकिन जिस तरह के असलहे और कारतूस मिले हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि ए0के0 47 और ए0के0 56 जैसे हथियारों का प्रयोग इस हमले में किया गया है। निश्चित रूप से जेसी कि अखबारों में खबरें आ रही है कि मास्टर माइंड अपराधी भारत की सीमा से नेपाल चला गया है। स्वाभाविक है कि ऐसी वारदात करने के बाद, जिसमें कि दिन-दहाड़े सात लोगों की हत्या हो और जिसकी हत्या हुई, वह कोई निर्बल नही थां वह भी एक असरदार व्यक्ति था। सरकारी गनर उसके पास था, उनके पास प्राइवेट रक्षक भी थे और जैसा कि मैंने सुना है वह बुलेट-प्रूफ कार में चलते थे, इस प्रकार से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई तो इस हमले में निश्चित रूप से खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया होगा, यह हथियार साधारण अपराधी के पास नहीं होते हैं। अगर वह सामान्य अपराधी नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह उस जिले या उस गॉव में नहीं होगा। जैसा कि अखबारों में आ रहा है कि वह लोग नेपाल चले गये हैं, बिहार चले गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस कैसे नेपाल तक पहुँचेगी, वहां जाने के लिए उसे इंटरपोल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यदि इस जांच को सरकार सी0बी0आई0 को सौंप दे तो ज्यादा उचित रहेगा। जांच का कार्य सी0बी0आई0 करे और उसकी सहायता उत्तर प्रदेश की पुलिस करे, तभी कामयाबी मिलेगी। एक बात जो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है कि इस घटना के तार इस देश में नहीं बल्कि दूर दुबई से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ आप यही चाहते हैं कि आप दोषियों को अपने हाथ से दण्ड दें, जिससे कि सरकार पर जो कोहरा छाया हुआ है, वह छट जाये। लेकिन अगर सी0बी0आई0, इण्टरपोल की मदद लेंगे तो उन पर हाथ डालने में सहयोग मिलेगा क्योंकि जब अन्तर्राष्ट्रीय बात हो जाये तो दूसरी बात हो जाती है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि घनश्याम शुक्ल जी की

नोट : वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुःखद हत्या हुई थी, आपने उनके परिवारजनों से बात की थी, उनके परिवारजनों ने इच्छा व्यक्त की थी कि सी0बी0आई0 से जांच हो जाये और आपने उसको मान लिया था। आपने एक नई परम्परा शुरू की है, आर्थिक सहयोग दिया है, उसका स्वागत है और उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप उनके परिवारजनों से बात कीजिए। उन पर राजनीति करने वाले लोग कभी भी नही चाहेंगे कि अपराधियों को सजा मिले, वह चाहेंगे कि अपराधी छूटे रहें ताकि अपराधियों पर राजनीति करने का मौका मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ज्युरिसप्रूडेंस का साधारण सा सिद्धान्त है कि 'न्याय सिर्फ होना ही नही चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।' अगर आप ज्युरिसप्रुडेंस के सिद्धान्त पर चलेंगे तो मैं कहूँगा कि आप अलग से उनके परिवार से बात कर लें, अधिकारियों से बात कर लें' अधिकारियों के नाम लेने का रिवाज नही है। जिस अधिकारी को वहां लाया गया है गाजीपुर में उसकी योग्यता पर सन्देह नहीं है, ईमानदारी पर सन्देह नहीं है। यही आशय रहा होगा कि अगर आसपास दोषी होंगे तो उस अधिकारी का लगाने का मन्तव्य है कि दोषी बचने न पायें, उनकी टीम काम कर रही है और विश्वास है कि दोषी नहीं बचेंगे परन्तु अगर वह नेपाल चले गये हैं तो फिर गाजीपुर का एस0पी0 क्या कर पायेगा? इस हत्याकांड के तार दुबई से जुडे हैं, तो गाजीपुर का एस0पी0 क्या करेगा? ऐसी स्थिति में सी0बी0आई0 और इण्टरपोल की मदद से ही जांच की जा सकेगी। मान्यवर, मैंने बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि मैं दुःखी हूँ, मेरे एक साथी की हत्या हुई है लेकिन टण्डन जी क्या सारा दोष सरकार पर मढ़कर संतुष्ट हो सकते हैं, आप हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं । यह वातावरण किसने बनाया, किसने अपराधियों को राजनीति में ला करके महिमामंडित करने का प्रयास शुरू किया। पूरी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके दल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप कहते थे, हमारा दल दूसरे सिद्धान्तों से चलता है। क्या वर्ष 1996 के दोषी आप नही है जब सत्ता के लिए और सरकार चलाने के लिए 18 अपराधियों को मंत्रिमण्डल में शामिल किया। मैंने इन माफियाओं को भोगा है, मैंने कष्ट उठाया है, मैं जानता हूँ कि उस समय आप कहा थे। एक अपराधी को शपथ दिला रहे थे जब उसे एक्सकांडिग घोषित किया गया था। उसे 4 दिन बाद जस्टिस फौजदार राय ने इसलिए जमानत दे दी कि वह मंत्रिमंण्डल का सदस्य हो गया है और अब भागेगा नहीं। उस समय आपने अपराधियों पर बात क्यों नहीं की? वर्ष 1996 में इस देश की राजनीति में कुछ हुआ हो या न हुआ हो लेकिन इस प्रदेश की राजनीति में बडे अपराधियों को महिमामंडित करने का श्रेय आपको और आपके दल को है। एक-दो नही 18-18अपराधियों को मंत्री बनाया क्योंकि आप सत्ता चलाना चाहते थे। आपने वह दौर शुरू कर दिया, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग कभी राजनीतिज्ञों के पीछे अपने प्राणों की हिफाजत के लिए ताकते थे, आज जान लेने पर आमादा हैं। अपने साथ रहें तो राजनेता दूसरी तरफ चले जायें तो वह अपराधी। इसमे सभी दोषी हैं ब0स0पा0 की ओर से यह बात आयी कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे तो ब0स0पा0 अंकुश रखती थी। क्या आप पारस पत्थर हैं कि आपके पास रहेगा तो ईमानदार रहेगा। मान्यवर, सभी राजनीतिक दलों को आज गम्भीरता से सोचना पडेगा और दलीय बंधन से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलानी पडेगी। अपराधियों के खिलाफ मुहिम नहीं चलायेंगे तो आज कृष्णानन्द की बारी थी, कल किसकी बारी होगी यह कोई नही जानता। आज आलोचना-प्रत्यालोचना नहीं, इस पर मिलकर विचार किया जाये। अपराधियों की चाहे वह किसी भी दल में बैठे हों किसी अपराधी की जाति होती है, नही होती है किसी अपराधी का धर्म होता है नही होता है अगर धर्म होता तो अपराधी नही बनता। क्या मुझे कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि श्री कृष्णानन्द की हत्या से मुझे भी पीड़ा हुई है, दुख हुआ लेकिन उनकी हत्या के बाद मस्जिदें किसने जलाई। जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे यह सवाल पूछे कि किसने बनारस की धरती पर ऐसे अपराधी को टिकट दिया जिसके ऊपर 35 मुकदमें दर्ज हैं। इसका दोषी कौन है इनका जवाब देना होगा जिस धरती पर आप बैठे हैं उस धरती पर अपराधियों को महिमामंडित करने का काम किस पार्टी ने किया। मैं जिसका

जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि यह बात सारा सदन जानता है। मैंने उस समय सदन को देखा है उस समय जब मैं सी0आई0डी0 जाँच की मांग करता था मैं याचना करता रहा कि नई परम्परा डालिए लेकिन मेरी बात नहीं मानी गयी। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि इस मामले की सी0बी0आई0 जांच के लिए सरकार आर्डर करे और प्रदेश की पुलिस इसमें पूरा सहयोग करे ताकि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके जिससे दुबारा अपराधियों की हिम्मत न हो। मैं आज यह चाहता हूँ कि कहीं तो इस अपराध यात्रा पर अंकुश लगे।यह सही बात है कि वर्ष 1996 के बाद जिस तरह से अपराधियों को मंत्री बनाया गया, जिस तरह से अपराधियों को महिमा मण्डित किया गया उनकी जाति देखी गयी और यह सोचा गया कि इनके साथ आने से उस जाति के वोट मिल जायेंगे जब आप यह अन्याय कर सकते हैं तो आपको न्याय नहीं मांगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने दल की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था आइये बुलाइये सभी दलों के लोगों को सभी दलो के लोग और हमारा दल तय करे कि अगर कोई अपराधी है जिसका अपराधिक इतिहास है उसे टिकट नहीं देंगे न ही उसे राजनीति में लायेंगे। लेकिन अगर मंत्री बनवायेंगे और मुकदमें वापस लेंगे इतना ही नहीं उसे छूट भी दी जायेगी और जब विपक्ष में बैठ जाते हैं तो सिद्धान्त की बात करते हैं यह नहीं चलेगा। यह दोहरे मापदण्ड नहीं चलेंगे अगर दोहरे मापदण्ड से चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी इस विधान सभा को कभी माफ नहीं करेगी। अपराधियों से जो पीड़ा होती है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कार्यकर्ताओं की जान भी जाते हुए देखी है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ नेता सदन से भी और नेता विरोधी दल से भी कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर हम सब संकल्प लें कि किस तरह से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाय इस पर विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बाल विकास, पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल नें मेरी ओर इशारा किया था। इन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी के नेता चन्द्रशेखर की यह राय है मैं परसों चन्द्रशेखर जी से मिला था मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्या कहा है तो उन्होंने बताया था कि एक आदमी टेलीफोन लेकर मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि राजनाथ सिंह जी धरने पर बैठे हुए हैं फोन पर राजनाथ सिंह जी ने मुझे बताया कि उनके एक आदमी की हत्या हुई है जिस पर वह सी0बी0आई0 जांच के लिए धरने पर बैठे हैं तो श्री चन्द्रशेखर जी ने इतना कहा था कि मुलायम सिंह जी से पूछेंगे कि सी0बी0आई0 जांच में क्या कोई कठिनाई है। बाद में अखबारों में धरने पर बैठे हुए लोगों ने छपवा दिया कि चन्द्रशेखर जी ने सी0बी0आई0 जांच की मांग की है। चन्द्रशेखर जी का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं चल रहा है यह सबको पता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। प्रार्थनापूर्वक जैसा तिवारी जी ने कहा वह सही बात है। बिहार के चुनाव में मैं देखकर आया हूँ। नेता विपक्ष, नेता सदन और तमाम दलों के नेता भी देख रहे हैं कि आज वह स्थिति आ गयी है कि हम और आप राजनीति से बाहर हो रहे हैं और अपराधी आज राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा आज हम सबको इस पर विचार करना होगा अन्यथा आप वोट मांगेंगे अपराधी बूथ पर कब्जा कर लेंगे। आप हाथ जोड़कर बात करेंगे और वो गोली चलाकर लोगों को डरा धमकाकर विधान सभा लोक सभा में पहुँच जायेंगे और वहां बैठकर विधान बनायेंगे। और हम लोग घर में बैठे रह जायेंगे। इसकी शुरूआत हमको उत्तर प्रदेश से ही करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आज आपराधिक हो गयी है। हमारे नेताजी के खिलाफ एक अपराधी को टिकट किसने दिया था? आपकी भारतीय जनता पार्टी ने ही एक अपराधी को टिकट देकर हमारे नेता सदन के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा किया था। आज कृष्णानन्द राय जी की हत्या के बारे में सी0बी0आई0 जांच की मांग

कर रहे हैं। मै भी बलिया का रहने वाला हूँ। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना होगा। जिसको मरना था। वह मर गया। अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको भी कोई मारेगा ही। अगर हम किसी को मारेंगे तो निश्चय ही हमको भी कल कोई मारेगा। आज सबको अपने गिरेवां में झांककर देखने की आवश्यकता है। अब सी0बी0आई0 जांच हो या सी0आई0डी0। जिसको मरना था। वह मर गया लेकिन जैसा तिवारी जी ने कहा कि आज हमको एक संकल्प लेना होगा। चाहे कोई भी दल हो हम सबको संकल्प लेकर प्रदेश से अपराधियों का सफाया करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को स्वच्छ बनाना होगा।

*श्री राम स्वरूप सिंह (बिजनौर)-

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही गम्भीर विषय है। आज यह प्रदेश और देश के लिए बड़ा दुःखद है कि हमारे यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हो गये हैं। अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुँच जाते है। और वहीं से इस तरह का प्रयास करते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही न हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें चले जाते हैं और अपराधी जेल में बैठकर अपने खिलाफ गवाह या जो प्रमाण सी0बी0आई0 या सी0आई0डी0 पेश करने जा रही होती है उसको नष्ट कर देते हैं। अपने खिलाफ वे कोर्ट में सबूत पेश नहीं होने देते और हाई कोर्ट से छूटकर अपने घर वापस आ जाते हैं। यह हत्यायें क्यों होती हैं? हत्यायें दो बात से होती हैं एक या तो अपने विरोधी को मिटाने के लिए कोई हत्या करता है और दूसरा इस देश में दौलत को इकट्ठा करने के लिए कोई हत्या करता है। इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई दूर का भी इसका लोकतंत्र से वास्ता नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारा विरोधी न रहे। विरोधी तो जरूर रहना चाहिए जो हमारी कमियों को बतायेगा, हमारे दोषों को बतायेगा। विरोधी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। मान्यवर, यह दोनों पार्टियां अपराधी हैं। इन्होंने कभी सी0बी0आई0 की जांच नहीं करायी। हमने मांग की, सारे विपक्ष ने मांग की लेकिन इन्होंने जांच नहीं कराई। जिसको यह अपराधी कह रहे हैं वह सदन में खड़े होकर हमको डांटता था जब हम विपक्ष में थे। जब हम विपक्ष में थे तो हमको तुर्रा दिखाता था। यह लोग विधान सभा चलने नहीं देते थे। हमको अपनी बात नहीं कहने देते थे। अब यह बोल रहे हैं। इन्हें तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इनको अपनी बात कहने का अवसर इस सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने लोकतंत्र का काम किया है। आपकी पार्टी का नैतिक अधिकार नहीं बनता कि आप सी0बी0आई0 जांच कराने की मांग करें। यह तो इन्सानियत के दुश्मन हैं, यह लोग तो जालिम हैं। हम इनकी वजह से नहीं बल्कि अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि आप सोच विचार करके इसके बारे में कदम उठायें। मैं और मेरा दल मांग करता है कि इसमें सी0बी0आई0 से जांच करायें। सी0बी0आई0 जांच की मांग करने का इनका नैतिक अधिकार नहीं बनता यह तो खुद अपराधी हैं। यह अपराध करते हैं। अपनी व्यवस्था में यह कोई नीतिगत अधिकार नहीं बनाते है यह उधर बैठ गये तो उधर की बात करने लगे इधर बैठकर यह नहीं कहेंगे। यह बहुजन समाज वाले जब इधर बैठेंगे तो सी0बी0आई0 की जांच नहीं करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक-दो सदस्य और बोलना चाहते हैं।

(भा0ज0पा0 के अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

आज माननीय सदस्यों को जाना है काफी समय हो गया है।

नोट : वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

सब बात आ चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन की बात है वह जवाब देना चाहते हैं वह जवाब दे दें।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर मेजें थपथपाई गयी)

(भा0ज0पा0 के कई सदस्य खड़े थे)

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा। सभी नेतागणों ने पहले सब बातें कह दी हैं अब अलग से कौन सी बात आयेगी आज आखिरी दिन है आज के बाद असेम्बली थोड़े दिन के लिए स्थगित हो रही है। पूर्व अध्यक्ष बोलना चाहते हैं यह बोल लें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया हम बहुत गम्भीर विषय पर यहां चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ हल्की बातें हुई मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उस पीठ पर बैठने का अनुभव हैं मैंने अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास किया था। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करें तो अच्छा होगा। एक विधायक की हत्या होना अच्छी बात नहीं है। विधायक की हत्या हुई है। पहले अकेले विधायक की हत्या हुई है, लेकिन इस बार आठ-आठ लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। हत्या का जो तौर तरीका है उसने लोगों को आक्रोशित किया है आज सारा पूर्वांचल आक्रोशित है। धरने पर कई बैठे हैं कहीं हड़ताल हो रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया शान्त रहें। व्यवधान करेंगे तो कैसे होगा?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैं गम्भीर बात कह रहा हूँ अगर यह नहीं सुनते हैं तो आप कह दें मैं बैठ जाऊँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सभी शान्त रहें। नेता सदन को भी बोलना है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

प्रदेश को लोग जानते हैं अपराधीकरण के लिए। सबसे पहले बात वहां से शुरू करना चाहता हूँ जहां नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखा था गृह विभाग को। आपने भी शायद बात की थी प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ सूचनाएं मांगी थी, यह दुख की बात है कि अभी तक वह सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई, निजी स्रोतों से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर यहां लोग बात करते हैं। समाचार पत्रों में जो छपा हैं, मैं उसका संज्ञान नहीं लूँगा क्योंकि परम्परा है कि समाचार पत्रों के आधार पर यहां बात नहीं करते हैं। लेकिन दो-तीन चीजें अभिलेखों से जरूर रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि अपराधियों के बहुत से गुट बन गये हैं, कभी-कभी इस हत्या को गैंगवार का परिणाम बताया जाता है। गैंग है

या नहीं है, एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई और जनप्रतिनिधि की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई है वह परिस्थितियां सामान्य जन के मन में शंका प्रकट करती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक कार्यक्रम में गया था गाजीपुर। वहां के लोगों ने आशंका प्रकट की कि विधायक कृष्णानन्द की हत्या हो जायेगी। उस कार्यक्रम से आने के बाद मैंने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि कृष्णानन्द राय जी की हत्या कौन करा सकता है। मैंने महामहिम राज्यपाल जी से उनकी सुरक्षा कराये जाने की मांग की थी लेकिन सुरक्षा बढ़ाने के बजाय 5 सुरक्षाकर्मियों में से 4 सुरक्षाकर्मी उनसे वापस ले लिये गये। अभी जब इसी महीने 3 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल के पास गये थे, सी0बी0आई0 जांच पर बल देने के लिए, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने तो प्रमुख सचिव, गृह को सुरक्षा के लिए सूचना दे दी थी। यदि यह बात है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा सुरक्षा की सूचना दी गयी और उसके बाद भी प्रदेश की सरकार की ओर से कृष्णानन्द राय जी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो दाल में काला है। और दाल में काला इसलिए है कि जो हत्या की गयी है, जिसके बारे में हत्या कराने का संदेह प्रकट किया गया था, उसकी अपार सुरक्षा और जिसकी हत्या के बारे में सन्देह किया जा रहा है, उससे सुरक्षा वापस। यह सरकार पर उँगली उठाने का अवसर दे देता है। माननीय नेता सदन जब बोलेंगे, तब स्थिति स्पष्ट करेंगे। दूसरी चीज,घटना के बाद जिस प्रकार से तथ्य सामने आये है कि एसटीएफ ने कुछ सूचना प्रदेश सरकार को दी है। मेरी मांग है कि एसटीएफ ने जो भी सूचना दी हो, पक्ष में या विपक्ष में, वह सदन के सामने रखी जाये और यही नहीं जिसके ऊपर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसके मोबाइल से किन-किन लोगों से और कब-कब क्या बातें हुई, वह भी सदन के सामने रखा जाना चाहिए। आज इलेक्ट्रिक सार्विलांश है। अगर किसी अधिकारी से बात हुई, तो किसने बात की है, वह सब उसमें आ गयी होगी। यह सारी बातें इस सदन को जानने का हक इसलिए है कि उस आरोपी, उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर गम्भीर आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इण्टर स्टेट गैंग संख्या-191 और हिस्ट्रीशीट में उसका नाम दर्ज है। हम लोग खुलकर बात करें। कोई दोषी होगा, व कोई दोषी नहीं होगा। दूसरी बात आयी है कि अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। अब यह बात आ रही है कि कहीं विदेशों से संबंध हैं, कहीं एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों से हत्यारे आये हैं, इस बात की भी आशंका है। कौन सक्षम एजेन्सी है, जो जांच करे? उत्तर प्रदेश की पुलिस? मै समझता हूँ, नहीं, क्योंकि पहले दो हत्याओं के संदर्भ में गाजीपुर की पुलिस लिख चुकी है कि इन दो हत्याओं के बारे में निष्पक्ष जांच करने में वह असमर्थ हैं क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। यह प्रमाण है, यह सरकारी अभिलेख है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जब स्थानीय पुलिस, जिला की पुलिस हत्याओं के बारे में, जिसके बारे में शंका हो रही है, जिसके बारे में सी0बी0सी0आई0डी0 जांच नहीं कर रही है, सामान्य पुलिस जांच नहीं कर रही है, तो दूसरी कौन जांच एजेन्सी है, जिससे जांच करायेंगे? अभी कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है, नाम लेना उचित नहीं समझता लेकिन कोतवाल, गाजीपुर के विरुद्ध कार्यवाही हुई। वह कौन है? इलाहाबाद की एक हत्या में एक अपराधी को हत्या से 4 घंटे पहले उन्होंने जब मुगलसराय में पोस्टेड थे, बन्द दिखा दिया कि धारा-25 में बन्द है, जांच हुई, निलम्बित हुए। निलंबन के बाद उनकी दोबारा तैनाती हुई। किसकी संस्तुति पर हुई और बाद में किसकी संस्तुति पर गाजीपुर में कोतवाल बनाया गया? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज सत्तापक्ष के एक विधायक है। उनकी उसने अपने थाने में गलत गिरफ्तारी दिखाई गई। ये सारी बातें इतनी गम्भीर है कि जब तक आप सी0बी0आई0 जांच नहीं करायेंगे तब तक सही बात नहीं आयेगी। आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन मैं प्रमोद तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि गम्भीरतापूर्वक उन्होंने कुछ प्रश्नों को उठाया है। माननीय नेता सदन को भी उस पर विचार करना चाहिये कि क्यों सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिये। हम नेता सदन से यह भी पूछना चाहते हैं कि सी0बी0आई0 जांच इसमें क्यों नहीं होनी चाहिये? आज पूरा प्रदेश आक्रोशित है। मान्यवर, मै भी उस पीठ पर बैठा हूँ जिस पर आप

पीठासीन हैं। आज जिस पर हत्याकाण्ड के आरोप लगाये जा रहे हैं वह आज सत्तापक्ष के सांसद हैं। उन्होंने इस सदन के अन्दर खड़े होकर केवल यह शिकायत की थी कि उनके भाई के घर की कुर्की हो रही थी लेकिन पुलिस उनके घर का सामान तोड़ने लगी। मैंने उस पीठ पर बैठकर आदेश दिया था कि इस घटना की उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच कराई जाये क्योंकि वह एक जनप्रतिनिधि का मामला था। जब उन्होंने इस सदन के अन्दर अपनी व्यथा व्यक्त की थी तो माननीय प्रमोद तिवारी ने मांग की थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराई जाये। मैंने उस मांग को स्वीकार किया। उसके बाद फिर 21 फरवरी की घटना हुई थी तो उसमें मांग को स्वीकारते हुये उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से जांच कराई गई थी। कभी-कभी जब घटनाएं इस प्रकार का मोड़ ले लेती हैं तो हमें भी अपने दृष्टिकोण से हटना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज आपकी सरकार पर शक की उंगली उठ रही है। आज इस बात का आरोप आम जनता लगा रही है कि असली अपराधियों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इस बात की सच्चाई सामने लाने के लिये आप सी0बी0आई0 जांच का आदेश दे दें। क्या होगा, कुछ सत्ताधारियों का नाम आ जायेगा, कुछ अधिकारियों का नाम आ जायेगा, गैंगस्टरों के नाम का खुलासा हो जायेग। अगर यह गैंगवार है, अगर श्री कृष्णानन्द जी किसी गैंग के मेम्बर थे तो उनकी पृष्ठभूमि का प्रमाण आ जायेगा या दूसरे जो आरोपी है वह इसके मेम्बर हैं तो इसका प्रमाण भी सामने आ जायेगा। यह भी सामने आ जायेगा कि कहां से ए0के0-47, ए0के0-56 आई। एक डी0एस0पी0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह को एल0एम0जी0 के मामले में त्यागपत्र देना पड़ा था। इन घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप पर उंगली उठ रही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप सी0बी0आई0 जांच कराने के आदेश देने का कष्ट करें। सारे उत्तर प्रदेश की जनता, सारा पूर्वान्चल आज आक्रोशित है। आप जमीन से जुले हुये हैं, आप डा0 लोहिया के शिष्य रहे हैं, आपको धरतीपुत्र नाम दिया गया है, जमीन से जुड़े लोगों की भावनाओं का आदर करिये। किसी राजनीतिक दल के साथ आपकी कठोरता हो सकती है, बसपाइयों के साथ कठोरता हो सकती है उसे निकाल दीजिये। आइये उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त कराऐं। पूर्वान्चल में 92 विधान सभा की सीटें आती हैं। इन 92 विधान सभा की सीटों पर कब्जे के लिये अपराधियों ने योजना बना ली है कि धीरे-धीरे इन सभी सीटों पर कब्जा करेंगे। इन सीटों पर चुनाव लड़ने का साहस करने वालों को खत्म करेंगे और जो चुनाव जीतकर आएगा उसको खत्म करेंगे। आने वाले 10 सालों में इस योजना को कार्यान्वित करने का षडयंत्र है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर आप सी0बी0आई0 जांच करा दें।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दुखी परिवार को बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से स्पष्ट पूछा कि बताओ क्या मदद चाहते हो? उन्होंने कहा कि साहब सी0बी0आई0 जांच करा लें। उनके घर पर हम लोग गये थे और उन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा कि सी0बी0आई0 जांच कराने के लिये आप सदन में बात करियेगा। अखबारों में भी खबर छपी थी। आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। मान्यवर, गांव में एक कहावत है कि जब फांसी भी दी जाती है तो पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उस परिवार के दुखी लोगों ने जो इच्छा व्यक्त की है सी0बी0आई0 जांच के लिये उसको करवा दें। जो उनके दुखी भाई हैं, जो उनकी दुखी विधवा है उसके बयान में अगर कुछ ग्रेविटी है तो नेता सदन, को विश्वास दें कि सी0बी0आई0 की जांच जरूरी है इसलिये आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ।

*(मुख्य मंत्री) श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी को अफसोस है और हमने संवेदना भी व्यक्त करते हुये कहा था

नोट : वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इस तरह से घेरकर यह हत्या की गयी, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं और न ऐसा कहेंगे कि इतिहास में क्या कहा है। यह सभी जानते हैं, पूरा सदन जानता है, पूरे पूर्वान्चल प्रदेश की जनता जानती है, इसमें हम बहस नहीं करेंगे। यह अफसोस जरूर है कि आज स्थिति ऐसी है। जहो तक कानून व्यवस्था का सवाल है, यह अलग चीज है। इसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिये। अगर यह जोड़ा जायेगा तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर **** की यह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। अगर कानून व्यवस्था का सवाल है तो बड़े-बड़े लोग सुरक्षा बल के घेरे में ही सुरक्षा बलों के द्वारा मार दिये जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। मुझे अफसोस है कि आज हम लोगों को बहस इस मुद्दे पर करनी पड़ रही है। जो सदन का मूल्यवान समय प्रदेश की जनता के लिये था, विकास के लिये था, लेकिन हम कहां की कहां बहस कर रहे हैं और हम सदन नहीं चला पा रहे हैं। उसके लिये इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा, निर्णय लेना पड़ेगा। वह हम जरूर बतायेंगे आखिर में, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो बातें कहीं हैं उनका उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी है और पहले मैं उसका उत्तर दूँगा। जहां तक यह कहा गया कि वहां पर सूत्र इकट्ठा हो रहे थे इसकी सूचना दी गयी, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि एसटीएफ ने कोई सूचना सरकार को नहीं दी थी। हमारे पुलिस अधिकारियों ने पूछा कि क्या ऐसा कोई बयान आया था तो उन्होंने कहा कि नहीं आया था। यह बयान तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। सरकार को किसी तरह की भी सूचना नहीं दी गई एसटीएफ या किसी के द्वारा कि सूत्र इकट्ठा हो रहे हैं कृष्णानन्द राय जी की हत्या के लिये। अखबारों में क्या छपता है उस पर मत जाइये। उसमें क्या-क्या लिखाया जाता है और कहीं तो हम भी लिखवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लिखवा सकते हैं। यहां पर हम इससे ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। जहां तक एक विधायक का नाम लिया जाता है, मुख्तार अंसारी का, मुख्तार अंसारी से समाजवादी पार्टी का कोई कभी रिश्ता नहीं रहा है। आप सब हमारी इस बात का सबूत हो सकते हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ। हमसे कहा कि समर्थन ले लो, मैंने कहा कि मैं समर्थन नहीं ले सकता हूँ। आप सब इस बात के गवाह हैं, माननीय प्रमोद तिवारी गवाह हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं समर्थन मांग सकता हूँ। जहां तक भाई का सवाल है, अफजल का है, वह है शरीफ, आप तो चचा हैं उसके और सदन के बाहर निकलते ही चचा ने कहा, बाकायदा कहा कि गलती कर गये, मैं गलत आरोप लगा दिया था। जैसा मुझे लोगों ने बताया, अब सही है या गलत यह आप जानें और आपका भतीजा जाने। आप चचा हैं और वह आपका भतीजा है। इस सदन के अन्दर आपने खड़े होकर कभी नहीं कहा कि हम आपके चचा कैसे हो सकते हैं? तो आप तो चचा भी हैं और वह भतीजा है। बाहर जाकर चचा-भतीजा की बातें भी होती हैं, हमारी बातें कभी नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्रित्व काल में कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। एक बार अचानक और एक बार जरूर हमसे मुलाकात हुई है आम जनता के बीच में, जहां जनता दर्शन है वहां। बाकी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। इस तरह का मैं व्यक्ति हूँ। लेकिन हम आपसे इसका सर्टीफिकेट नहीं चाहते, इसका सर्टीफिकेट जनता हमको दे देगी। जहां तक जनता का सवाल है, बसपा वाले कहते हैं, कौन सी सीट आपने जीत ली है? महसी में क्या हुआ था? यह किसकी सीट थी? अगौता में किसकी सीट थी, हरौड़ा में किसकी सीट थी? इलाहाबाद पश्चिमी किसकी सीट थी? चारों सीटें बीएसपी की थी या समाजवादी पार्टी की थी? यह तो समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है। आप तो राजनीति कर रहे हैं कृष्णानन्द राय की, हमारा घाटा हुआ है। अगर कृष्णानन्द राय की हत्या नहीं हुई होती तो आपका कहीं अता-पता नहीं होता। यह हमें पता है। क्या बदला है, रातों-रात में? यह सही है, त्रिपाठी जी जानते हैं, हमारे नारद राय जी जानते हैं। आप कहां गये थे संवेदना व्यक्त करने? आप संवेदना व्यक्त करने गये थे या टिकट के लिये गये थे? आप वहां केवल टिकट के लिये गये थे। अब बता दें आपने क्या राजनीति को कलंकित किया है, इस प्रदेश की राजनीति को और इसके लिये जिम्मेदार आप भी हैं। पूरे देश की राजनीति को ऐसे ही कलंकित कर देंगे आप। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि कितनी गलत बात है कि चार थानों की पुलिस उनकी हिफाजत के लिये वहां है, यह कहना गलत है। अगर आपको सही बात पता

हो तो बता दें हम उस पर जरूर कार्यवाही कर देंगे। कहीं कोई चर्चा चार थानों की नहीं हुई। यहां तक कहा कि हत्यारे तीन माह से डेरा डाले हुए हैं, ऐसी सूचना कभी भी, कहीं से भी नहीं मिली। यह अफवाह फैलाई गई, आप ही अफवाह फैलाने में सबसे बड़े माहिर हैं और इस अफवाह को फैलाने में आपका ही हाथ है। दूसरी बात जो एस0टी0एफ0 और पुलिस से संबंधित है, बारबार कहते हैं, कई हम उदाहरण दे देंगे। आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस, एस0टी0एफ0 पर अविश्वास है। जो पांच जुलाई को अयोध्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया था उसमें केन्द्रीय सुरक्षा बल है, पी0ए0सी0 है, वह अलग है, उनकी पूरी जानकारी, कश्मीर से लेकर अयोध्या तक की जानकारी किसे पता है? पूरे देश की जानकारी है, हमारे उत्तर प्रदेश की एस0टी0एफ0, हमारे प्रदेश की पुलिस को, न सी0बी0आई0 का हाथ, आई0बी0 का हाथ, किसी का नहीं। कैसे-कैसे चले, कैसे आये सोनीपत में, हरियाणा में, दिल्ली में, किस घर में रहे, कहां से आये? यह सब किसने पता लगाया था? हमारी सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है, हम बता देंगे कि सी0बी0आई0 जांच के पक्ष में हम क्यों नहीं हैं और फिर बता देंगे अगर ऐसी है बात, तो हम आपके साथ रहेंगे। तो अब पांच जुलाई को जो हुआ वह कि इतनी गंभीर घटना थी। आतंकवादियों को मार गिराने के बाद, अध्यक्ष महोदय अगर पूरी दुनिया में इतनी जल्दी सूचना सही दे सकती है तो वह हमारी एस0टी0एफ0 ने, पुलिस ने दी। जो हमारे पुलिस बल के साथी हैं, वह हम सबके परिवार से है, जो आपके कार्यकर्त्ता हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो उन पर अविश्वास क्यों? दूसरी तरफ आपने मऊ के दंगों की बात कही, माननीय नेता विरोधी दल, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता लगेगा, पूरी जांच आ जायेगी। सी0बी0आई0 की जांच में तो पांच साल तक पता नहीं चलेगा। एजाजुलहक की पुलिस रिमाण्ड की एपलीकेशन न्यायालय में 8 तारीख को दे दी गयी है। जो यह कहा गया कि रिमाण्ड पर नहीं प्रस्तुत हुए, यह गलत है। रिमाण्ड में जो पकड़ा गया, वह न्यायालय में एप्लीकेशन दे दी गयी है। अगर मुन्ना बजरंगी जेल में गया तो पहले तो इसकी कोई सूचना नहीं है। हम इसको दिखवायेंगे और जांच करवायेंगे कि कौन सा कैमरा है और कैसे गया है। तो जब यह बात सामने आ जायेगी तो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो दोषी पाया जायेगा। लेकिन अभी तक सूचना सरकार को नहीं है। धनश्याम शुक्ला जी के बारे में मैं बाद में बता दूँगा।

हम सी0बी0आई0 जांच के पक्ष में क्यों नहीं हैं और कब हो सकती है, यह भी बता दूँगा। जहां तक यह कहना कि कौन-कौन अन्तर्राज्यीय और अन्तर गैंग हैं और पंजीकृत गैगों की संख्या पता है, अखबारों में भी निकल चुका है। मैं आपको भिजवा दूँगा। अधिकारियों ने गलती की है कि जो आपका पत्र गया तो सूचना दे देनी चाहिए थी। वह सब मैं बोल चुका हूँ। सभा में बोल चुके हैं कि कितने लोगों को मार गिराया है। यह बोल चुका हूँ कि ये 32 हैं पंजीकृत गैंग हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 445 सदस्य हैं जिसमें से 52 तो मारे गये हैं, 71 गिरफ्तार हुए हैं। यह हालत है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 395 अलग से कुख्यात अपराधियों की हत्या हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है। और आपको इस बात को जान करके खुशी होगी, आश्चर्य होगा कि आज तक एक भी व्यक्ति ने, ये हत्यायें जो पुलिस ने की है, किसी ने दरख्वास्त नहीं दी है और न कोई मुझसे मिला है। इससे बड़ी सपलब्धि और क्या हो सकती है? और इसलिए यह कह करके कि कानून व्यवस्था खराब है, जिससे विकास के पथ पर जो है उसमें उद्योगपति नहीं आयेंगे। कानून व्यवस्था बिहार की खराब है। एक भी उद्योगपति वहां जाने को तैयार नहीं है। और यहां भरमार है उद्योगपतियों की, इतनी तेजी से आ रहे हैं। माननीय हुकुम सिंह जी को पता है कि आज कितने उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अन्दर घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग एक ऐसा वातावरण कानून व्यवस्था के बारे में पैदा कर रहे हैं। जिससे कठिनाई होगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा नहीं तो वह कार्यवाही में आ जायेगा। लेकिन जो कहा गया है वह यही है कि सौ बार झूठ बोलो तो वह सच तो जाता है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। गन्ना किसानों की [illegible] नहीं [illegible] आपके किसान से, गरीब से मतलब

नहीं है, न वकील से और न शिक्षक से और न बेरोजगार से और न छात्रों से आपको मतलब नहीं है। बेवल कानून व्यवस्था, बस यही आपके पास है। पूर्वान्चल में माननीन त्रिपाठी जी जिस सीमा तक कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं सरकार पर, सरकार पर उंगली नहीं उठेगी। राज्यपाल ने दे दिया स्टेटमेंट। आपने देखा होगा तीन दिन लगातार निकला है, उंगली उन्हीं पर उठेगी। सत्तापक्ष अपनी बात रखेगा, मैं अपनी भी रखवा दूँगा और औरों की भी रखवा देंगे और हमारी तरफ सिद्ध होगा तो हम इस्तीफा देकर चले जायेंगे मुख्यमंत्री पद से। तो ऐसा मत बोलिए। आप ही लोग सावधान हों? इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि अगर उंगली उठेगी तो हमारी सरकार पर उंगली नहीं उठेगी और न ही इस सरकार ने कभी किसी अपराधी को संरक्षण दिया है। माननीय राम गोविन्द चौधरी तो भुग्तभोगी हैं 1991 के चुनाव में सबसे ज्यादा। वे हमारे चुनाव में थे। हमारा पैर टूट गया था, फैक्चर हो गया था। आपने किसको हमारे फिलाफ खड़ा किया था? जिसका कहना था कि इस राइफल से 475 पुलिस के अधिकारियों को और पुलिस के कर्मियों को मार चुका हूँ हमारा यह हाथ है मैं लड़ने आया हूँ इस क्षेत्र में। किसने उसको टिकट दिया था?

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मेरा दुर्भाग्य है कि आपको, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, मेरे खिलाफ कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला। आज जितना भी कहिए, जितने अपराधियों को मैंने पार्टी से निकाला है और यह घाटा मुझे हुआ है, हमें कई साथियों ने कहा, सत्ता से सख्ती से जीत सकते थे, अपराधियों को हमने टिकट नहीं दिया। और इस बात की मिसाल है, चुनाव आयोग भी इस बात का साक्षी है कि मुलायम सिंह यादव ने पालन किया है, अपराधियों को टिकट नहीं दिया, अपराधियों को मैंने निकाला है और जिन अपराधियों को निकाला है उन अपराधियों को आपने टिकट दिया है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मामूली बात है। सम्भल में किसको लड़ाया था आपने? कोई उम्मीदवार नहीं मिला था। जिसको हमने पार्टी से निकाला उसको खड़ा किया मेरे खिलाफ? एक ही बता दे कोई शरीफ कोई लड़ने को मिला हो हमारे खिलाफ? हमेशा इसी तरह के अपराधी मिले हैं। और अपराधियों को अब यह तैयार कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा अपराधियों को लड़ाया है। कितनी भरमार है अपराधियों की? यह कलंक है। अगर सच पूछा जाय तो अगर कलंकित किसी ने किया है तो इन्होंने किया है।

92 सीटें हों चाहे 50 सीट हों । यह यही है कि बहुजन समाज पार्टी अपराधियों को ढूँढ-ढूँढ कर टिकट देती है, कोई भी हो। भले आपकी जमानत जब्त हो गयी लेकिन आपने टिकट नहीं दिया। कौन जीता कौन हार गया आपने नहीं देखा, किस आधार पर टिकट दिया? इस आधार पर टिकट दिया है। और इसलिए हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि अगर हिम्मत हो, तो चर्चा कर लो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी और न पहले दिया, न 96 में दिया और आज अपराधियों का जमघट मेरे खिलाफ इकट्ठा हो रहा है और वह जाकर सब बहुजन समाज पाटी में चले गये। पहले ये देते थे भारतीय जनता पार्टी, हमने तभी कहा था हम भी सरकार बना सकते थे। हमने कहा, इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले बेइमान लुटेरों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। चाहे सत्ता में रहे न रहे, पोटा लगे, जो लगायें, और आज हम कहना चाहते हैं कि हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं वर्ना आप देखिये फाइलें, लोकायुक्त की पत्रावलियां मेरे पास हैं। यह अपराध गिना रहे हैं, किसके जमाने के हैं? किसके जमाने के हैं यह अपराध जो गिना रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि अपराध कब कब थे? यह आपराध 29 थे, 30 थे, 32 थे वह अपराध किस सरकार में हुए? यह क्या नहीं बताते? हम बताना नहीं चाहते। जब पता चलेगा समाजवादी पार्टी की सरकार का अपराध है कि आपकी सरकार के जमाने के हैं। यह सारे आपके सरकार के जमाने के अपराध हैं। आप उनके भाई, शरीफ थे उनके भाई, सारे लोग जानते हैं कि शरीफ है वह जेल में है। आपने अतीक को लिखा दिया जेल में है। आपने कभी ऐसा किया है? हमने तो पहले भी किया था। हमारे यहाँ पर बैठे हैं एमएलए। हम तो हैदराबाद में थे आपने रपट लिखा दी हमारे रामकरन आर्य के खिलाफ।

जगदम्बिका पाल जी आपको पता है नाम लिखा है और वह जेल भी गये। नहीं बचाया। कोई भी ऐसा दल है जो बता दे कि उसने अपने एम0पी0, एमएलए को कभी जेल में भेजा हो अपनी सरकार में? एक सही समाजवादी पार्टी है जिसने आपने एम0पी0 एमएलए को भी भेजा है। यही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने इटावा के समाजवादी युवासभा के लड़के को केवल फारेस्ट में कहासुनी हुई थी लड़के-लड़की के बीच, बेनी प्रसाद ने कहा गलत काम किया लड़के के साथ लेकिन हमने जेल भेज दिया था। हमने यही नहीं किया एक बार सत्ता पर उंगली उठी थी, मैंने यू0पी0 सदन से कह दिया कि जाओ यू0पी0 निवास, जो चला गया है उत्तरांचल में। मैं यू0पी0 निवास में था, मैंने वहीं से टेलीफोन किया मिश्रा जी, प्रमुख सचिव को, कि शिवपाल को तत्काल जेल भेजिये। इसके बाद मीटिंग हुई और सबने कहा कि इसमें शिवपाल जी की कोई गलती नहीं है।हमने यह भी दिन देखे हैं। यह हमारे चुनाव में 6 महीने बाहर रहा है। इसे माफिया और गुंडा कहा गया, पूरे प्रदेश के अन्दर। आप जरा पता लगाइये, परिवार से लेकर मोहल्ले तक कि हम कैसे लोग हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें बराबर माफियाओं से लड़ना पड़ा और माफियाओं की सरकार से लड़ना पड़ा। यह हमारे मित्र हैं, इनका हम गुड़ भी खाते हैं, यह सच है। जहां तक इनका सवाल है, इनको हम क्या जवाद दें। जो कहावत आपने इनके लिए सुना दी, वह हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। हमने कभी अपराधियों को टिकट नहीं दिया है। अपराधियों को तो आप पैसा लेकर टिकट देते हैं। आप उसी को टिकट देते हैं जिसके पास पैसा हो और वह अपराधी हो, जिसका जनता में समर्थन नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर है हिम्मत तो समाजवादी पार्टी तैयार है। हम फिर कहना चाहते हैं कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। अपराधी वह है, जिसको जनता कहती है, केवल मुकदमों की संख्या से नहीं होगा। जिसके बारे में जनता की राय होगी, वही अपराधी होगा। किसी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा जांच कराई जाय और उसका जो परिणाम आये तो उसके आधार पर ही किसी का चरित्र का पता चलेगा कि जनता के बीच उसकी कैसी छवि है। हम आपके लिए वह शब्द नहीं कहेंगे जो इन्होंने कह दिया इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि मत करो ऐसी बातें। आप लोगों ने यह भी कहा कि पुलिस दबाव में है। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि किसी भी पुलिस के अधिकारी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि एक अधिकारी बनारस में बैठे हैं, माननीय हुकुम सिंह जी भी जानते हैं। एक गाजीपुर में है, इनको इसीलिए लगाया गया है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और बी0एस0पी0 दोनों मिलकर इनका मनोबल तोड़ने का काम कर करहे हैं। अगर आपको उनकी हत्या से अफसोस हुआ होता तो आप वहां आग लगाने का काम न करते, रास्ता न रोकते। अगर आपने रास्ता न रोका होता तो कुत्ता पहुँच गया होता और सब कुछ पता चल गया होता। उसी रात में गिरफ्तारी हो सकती थी लेकिन आप लोगों ने 5 घण्टे तक रास्ता रोका और कुत्ता लेट पहुँच पाया। इसके अलावा एक रूमाल मिला, एक टाटा सूमों मिली, उस पर भी निशान है। रूमाल मिला है, इससे पता चलता है कि जिन्होंने हत्या की है, उसमें भी कोई घायल हुआ है। आपके रास्ता रोक देने के कारण कुत्ता 6 घंटे बाद पहुँच पाया। आपके आन्दोलन की वजह से अपराधियों को बल मिल रहा है। हमारी पुलिस का ध्यान और दृष्टि आपके आन्दोलन की वजट से बट रही है। मान्यवर, आपने आन्दोलन में छात्रों को भड़काने का काम किया है। हम छात्रों को भड़काने वालों में नहीं है। हम विपक्ष में रहे तब भी हमने छात्रों को नहीं भड़काया। हम युनिवर्सिटी में बोल करके आया हूँ, नौजवान छात्र बैठे थे, उनको मैं क्या सलाह दे करके आया हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप छात्रों का सहारा ले रहे हैं, कानून तुड़वा रहे हैं, दुकानों को तुड़वा रहे हैं। आपके द्वारा मस्जिदें तुड़वा दी गयी, चार मस्जिदें टूट गयी, स्टेशन जला दिये गये। अब अगर हम कार्यवाई करेगे तो कहेंगे कि राजनीतिक भावना से काम करते हैं। हमने भी आन्दोलन किया है, हमने कहा कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, हम हाथ बांध करके चले हैं और नारे लगाये हैं। ओम प्रकाश पासी की हत्या हुई, बम डाला गया, उसमें कितने लोग मारे गये थे और कितने घायल हुए थे? वह

कहां से आये थे? वह आपके मठ से आये थे, गोरखपुर की मठ से आये थे। हम उस मौके पर गये थे। 25 मार्च 1996 को बासगांव में समाजवादी पार्टी के एम0एल0ए0 थे, इसमें 11 आदमी मारे गये थे और 38 घायल हुए थे। ओम प्रकाश ट्रैक्टर की ट्राली का मंच बनाये हुए था, वहां बम डाला गया था। मारने वाले वाले गोरखपुर के मठ के थे। हमने सावधान किया था कि जितने पूर्वान्चल में अपराधी हैं, वह उस मठ में शरण पा रह हैं। यह पक्की रिपोर्ट है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अगर मठ पर कार्यवाही करेंगे तो कहेंगे कि मठ पर कार्यवाई करते हैं। हम सावधान करना चाहते हैं। आपको पता नहीं श्रीमती अजीत हमारी पार्टी की थी कब्रिस्तान पर कब्जा करने गये थे। वहां पर जनार्दन प्रसाद ओझा, भूतपूर्व एम0एल0ए0, मजदूर सभा के अध्यक्ष और कुंवर अखिलेश लोकसभा के मैम्बर थे, जमुना प्रसाद, डा0 बंगाली प्रसाद, डा0 फारूखी पांच लोग थे। खड़े हो गये, जा करके पेड़ लगाने लगे मस्जिद के प्रांगण में। वहां पर किस तरह बचे हैं वह लोग? सभा हो रही थी, इतनी बड़ी सभा हो रही थी और वहां सभा में सीधें फायरिंग शुरू हो गयी। सत्यजीत यादव जो गनर था अजीत वहां पर चार लोग घायल हो हुए। वहां सभा में कौन था, वह लोग साधू के भेष में थे। सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच के आदेश हुए। गनर जो मारा गया था, उसे मारने वाले कौन थे?

श्री डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

जांच में ही यह पता चला होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अग्रवाल साहब, इतना भी छुपाना जानते हो। मैं तो बहुत ही शरीफ जानता था, आँख में धूल झोंकते हो। आपके बारे में हमारी राय बदल गयी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई भी अपराधी हो अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी, आप खुद जानते होंगे। एक हत्या हुई, वह तो मैं कह चुका हूँ। हमारे जमाने में हो गयी यह दुर्भाग्य है हमारा। जब मऊ में दंगा हुआ तो मैंने कहा कि दो साल के बाद हमारी सरकार पर कलंक लगा गया, वह मैंने जनता के सामने स्वीकार किया। हमारी सरकार में विधायक की हत्या हुई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। हम इसलिए सी0बी0आई0 की जांच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्यों कि हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी है। यह सही है कि 92 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी गुण्डों, डकैतों को पैसा दे करके खड़ा करना चाहती है। हमारी सूचना 52 सीटों की है। आपकी 92 सीटों की है। यह भी सही है के पैसा लगें और माफियाओं को खड़ा करेगें लेकिन मजबूत उम्मीदवार होगा, अगर डरेगा नहीं तो जनता कभी अपराधी, माफिया को पसन्द नहीं करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, कृपया बैठिये, माननीय नेता सदन बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हमारे खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी ने माफिया खड़ा किया.....

जगदम्बिका पाल-

माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे खिलाफ एक अपराधी को ब0स0पा0 ने सम्भावित उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वह बैंक डकैती के डेढ़ करोड़ रुपये का मुल्जिम है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साबह बैठ जाईये।

श्री सुखदेव राजभर-

उसके खिलाफ कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज है, ब0 स0 पा0 पैसा ले करके डकैतों को टिकट दे रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि डरना मत अपराधियों से। अपराधियों के खिलाफ जो मजबूती से लड़ेगा उसकी जीत होगी क्योंकि अपराधियों को कभी जनता पसन्द नहीं करती है। हमारे खिलाफ भी अपराधी को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन हमारे साथियों ने मिलकर उसकी जमानत जब्त करवा दी और हम एक लाख अठहत्तर हजार वोटों से चुनाव जीते। कितने अपराधी लगे थे, न जाने कितनी लड़कियों को लाये थे दिल्ली से, कुछ उत्तरांचल से व कुछ कश्मीर से। हम कहना चाहते हैं अपने बहादुर साथियों से कि कोई अपराधी लड़ता है तो डरना मत, अगर डरोगे नहीं तो अपराधी कभी नहीं जीतेगा। हमारे साथ लगातार अपराधी और दबंगई करने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किये, मजबूती के साथ हमारे साथी लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गयी। यह प्रयोग हो चुका है। अगर अपराधियों से कोई उम्मीदवार डरेगा तो हार जायेगा अगर नहीं डरेगा तो कभी अपराधी हरा नहीं सकता। इसलिये डरने की जरूरत नहीं है। जनता अपराधियों को पसन्द नहीं करती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? किससे कह रहे हैं? मैं इसलिये आज बता रहा हूँ कि आज इतनी हत्यायें हुई। लक्ष्मीशंकर यादव मामूली व्यक्ति थे उनका जमाना देखा है। पं0 कमलापति त्रिपाठी के दाहिने हाथ माने जाते थे और एक बार मुख्य मंत्री बनते-बनते रह गये थे। पं0 कमलापति त्रिपाठी बन गये और लक्ष्मीशंकर यादव मुख्य मंत्री बनते-बनते रह गये और मुख्य मंत्री नहीं बन पाये तो उनको कॉंग्रेस ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनकी हत्या की गई किसने हत्या की? हमने लिया उसको पार्टी में? हमने दिया टिकट उसको? नहीं दिया। आपके यहां (xxx) जब यह बात कांशीराम को पता चली तो उसे पार्टी से हटा दिया गया।

(व्यवधान)

एक कलंक राजनीति में पैदा हो गया है, जिसको पैदा करने में हमारी भी जिम्मेदारी है। हम स्वीकार करते हैं। हमने एक बार साथ किया। अगर हमने समझौता नहीं किया होता तो यह कहीं नहीं होते। लड़ाई दो के बीच थी। एक मस्जिद गिराने वालों और दूसरी मस्जिद बनाने वालों के बीच। मैं उस समय प्रतापगढ़ गया था वहां पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि लड़ाई दो के बीच है-एक मस्जिद गिराने वाले, दूसरे मस्जिद बनाने वाले। हमसे भूल हुई उसके बाद हम दुबारा ऐसी भूल नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जो यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हमने सरकार बनाई, यह गलत है। हमने अपने बहुमत के दम पर सरकार बनाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हम सरकार बनाते तो जब

नोट (xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हमारा बहुमत था उस समय हमें मौका नहीं दिया गया और जब हम राजभवन के सामने धरने पर बैठे थे तो उसी समय हमारे साथी मंजूर अहमद की हत्या हुई थी उस समय निशाना तो आजम खाँ और शिवपाल सिंह भी थे। मैं तो दिल्ली चला गया था। उस समय कार्यवाहक मुख्य मंत्री वहीं थे जो आज धरने पर बैठे हैं और सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहे हैं। क्या उस समय उन्होंने सी0बी0आई0 जाँच की मांग की थी? मैं कहना चाहता हूँ कि यह आरोप नहीं सच्चाई है। यह धरना देकर कुछ बड़े अपराधियों को बचाने का षडयंत्र है। त्रिपाठी जी आप मुझसे अकेले में बात कर लें। आप तीनों लोग अकेले में बात कर लें। मैं आपको सारी बातें बता दूँगा। यह धरना उसी दिन तक है जब तक अपराधी कहेंगे जिस दिन अपराधी कहेंगे, यह धरना उठ जायेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जवाहर सिंह यादव, लक्ष्मी शंकर यादव, ओम प्रकाश पासवान, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या किसके समय हुई? उस समय सी0बी0आई0 जाँच की मांग क्यों नहीं की गई? जहाँ तक न्याय यात्रा की बात है, हम भी न्याय यात्रा पर निकलेंगे और जनता को बतायेंगे। तब जनता को सच्चाई का पता चलेगा। जब एक अपराधी को पकड़ा गया था तो जो आज धरने पर बैठे हैं इन्हीं का मेरे पास तीन बार फोन आया। बाद में पुलिस पर दबाव बनाकर उसे छुड़ाया। मैं सभी सच्चाई बता सकता हूँ। हमारे राम गोबिन्द चौधरी ने हत्या के बारे में इशारा किया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारे पास बिना दस्तखत की चिट्ठी आई है जिसमें बताया गया कि कैसे बनारस में लोगों से एक-एक करोड़ रूपये लिये गये जिसकी मैंने जाँच कराई तो बात सच निकली। क्या गाजीपुर में मुठभेड़ नहीं हुई? पूर्व में अन्य कई जगहों पर मुठभेड़ नहीं हुई? आप अपने गिरेबान में झांककर देखें। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पाक साफ हूँ। हमारी सरकार अपराधियों को टिकट नहीं देगी। हमारे कार्यकर्ता व कुछ साथी ऐसे लोगों को लेकर आते हैं लेकिन मैं साफ मना कर देता हूँ कि हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं दे सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को खदेड़ दिया। हमने टिकट नहीं दिया। जौनपुर से लेकर जितने अपराधी थे। भले ही वे आज एम0पी0 बन गये हैं, बड़ी तादात में संख्या आपने भले ही बढ़ा ली हो। हमने सब अपराधियों को निकालकर बाहर किया है। लेकिन आप उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चारबाग में अपराधियों को इकट्ठा करके शादियों का नाटक रचाते हो। अपराधियों को टिकट देकर लड़वाते हो। मैंने तो अपराधियों को निकाल बाहर किया है पार्टी से। अपराधियों को छोड़ा नहीं बल्कि निकाला है पार्टी से। हमने जिनको पार्टी से निकाला आपने उन अपराधियों को टिकट दिया। आपने अपराधियों को चुनाव लड़ाकर भेजा है लोक सभा में और विधान सभा में। हमने नहीं भेजा है। इसीलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी विचार कर लें। यह नहीं करेंगे विचार। आपही विचार कर लें। आप तय कर लें। आप निर्णय ले लीजिये कि आप किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। हमने तो निर्णय लिया है और मैंने घोषणा कर दी है। आप भी घोषणा करिये।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

हमने तीन दिन पहले घोषणा की है।

श्री लालजी टण्डन-

किसी अपराधी के लिये हमारी पार्टी में जगह नहीं है और न हम उसको टिकट देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यही हम चाहते हैं। हम सब मिलकर बात करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

हमारा तो इतिहास ही नहीं किसी अपराधी को टिकट देने का फिर भी मैं घोषणा करता हूँ क्योंकि मैंने ही प्रस्ताव रखा था। हमारा तो किसी अपराधी को टिकट देने का प्रश्न नहीं उठता लेकिन ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इसका ध्यान रखियेगा।

श्री रामस्वरूप सिंह (बिजनौर)-

ये तो दोनों को टिकट देते हैं। पैसा वसूलने वाले को भी टिकट देते हैं और अपराधियों को भी देते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बी0एस0पी0 कभी भी किसी भी अपराधी को बढ़ावा नहीं देती है और जो कभी कॉंग्रेस से, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहा हो या विधायक रहा हो वह तब अपराधी नहीं रहता लेकिन यदि वही व्यक्ति बसपा से विधायक या सांसद हो जाता है तो वह अपराधी हो जाता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। बैठ जाइये आप। अब लिखा नहीं जायेगा। देखिये 2.20 से समय था। 10 मिनट अधिक हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

केवल वही व्यक्ति अपराधी नहीं जिस पर एक मुकदमा हो। अपराधी का आधार क्या है? अपराधी का आधार है वह व्यक्ति जो जनता की नजर में दबंगई करे, उसकी साख क्या है जनता की नजर में। जनता की भावनायें ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या हैं? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन अपराधियों के सफाये में आप हमारा साथ दीजिये, हमारा सहयोग करिये। अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं, तिवारी जी, हम सब बैठकर इस पर बात करते हैं और कामयाब नहीं होते हैं तो फिर सी0बी0आई0 से जाँच करा लेंगे। सी0बी0आई0 जाँच के परिणाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि सी0बी0आई0 जाँच के लिये कहा गया, शुरू हो गयी और आज तक कोई परिणाम नहीं आया। श्री अशफाक और उनकी पत्नी, गाजियाबाद का केस है। मामला सी0बी0आई0 में है 23-12-2000 से लेकिन आज तक कुछ परिणाम नहीं निकला। इसी तरह से स्मिता भादुरी पत्नी एस0के0 भादुरी का 17 जनवरी, 2000 से अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह से जिला कारागार मेरठ के बंदी श्रृषिपाल की हत्या हुई, अभी तक जाँच नहीं हुई। फतेहपुर के थाना खागा में साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत 19 फरवरी, 2000 का केस है, अभी तक जाँच नहीं हुई। तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि सी0बी0आई0 जाँच के परिणाम जो आज तक पूरे नहीं हो पाये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके बगल के सूबे में 1996 में जब मैं रक्षा मंत्री था आधे मुकदमों की जाँच अभी तक नहीं हो पायी है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो तुम्हारी जिन्दगी में यह मुकदमा चल नहीं पायेगा। अगर चार्जशीट लग भी गई तो कम से कम 4-5 साल न्यायालय में लग जायेंगे। इसीलिये मैं कह रहा हूँ कि सी0बी0आई0 में जाकर अपराधियों को नहीं पकड़ा जा पा रहा है। इस तरह से सी0बी0आई0 में जाने से अपराधी बचे रहेंगे। और तब तक पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? सी0बी0आई0 बतायेगी अपराधी है या नहीं? कौन नहीं जानता अपराधी है या नहीं। जब रपट लिखी है, गलत है, सही है, ऐसे अपराधी को रहना चाहिये या जेल में जाना चाहिये या कहीं और जाना चाहिये? नामजद है तो होंगे अफजाल अंसारी हैं, और जो होंगे उनको रिमाण्ड पर लेने की बात कर रहे हैं। इंटरपोल की हमारी पुलिस भी मदद कर सकती है, दिल्ली की पुलिस मदद कर सकती है। आई0बी0 मदद कर सकती है। सी0बी0आई0 के लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन वह तत्काल कर सकते हैं। हम समझेंगे संदेहास्पद है तो आपसे बातचीत करके सी0बी0आई0 की जाँच को तैयार हो जायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सी0बी0आई0 की जाँच आप नहीं करा रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिस्कार करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी टण्डन-

सी0बी0आई0 की जाँच न कराने के विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री लालजी टण्डन ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह अपराधी की मदद करने वाले लोग जा रहे हैं। यह सी0बी0आई की जाँच कराने की बात कर रहे हैं। अपराधियों को बचाने की साजिश की बात करके यह वाक आउट कर रहे हैं। वाक आउट करने का मतलब है राजनीति करना। यह अपराधियों को बचाने के लिये ऐसा कर रहे हैं। अपराधियों का हमने बहुत बड़े पैमाने पर सफाया किया है। हमने अपने जिले में निर्भर गूर्जर जो वीरप्पन जैसा बन गया था, उसको हमारी पुलिस ने मारा। हमारी पुलिस ने,एस0टी0एफ0, ने एस0एस0पी0 ने उसका सफाया किया। मुरादाबाद की आलोचना करेंगे? मुरादाबाद मण्डल में अपराधियों को हमारी पुलिस ने मार गिराया। अपराधियों का सफाया हो रहा है इस सरकार में, 395 लोगों को हमारी पुलिस ने मार गिराया है। क्या यह समाजवादी पार्टी के जमाने के लोग थे? निर्भर गूर्जर हमारे जमाने का था? एक नहीं कई निर्भय गूर्जरों की हत्यायें हुई हैं। इसलिये जो हमारी पुलिस है, जो एस0टी0एफ0 है, वह जो काम कर सकती है वह सी0बी0आई0 नहीं कर सकती है। सी0बी0आई0 किसको पूछती है? किसके घर जाती है? किसको बदनाम करती है? इसलिये यह जो वाक आउट करने वाले लोग हैं यह अपराधियों की मदद करने वाले लोग हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं 2 तारीख को 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 4 बजकर 38 मिनट पर सोमवार 2 जनवरी, 2006/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 9 दिसम्बर, 2005

पी0एस0यू0पी0-एल0 393 विधान सभा (615)-20-03-06-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।